खण्ड-353, अंक-3
मंगलवार, 29 पौष, शक संवत् 1903
(19 जनवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 353 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	163–165
भारत बंद के सम्बन्ध में कतिपय विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सदन त्याग	166
प्रश्नोत्तर	167–247
भूतपूर्व राज्यपाल श्री सईद अहमद खां, पत्नी छतारी के निधन पर शोकोद्गार	247–248
नीतियां	249–269

संसद भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-241

अकबर अहमद, श्री	नैनीताल	केदारनाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद	केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	केशोराम, श्री	बदायूं
अनवार खां, श्री	अलीगढ़	खरपत, श्री	वाराणसी
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद	खुदादीन अन्सारी, श्री	देवरिया
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़	खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
अमरनाथ सिंह, श्री		ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
(उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर	गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर	गया सिंह, श्री	उन्नाव
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर	गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराईच	गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी	गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
(उर्फ सुत्तन भैय्या)		चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय	चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
		छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर	छेदी लाल, श्री	गोंडा
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा	जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
कन्हैयालाल महेन्दू, श्री	लखनऊ	जगदीश नरायन, श्री	फतेहपुर
कमला देवी, श्रीमती	हरदोई	जगदीश सिंह, श्री	शाहजहांपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती	जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
कल्याण सिंह, श्री	बरेली	जमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
कल्लू राम, श्री	मिर्जापुर	जयदीप सिंह, श्री	बरेली
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर	जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री	अल्मोड़ा
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर	जियाराम शुक्ल,	
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली	'रिक्त स्थान', श्री	फैजाबाद
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई	झिलमिट राम, श्री	गाजीपुर
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया	तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली	तेज बहादुर गंगवार, श्री	पीलीभीत
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर	थम्मन सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी	दलगंजन सिंह, श्री	जालौन
कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं	दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती

दीना नाथ, श्री	बस्ती
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धरमपाल, श्री	बहराइच
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
धूप राय, श्री	देवरिया
नकली सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेंन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहांपुर
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
पंचानन राय, श्री	आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री	हमीरपुर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती	लखनऊ
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बलबीर सिंह, श्री	रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी
बाबू लाल, श्री	गोंडा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बृजकिशोर मिश्र, डा०	देवरिया
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भोखा लाल, श्री	उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मंगलदेव, श्री	गोंडा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरुर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुरली धर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रमान अंसारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री	वाराणसी
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रती राम, श्री	बिजनौर
रमेश चन्द्र, श्री	रायबरेली
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़

राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
रांघेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द, श्री	बलिया
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह (ऐडवोकेट), श्री	गाजीपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम समुझावन, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम स्वरुप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरुप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री	बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रुद्रप्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री	आगरा
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री	बांदा
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शिरोमणि, श्री	बांदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बांदा
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
श्याम नरायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री	बिजनौर
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री	सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सन्त बक्स रावत, श्री	लखनऊ
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
साहब सिंह, श्री	गाजीपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री	मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर
हरदेव, श्री	बलिया
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री	उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरी शंकर, श्री	हरदोई
हुकम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

भारत बन्द के सम्बन्ध में कतिपय विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा सदन त्याग

(कोरम न होने के कारण 5 मिनट देर से सदन प्रारम्भ होने पर)

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की है। अपनी इस जिम्मेदारी को परा करने में टोटल फेल्योर सत्ता पक्ष रहा है और 6-7 मिनट तक घंटी बजती रही और कोरम पूरा नहीं हो पाया।

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने तथा शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष महोदय, वैसे क्वेश्चन आवर में नहीं बोला जाता, लेकिन भारत बन्द के नाम पर इस सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई है और हमारे विधायक श्री गोपीनाथ वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

(व्यवधान)

हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं। (व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

(व्यवधान)

मैं भी सदन का त्याग करता हूँ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि आज इस सदन के माननीय विधायकों को भी गलत सलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यह हमारे लिए बेइज्जती की बात है इसलिए हमारी पार्टी भी इसके विरोध में सदन त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

शासन ने भारत बन्द के अवसर पर दमन की नीति अपनाई है, जिसे मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसलिये हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री रामआसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भीखालाल–

आज जो स्थिति प्रदेश में पैदा की गयी है उसके विरोध में हम इस समय सदन में बैठना ठीक नहीं समझते हैं। इसलिए हम भी सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री भीखालाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव–

मान्यवर, हमारे कानपुर में जिन व्यक्तियों को काम पर जाना था, उनको रात में ही मिलों में बुला लिया गया और एक दिन की और तनखा दी गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

(श्री हरी किशन श्रीवास्तव सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फखरे आलम–

हम भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री फखरे आलम भी सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 19 जनवरी, 1982 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

किसान इण्टर कालेज भानपुर, जनपद बस्ती में अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित सी0 टी0 वेतन क्रम में वेतन भुगतान

*1—माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान इण्टर कालेज, भानपुर, जनपद बस्ती में सत्र 1967-68 से अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित सी0 टी0 वेतन-क्रम में वेतन भुगतान किया गया है जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 2/3 अप्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त हुआ था? क्या यह सही है कि प्रबन्धक समिति ने 1-7-79 ई0 को अनियमित वितरित वेतन वापसी का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त धनराशि की वापसी की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)—

जी हां।

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के अनुमोदन पत्रांक मा0/4237/68-69, दिनांक 1-1-69 जिसके द्वारा श्री द्रव्यनाथ त्रिपाठी को सी0 टी0 का 2/3 वेतनमान दिया गया जो नियमानुकूल नहीं था, अतः मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के आदेशानुसार श्री त्रिपाठी को नियमानुसार पूर्ण सी0 टी0 वेतनक्रम प्रदान किया गया।

राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के ट्रेण्ड लेक्चरारों का स्थानान्तरण

*2—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सालों में राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी के कितने बेसिक ट्रेण्ड लेक्चररों का स्थानान्तरण किया गया? क्या यह सही है कि उनकी जगह नान-बेसिक लेक्चरर नियुक्त किए गये थे? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सच है कि इन स्थानान्तरित लेक्चररों में से कुछ का बेसिक ट्रेंड होने की वजह से ट्रान्सफर रद्द कर दिया गया और कुछ का यही वजह रहते हुए भी नहीं? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

दो प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण किया गया। इनके स्थानों पर नान-बेसिक प्रवक्ता नियुक्त नहीं किये गये, बल्कि दूसरे स्थानों से अन्य दो प्रवक्ताओं को सार्वजनिक हित में स्थानान्तरित करके लाया गया।

उक्त दोनों प्रवक्ताओं में से किसी का स्थानान्तरण निरस्त नहीं किया गया, बल्कि एक प्रवक्ता का राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी में पुनः स्थानान्तरण जनहित में किया गया, जिसका आधार केवल बेसिक ट्रेण्ड होना ही नहीं था।

[मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

थाना हजरतपुर के अन्तर्गत ग्राम हर्रे नगला में डकैतों व पुलिस के बीच मुठभेड़

*1—श्री फिरंगी प्रसाद किशारद (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बदायूं के थाना हजरतपुर के थानाध्यक्ष तथा अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 16-8-81 की रात को दो व्यक्तियों (सर्वश्री लाल सिंह व गबडू) को घर से ले जाकर पुलिस मुठभेड़ में फर्जी दिखा कर जान से मार दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराकर दोषी पुलिस अधिकारियों को दंडित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16-8-1981 की रात्रि में थाना हजरतपुर के अन्तर्गत ग्राम हर्रे नगला के पास डकैतों एवं पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में डकैत लाल सिंह व गबडू मारे गये। घटना की अपराध अनुसंधान विभाग से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल सलाम, निवासी कस्बा व थाना टांडा की छः वर्षीय पुत्री का कत्ल

*2—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री को विदित है कि 19/20 सितम्बर, 1981 को कस्बा टांडा थाना टांडा, जिला रामपुर में श्री अब्दुल सलाम की 6 वर्षीय लड़की कु0 अफसर जहां का बलात्कार के बाद कत्ल किया गया जिसकी लाश दूसरे दिन खेतों में पाई गयी? इस सम्बन्ध में श्री अब्दुल सलाम ने मुख्य मंत्री को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया था और उसमें टांडा के कुछ निवासियों के निश्चित तौर से नाम दिये हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अब्दुल सलाम निवासी कस्बा व थाना टांडा, जनपद रामपुर की छः वर्षीय पुत्री कुमारी अफसर जहां का बलात्कार के बाद कत्ल किये जाने के सम्बन्ध में वादी की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 20-9-1981 को थाना टांडा पर अपराध संख्या 163 धारा 376/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत हुआ। इसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री अब्दुल सलाम का कथित प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

*3—श्री राम आसरे वर्मा—

[4थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या—18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति

*4—श्री सूबेदार सिंह—

क्या कार्मिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में मई, 1977 से अब तक (अगस्त, 1981 तक) प्रवर वर्ग सहायकों से अनुभाग अधिकारी के पदों पर कुल कितनी प्रोन्नतियां हुई हैं और उनमें कितने अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त नियुक्तियों में आरक्षण का आधार नहीं अपनाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)–

प्रश्नगत अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय में 137 प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर प्रोन्नतियां हुई हैं उनमें से एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं। अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था। नियुक्तियों में आरक्षण का आधार अपनाया गया।

श्री सूबेदार सिंह–

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस सचिवालय मे अनुभाग अधिकारियों के कुल कितने पद हैं और उनमे से कितने अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के हैं तथा उनकी योग्यता क्या निर्धारित की है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

अनुभाग अधिकारियों के कुल कितने पद हैं इसकी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और साथ में विशेषाधिकार बतलाना को नोटिस भी दे रहा हूं, क्योंकि मंत्री जी ने इस सदन में उत्तर देकर इस सदन को गुमराह करने की कोशिश की है और यदि वह अपने उत्तर को सुधारते हैं तो उनको मौका दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि 137 प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हुई है और उसमें मात्र एक हरिजन था और कहते हैं कि नियुक्ति में आरक्षण का आधार अपनाया गया है, यह दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं चूंकि कहा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, **मैं एक कापी आपको भेज रहा हूं जिसमें उनके नाम दिये हैं** जो बिल्कुल योग्यतम थ और योग्यताओं से विभूषित थे, उनके नाम हैं–सर्वश्री रामसूरत राम (ग्राम्य विकास विभाग), हंसराज (गृह विभाग), मूलसिंह (विज्ञान एवं पर्यावरण), हरीलाल (गृह विभाग), रामवृक्ष प्रसाद (कार्मिक विभाग), राधेश्याम (रेजीडेंट कमिश्नर कार्यालय), (नई दिल्ली), जय प्रकाश (राष्ट्रीय एकीकरण विभाग), रामसिलन आर्य (शिक्षा विभाग), मंगलदत्त आदिम (वित्त विभाग), पारसनाथ (सिंचाई विभाग), बरातीलाल आदिम (कृषि विभाग), हीरालाल दोहरे (खादी एवं रसद विभाग)। अबतक इन सबकी प्रोन्नति हो जानी चाहिए थी। मंत्री जी का यह बयान कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, बिल्कुल गलत है, अब वह इसका समर्थन करें या इसका खिरोध करें?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, यहां पर प्रोन्नति के लिए 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है और जब यह प्रोन्नतियां हुई उस वक्त 10 वर्ष की उनकी सेवायें नहीं थी। इसलिए वह स्थान रिक्त रहे और अब वर्तमान शासन ने यह नीति अपनाई है कि उनके पद कैरी-फारवर्ड हो रहे हैं। जैसे ही ये उसमें आ जायेंगे, उनमें इनकी पदोन्नति हो जाएगी।

श्री सूबेदार सिंह–

इस संबंध में उनकी अर्हताएं उसी समय पूरी थीं, तो क्या मंत्री जी तत्काल उन्हें पुरानी तिथि से प्रमोशन देने की कृपा करेंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

अगर उनकी अर्हताएं पूरी थी और वह उपर्युक्त पाये जाते हैं तो अवश्य उनको कर लिया जाएगा।

श्री सूबेदार सिंह–

किस समय से वह अर्ह हुए हैं, उस तिथि से उनकी पदोन्नति को क्या लाभ करेंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

अब उनकी अर्हताएं पूरी हैं तो उसी वक्त से जिस वक्त पूरी हो गई हैं, उसी समय से उनकी पदोन्नति पर विचार किया जाएगा।

श्री केदार गंगवार–

मंत्री जी ने कहा कि कोई भी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी अनुभाग अधिकारी पद के लिए अवेलेबेल नहीं था, तो जो पद उनके लिए अरक्षित थे उनको भरा गया या नहीं? यदि भरा गया तो क्या उससे मुख्य मंत्री जी के उस आदेश की अवहेलना नहीं होती जिसमें कहा गया है कि जब तक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जायं वह पद रिक्त रखे जायं?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

यह पद भरे नहीं गये हैं, वह कैरी-फारवर्ड किये जा रहे हैं। जब उपलब्ध होंगे भरे जायेंगे।

श्री सूबेदार सिंह–

मंत्री जी ने यह तो नहीं बताया कि कुल अनुभाग अधिकारी के कितने पद हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह करीब 365 पद हैं और इनमें केवल 22 अनुसूचित जाति के हैं। यह संख्या उससे बहुत कम है, जो 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार होनी चाहिए, तो वह इसकी पूर्ति कब तक कर लेंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी–

.....जो मुझे जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार अनुभागाधिकारियों की संख्या 319 है। इनमें से जो संख्या कोटे की कैरी फार्वर्ड की गयी है उनको जितने अभ्यर्थी अर्ह उपलब्ध होंगे, भरा जायेगा।

तहसील रानीखेत में प्राइवेट हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के कला अध्यापकों को एल0 टी0 वेतनमान दिये जाने की मांग

*5–श्री जगवन्त सिंह बिष्ट (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा में प्राइवेट हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के कला-अध्यापकों को प्रान्तीयकरण से पूर्व एल0 टी0 वेतन पर स्थायी किया गया था? क्या यह सही है कि प्रान्तीयकरण के बाद उक्त अध्यापकों को सी0 टी0 ग्रेड दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या शासन उक्त अध्यापकों को एल0 टी0 ग्रेड देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां। निर्धारित अर्हता पूरी करने तथा ज्येष्ठता क्रम से नम्बर आने पर एल0 टी0 ग्रेड दिया जाना सम्भव होगा। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

महानगर ब्वायज, हाई स्कूल में अध्यापकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान तथा पुनरीक्षित वेतनमान देने हेतु विचार

*6–श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ में महानगर ब्वायज हाई स्कूल, जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त है, और जो सरकारी नियमों अधिनियमों के अधीन कथित रूप से चलाया जाता है, में शिक्षकों को न तो त्रिलाभ योजना (ट्रिपल बेनीफिट स्कीम) के अंतर्गत पेंशन

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या 6 श्री श्यामलाल वाजपेयी द्वारा पूछा गया।

फंड आदि का भुगतान किया जा रहा है और न योग्य एवं अर्हता प्राप्त शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में शिक्षकों के प्रति बरती जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)–

जी हां।

जी हां।

विद्यालय को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश किये गये थे जिसके उत्तर में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सूचित किया है कि विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने दिनांक 20-3-80 की बैठक में निर्णय लिया है कि जुलाई, 1980 से अध्यापकों को प्राविधायी निधि/पेंशन, एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा तथा शीघ्र ही जीवन बीमा योजना भी लाग की जायेगी। विद्यालय के प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल स्तर के दो अध्यापकों को छोड़कर शेष सभी अध्यापकों को स्नातक वेतन क्रम दिया जा रहा है तथा अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतन मान देने हेतु प्रबन्ध समिति विचार कर रही है।

अत: विद्यालय के किसी अध्यापक को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा रहा है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, यह राजाज्ञा है जिसका नं0 5310/15/8... दिनांक 31-3-1978 है जिसके अन्तर्गत इन शिक्षकों को यह सब दिये जाने का प्राविधान है। तो जब ऐसी राजाज्ञा है तो यह स्कूल उसका पालन क्यों नहीं कर रहा है?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि प्राविधायी निधि, पेन्शन और ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किया जायेगा और ऐसा निर्णय प्रबन्ध समिति ने ले लिया है।

श्री पंचानन राय–

इसके लिये मान्यवर, इस प्रदेश का एक अधिनियम भी बना हुआ है और राजाज्ञा भी है इस संबंध में कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं वे इसका पालन करेंगे और यह देंगे, लेकिन पिछले 9 वर्ष से यह स्कूल उसका उल्लंघन कर रहा है और इस ट्रिपुल बेनिफिट योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ स्कूलों को यह छूट दे रखी है कि वे चाहें तो इस आज्ञा और अधिनियम आदि का पालन न करें?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, यह माइनारिटीज ट्रिपिल बेनीफिट इंस्टीट्यूशन है और इसमें सी0 टी0 अध्यापक जो हैं वे कक्षा 6-7 में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी इस ग्रेड से वेतन कम दे रहे हैं।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, माइनारिटीज स्कूल हो या मेजारिटी स्कूल हो माध्यमिक शिक्षा का रूल सबमें लागू है। सवाल यह है कि जो अधिनियम लेजिस्लेचर ने पास किया है, उसको उस संस्था में लागू नहीं किया जा रहा है। तो क्या इसकी छूट शासन ने उस संस्था को दी है?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, इस स्कूल में सभी अध्यापकों को, प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक जो पढ़ा रहे हैं, दो अध्यापकों को छोड़कर सभी अध्यापकों को स्नातक वेतनमान दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, यह ट्रिपिल बेनीफिट स्कूल आपने कहा और यह भी कहा कि जुलाई, 1980 से अध्यापकों को प्राविधायी निधि, पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करने का फैसला किया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या इस बात की जानकारी करायेंगे कि विभिन्न अध्यापक किस तिथि से होने चाहिए थे? जिस तिथि से लाभान्वित होना चाहिए था, क्या उन्हें उसी तिथि से लाभान्वित करायेंगे?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, जिस प्रकार की मुझे सूचना है, उसके आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसका लाभ उन्हें दिया जा रहा है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी माइनारिटीज की संज्ञा दी कि माइनारिटीज का स्कूल है। मान्यवर, मैं उनकी ही बात मानते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वह रजिस्टर्ड संस्था है और उसके इकरारनामें में स्पष्ट लिखा गया है कि शासन की प्रत्येक आज्ञाओं का वह पालन करेंगे। आज तक कितनी आज्ञाओं का पालन उन्होंने किया है, इसकी सूचना दें दें?

(व्यवधान)

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, क्या इस विद्यालय को छूट दे दी गयी है कि उस संस्था में लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून का पालन नहीं किया जायगा। आप वहां के अध्यापकों को स्नातक वेतनक्रम दे दें, स्नातकोत्तर वेतनक्रम दे दें, लेकिन क्या राज्य सरकार जो वेतनक्रम तय करेगी, वह वेतनक्रम वहां के अध्यापकों को दिया जायगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संस्था को इस बात से छूट शासन ने दे दिया है कि विधान मंडल के बनाये हुए कानून का पालन वह संस्था नहीं करेगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न किया और माननीय पंचानन राय जी ने प्रश्न किया। माननीय पंचानन राय जी ने यह समझा कि श्यामलाल बाजपेयी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायगा, तभी पंचानन राय जी ने वही प्रश्न पुनः पूछा, जो बाजपेयी जी ने पूछा था।

(व्यवधान)

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, इस स्कूल में जो वेतनमान दिया जा रहा है, वह वहां के अध्यापकों की योग्यता के आधार पर है, जो शासन के आदेश से अधिक है।

श्री ए0 सी0 ग्राइस–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माइनारिटीज इंस्टीट्यूशन है। यह मानकर ग्राण्ट नहीं मिल रही है। जो एग्रीमेण्ट टीचर्स के साथ है सैलरी और प्राविडेण्ट फण्ड का उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रुलिंग दे दिया है कि जहां प्राविडेण्ट फण्ड मिलता है वहां पर दूसरी चीजें ग्रेच्युटी आदि की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एग्लो इंस्टीट्यूशन में इन सब चीजों का इन्तजाम कर दिया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ हो सके हम लोग भी मदद करने को तैयार हैं यह क्रिश्चियन स्कूल बदनाम न हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंचानन राय और बाजपेयी जी के प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी–

प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, अगर आप सन्तुष्ट हैं तो मैं कुछ नहीं कहता।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, अगर उत्तर से आप सन्तुष्ट हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मान्यवर, सोसायटी रजिस्ट्रेशन जब होता है उसमें यह शर्त होती है कि शासन के प्रत्येक आदेश का पालन करेंगे। मंत्री जी से बतलवा दें कि आज तक कितने आदेशों का अनुपालन इन स्कूलों ने किया है।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अभी तक इस ब्वायज स्कूल को ग्राण्ट इन एड में क्यों नहीं लाया गया? जो नियम दूसरे स्कूलों पर लागू होते हैं वह नियम इस स्कूल के अध्यापकों पर लागू हो जाता, तो कब तक ग्राण्ट इन एड में इसको लाने का आप प्रयास कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह तो अलग प्रश्न है।

श्री सूबेदार सिंह–

ग्राण्ट इन एड तो सभी स्कूलों को दी जाती है चाहे वह माइनारिटी स्कूल हो चाहे जिस प्रकार हो।

श्री अध्यक्ष–

ग्राण्ट इन एड का तो अलग से प्रश्न हो सकता है।

जनपद नैनीताल, तहसील खाटीमा ग्राम पचौरिया में कतिपय व्यक्तियों द्वारा भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*7–श्री खैरुल बशर (अनुपस्थित)–

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल, तहसील खटीमा के अन्तर्गत ग्राम पचौरिया, पो0 आ0 चफरपुर में देवीदत्त, मोहन चन्द्र, मनोरथ तथा कमला कान्त चिनकोटी, भू0 पू0 सैनिक परिवार असिंचित भूमि पर जिसका रकबा 3.4 हेक्टेयर है, सन् 1975 में बस गये तथा 11 अप्रैल, 1975 में इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी नैनीताल को भूमि आवंटन हेतु दिया था? यदि हां, तो यह भूमि उनके नाम अब तक क्यों नहीं की गयी?। क्या डी0 एफ0 ओ0 पीलीभीत द्वारा बार-बार उनके परिवारों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

वन राज्य मंत्री (श्री निर्मय नारायण सिंह)–

केन्द्रीय वृत्त के उत्तरी पीलीभीत वन प्रभाग के जनपद नैनीताल तहसील खाटीमा के अन्तर्गत ग्राम पचौरिया पो0 आ0 चकरपुर में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री देवीदत्त, मोहनचन्द्र, मनोरथ तथा कमलाकान्त चिलकोटी कभी भी नियमानुसार वन भूमि पर नहीं बसे थे। श्री कमलाकान्त चिलकोटी ने उत्तर पीलीभीत वन प्रभाग के उत्तरी वनबसा कम्पार्टमेण्ट-5 जो कि नैनीताल जनपद के खाटीमा तहसील में है, की 3-4 हैक्टेयर वन भूमि 4 वर्ष के लिए वृक्षारोपण हेतु लीज पर खुले नीलाम में दिनांक 8-7-1977 को ली थी। भूमि आवंटन के संबंध में इनका कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 11-4-75 जिलाधिकारी नैनीताल के यहां से प्राप्त नहीं हुआ। शासनादेश सं0–6630/14-2-1975

दिनांक 12-9-1975 द्वारा उत्तर पीलीभीत वन प्रभाग के अन्तर्गत उत्तरी वनबसा कं0 5 की 64 हैक्टेयर भूमि टांगिया पद्धति पर भूमिहीन हरिजन व्यक्तियों को कृषि व वृक्षारोपण हेतु दिये जाने का आदेश था। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रेषित इस सूची में इन व्यक्तियों का नाम नहीं था इसलिये इन्हें उक्त वन भूमि टांगिया पद्धति पर आवंटित नहीं की गयी।

श्री कमलाकान्त चिलकोटी द्वारा ली गयी लीज की अवधि दिनांक 30-6-81 को समाप्त हो गयी है। अतः इन्हें उक्त लीज क्षेत्र पर से हटाने के लिये नियमानुसार नोटिस दिया गया लेकिन उनके परिवार को उजाड़ने का कोई प्रयास अभी तक नहीं किया गया है।

थाना तरयासुजान, जिला देवरिया में पुलिस तथा डकैतों की मुठभेड़ से तीन डकैतों की मृत्यु

*8–श्री हरिवंश सहाय (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना तरयासुजान ग्राम मठिया बुजुर्ग के बाग में 18/19 मार्च, 1981 को बाबू नन्दन उम्र 17 साल, गोरखलाल श्रीवास्तव उम्र 22 साल तथा बदरी उम्र 25 साल को थानाध्यक्ष, तरयासुजान ने जान से मार डाला? यदि हां, तो घटना का विस्तृत विवरण क्या है? 19 मार्च, 1981 से 20 अप्रैल, 1981 के बीच इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना का विवरण निम्न प्रकार है:–

दिनांक 18/19-3-81 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष तरयासुजान अपने हमराही कर्मचारियों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां डकैत श्रवन शुक्ल, ग्राम पिपरा मुस्तफिल अगरवा थाना तरयासुजान के यहां डकैती डालने की योजना बना रहे थे। थानाध्यक्ष ने डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिये कहा परन्तु डकैतों की ओर से गोलियां चलायी जाने लगीं फलस्वरूप पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलायी। गोलियों के आदान प्रदान में 3 डकैत मारे गये शेष भागने में सफल रहे। उपरोक्त तीनों डकैतों को ग्रामीणों द्वारा पहचान किया गया जिनके नाम गोरखलाल उम्र 25 साल बद्री कोइरी उम्र 25 साल एवं बाबू नन्दन उम्र 22 साल है। घटना के सम्बन्ध में थाना तरयासुजान, देवरिया, पर मुकदमा अपराध संख्या 74/81 धारा 399/402/307 भा0 द0 वि0 एवं अपराध सं0–75 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, अपराध संख्या–76 धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं अपराध सं0 77 अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुए। विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट सं0–27, 28, 29 तथा 30 दिनांक 29-5-81 को प्रेषित की गई जो न्यायालय मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कसया के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में मजिस्टीरियल जांच जारी है।

प्रश्नगत अवधि में श्रीमती उमरावती का शिकायती-पत्र दिनांक 22-3-81, प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 9-4-81 एवं श्री चन्द्रिका सिंह अध्यक्ष जिला जनता-पार्टी, देवरिया का शिकायती-पत्र दिनांक 20-4-81 शासन को प्राप्त हुए। उपर्युक्त शिकायती पत्रों में मुख्यतः यह आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक के संबंधी श्री मंगलराय का मृतक बाबू नन्दन के पिता रघुबीर कोइरी से खेत का विवाद चल रहा था इसी रंजिश के कारण तीनों व्यक्तियों को पकड़कर स्थानीय विधायक के घर ले जाकर थानाध्यक्ष ने क्षेत्रीय विधायक से तीनों को जान मारने की स्वीकृति ली और तीनों को ले जाकर गोली से मार डाला।

ये तीनों शिकायती-पत्र जिलाधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजे गये हैं कि मैजिस्टीरियल जांच के दौरान इन पत्रों में उल्लिखित आरोपों की भी जांच करा लें।

*9—श्री विजय सिंह राना—

[दिनांक 21-9-81 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त]।

सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की विशेष अर्हकारी परीक्षा में पांच ज्येष्ठ सहायकों का रोका गया परीक्षाफल

*10—चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि सचिवालय के अवर वर्ग सहायकों की वर्ष 1972 की विशेष अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हुए पांच ज्येष्ठ सहायक ऐसे थे जिनका परीक्षा फल शासन की गलती के कारण रुक गया था? क्या यह सही है कि उस गलती का परिमार्जन कार्यालय ज्ञाप संख्या 4135/20—ई—5—1978 दिनांक 26-6-78 द्वारा किया गया फलस्वरूप जिन 2 कनिष्ठ सहायकों का परीक्षाफल 1974 में ही घोषित किया गया उनको उपरोक्त 5 सहायकों से ज्येष्ठ माना गया? यदि हां, तो क्यों? शासन को उपरोक्त 5 ज्येष्ठ सहायकों के परीक्षाफल घोषित करने में अभी और कितना समय लगेगा? क्या इस संबंध में शासन दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

वर्ष 1972 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कराई गई विशेष अर्हकारी परीक्षा में 295 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। उनमें से आयोग ने 277 को सफल, 8 को असफल, एक को प्रतिवारित तथा 9 को अनर्ह माना। अनर्ह अभ्यर्थियों में से कुछ के प्रत्यावेदन देने पर यह मालूम हुआ कि उन्हें अनर्ह नहीं माना जाना चाहिए था। तद्नुसार 5 अनर्ह व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो कमी थी उसका निराकरण संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26 जून, 1978 द्वारा किया गया और आयोग से उनका अभ्यर्थन स्वीकार करने और उनका परीक्षाफल घोषित करने का अनुरोध किया गया।

एक समादेश याचिका में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय के फलस्वरूप आयोग द्वारा 4 अनर्ह व्यक्तियों का परीक्षाफल पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु प्रसंगत 5 अनर्ह अभ्यर्थियों के संबंध में शासन के उक्त प्रस्ताव पर आयोग द्वारा असहमति व्यक्त कर दी गई है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले को मंत्रि-परिषद् में रखने की आवश्यकता है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इस विषय को मंत्रि-परिषद् में ले जाने पर विचार किया जा रहा है।

ग्राम माधोपुर के जंगल में श्री राम मनोहर की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु

*11—श्री उदल (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 8 या 9 जुलाई, 1981 को राम मनोहर को थाना डलमऊ, रायबरेली की पुलिस रायबरेली स्टेशन से पकड़ ले गयी और उसको तथा दो और व्यक्तियों को माधवपुर जंगल के पास इनकाउण्टर कर दिया है? क्या यह सत्य है कि राम मनोहर चैम्पियन इलेक्ट्रीक वर्क्स लि0 गिल रोड नानकपुरी लुधियाना

में नौकरी करता था और रायबरेली टिकट लेने गया था? क्या उसकी मां ने मा0 मुख्य मंत्री को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 10-7-81 को थानाध्यक्ष डलमऊ द्वारा जिलाधीश रायबरेली को सूचित किया गया कि दिनांक 9/10-7-81 की रात लगभग एक बजे ग्राम माधोपूर के जंगल में बंशी गैंग द्वारा आने जाने वाले वाहनों को रोक कर लूटने की योजना बनाते समय पुलिस मुठभेड़ में बंशी व दो अन्य (नाम, पता अज्ञात) मारे गये। इस घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच की गयी। जांच से मारे गये दो अज्ञात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम राम मनोहर पाया गया। जांच में यह भी पाया गया कि मृतक राम मनोहर दिनांक 17-10-80 से 6-6-81 तक लुधियाना में मजदूर के रूप में कार्यरत था। जांच से उपरोक्त मुठभेड़ की वास्तविकता निश्चित रूप से सिद्ध नहीं हो सकी। इस बीच मृतक की मां का आवेदन-पत्र भी प्राप्त हुआ।

जांचकर्ता मजिस्ट्रेट की संस्तुति के अनुसार इस प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

अशासकीय मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को योग्यतानुसार पदोन्नति के नियम

*12–श्री नरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि वर्तमान समय में शिक्षा विभाग में अशासकीय मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूल के हाई स्कूल में क्रमोन्नत होने पर उसके वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को भी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है जबकि विभाग में ऐसा प्राविधान अन्य पदों के लिये है? यदि हां, तो क्या सरकार अशासकीय मान्यता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को योग्यतानुसार पदोन्नति के नियम बनाने पर विचार करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

*13–श्री चेतराम गंगवार–

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

पुलिस द्वारा श्री नाहर सिंह की हत्या तथा संबंधित पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*14–श्री नन्द किशोर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला आगरा थाना खिनहट की पुलिस ने दिनांक 18 जून, 1980 को नाहर सिंह नवयुवक उम्र 26 वर्ष को शिव चरण डकैत मानकर मार डाला जिसकी रिपोर्ट दिनांक 25 जून, 1980 को डी0 आई0 जी0, आगरा को दी गयी है? यदि हां, तो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस कप्तान, आगरा को सम्बोधित श्री नवाब सिंह पुत्र मुंगाराम, निवासी रटपुरा, थाना फतेहाबाद, जनपद आगरा का प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-6-80 प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी के भाई नाहर सिंह से पुलिस और हुकुम सिंह की साजिश से 3,000/- रु0 छीनने, और रुपये के जुर्म से बचने के लिए नाहर सिंह को मारने का इल्जाम प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना खिनहट

जिला आगरा में अभियोग संख्या–74(अ) हुकम सिंह निवासी ग्राम पुराकरकौली, थाना चिनहट, जिला आगरा तथा थाने के सम्बन्धित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 394/302 पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। विवेचना पूर्ण हो जाने के बाद यथावश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इस बीच कथित मुठभेड़ से संबंधित पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण थाना चिनहट से किया जा चुका है।

*15–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जनपद में छपिया घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*16–श्री दिवाकर विक्रम सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग का माह दिसम्बर, 1979 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक पत्र बाबत बस्ती जनपद में रुधौली बाखेरा मार्ग पर छपिया घाट पर आमी नदी का पुल जनहित में निर्माण कराने हेतु लिखा था? यदि हां, तो पत्र क्या था और क्या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

जी, हां।

छपिया घाट पर पुल निर्माण हेतु स्वीकृति देने के आदेश दिये गये थे।

पुल की स्वीकृति दिनांक 24-4-81 को 8.00 लाख रुपये की लागत पर प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

थाना कोठी, बाराबंकी में दर्ज रिपोर्ट की जांच तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*17–श्री श्यामलाल बाजपेयी–

क्या गृह मन्त्री को पता है कि प्रश्नकर्ता ने 19-4-81 को अण्डर पोस्टल सर्टीफिकेट डाक द्वारा एक पत्र पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के पास भेजा था जिसमें प्रश्नकर्ता ने अपराध संख्या 260 सन् 80 थाना कोठी, बाराबंकी के धारा 395 के उस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया था और जिसकी जांच विशेष अनुसंधान विभाग, बाराबंकी के इंचार्ज ठाकुर हरिनाथ सिंह ने की थी? क्या यह सत्य है कि विशेष अनुसंधान विभाग की जांच में थानाधिकारी, कोठी श्री रामनरेश दोषी पाए गये थे? यदि हां, तो क्या शासन विशेष अनुसंधान विभाग, कोठी बाराबंकी की जांच के आधार पर दोषी अधिकारियों को दंडित करने पर विचार करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ था। जांच में मामले की विवेचना में अनावश्यक विलम्ब तथा लापरवाही के लिए थानाध्यक्ष श्री राम नरेश सिंह तथा पुलिस उपनिरीक्षक श्री राधेश्याम मिश्र दोषी पाये गये जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या माननीय मंत्री जी इस सम्मानित सदन को बतायेंगे कि जिस जांच को ठाकुर हरिनाथ सिंह ने की, वह जांच रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

यह पाया गया था कि इस कार्यवाही में जो पुलिस वालों को करना चाहिए था उसमें काफी देर हो गयी थी। अतः उसी संबंध में जो वहां के पुलिस अधिकारी वर्ग दोषी पाये गये उनके विरुद्ध एस0 पी0 विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं। फैक्ट यह था कि बाराबंकी जिले के कोठी थाने से इसका संबंध है। वहां पर विद्यार्थियों का किसी बस के कण्डक्टर से झगड़ा हुआ। वहां पर आपस में सुलह हो गयी लेकिन जैदपुर में जाकर फिर झगड़ा हुआ लड़कों ने जिन्होंने शीशे वगैरह तोड़ दिए तो बस के कण्डक्टर ने एफ0 आई0 आर0 लाज की तो एस0 पी0 ने निर्देश दिए कि शीघ्र ही इसकी विवेचना की जाय। तो इसमें जो एस0 आई0 को निर्देश दिए थे उसने कहा कि इसकी एनक्वायरी एस0 ओ0 को करनी चाहिए क्योंकि यह बहुत ही संगीन मामला है। इसी वाद विवाद में काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन फिर एस0 पी0 ने आदेश दिए कि एस0 ओ0 स्वयं इस पर कार्यवाही करें और निर्णय लें। तो एस0 पी0 और एस0 ओ0 उसकी जांच कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मैं मान्यवर, अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि जब पांच में उनके कृपा पात्र दोषी पाये गये तब वह जांच दूसरे को सौंप दी गयी। मेरा प्रश्न यह है कि जांच को दूसरे को दिये जाने का क्या कारण था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

पुलिस रेगुलेशन्स की धारा 478 के अन्तर्गत एस0 पी0 जांच कर रहे हैं।

जनपद हरदोई के थाना बेहटा गोकुल में हरिजनों द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*18–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के थाना बेहटा गोकुल में कुछ हरिजनों ने इ0 ग0 56 धारा 147/148/149/324/436 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 9-4-81 को रिपोर्ट लिखायी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

विवेचना से दो अभियुक्त (1) इन्द्रनाथ सिंह पुत्र दुर्विजय सिंह निवासी ग्राम कोढ़ा थाना बेहटा गोकुल जनपद हरदोई तथा (2) मुल्ला रैदास पुत्र चिन्ना रैदास निवासी बघौली जनपद हरदोई प्रकाश में आये जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 29-4-81 को प्रेषित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है।

*19–श्री जयदीप सिंह–

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

पुखरायां तहसील भवन, जिला कानपुर देहात के समक्ष शोषित समाज दल द्वारा किए गए प्रदर्शनों का मांग पत्र

*20–श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें एस0 डी0 एम0, भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात द्वारा व राजपुर क्षेत्र, जिला कानपुर देहात के विधायक द्वारा 3 जून, व 16 सितम्बर, 1981 को पुखरायां तहसील भवन, जिला कानपुर देहात के समक्ष

शोषित समाज दल द्वारा किये गये प्रदर्शनों का मांग-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

जी हां। केवल 16 सितम्बर, 1981 का मांग-पत्र प्राप्त हुआ है।

प्रमुख मांगें–

(1) अनुसूचित/जन जातियों के लिये आरक्षित सीटों की वर्तमान चुनाव प्रणाली ठीक की जाय तथा उनके लिये नौकरियों में भी आरक्षण पूर्णरूप से किया जाय।

(2) आठवीं कक्षा तक शिक्षा अनिवार्य व सारी शिक्षा निःशुल्क की जाय।

(3) कृषि से सम्बन्धित सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जायं।

(4) भूमिहीन हरिजनों को इंसानी बस्ती बनाकर बसाया जाय।

(5) पाइराइट्स पर आधारित सारे उद्योग लगाये जायं।

(6) कानपुर देहात जिले का मुख्यालय पुखरायां में बनाया जाय आदि,

सम्बन्धित सचिवों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उद्धरण भेजे जा चुके हैं।

चूंकि ज्ञापन में उल्लिखित विषयों का सम्बन्ध शासन के कई विभागों से है, इस लिए यदि माननीय सदस्य उनके विषय में जानकारी चाहते हैं, तो अलग से नोटिस की आवश्यकता होगी।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में आयोग के गठन में विलम्ब

**1–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश के अन्तर्गत आयोग का गठन कब तक होने जा रहा है? आयोग के गठन में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं?

श्री सच्चिदानन्द–

आयोग के गठन की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। इसके गठन में कुछ समय और लगेगा। मामला महत्वपूर्ण है जिससे इसे विधिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय दृष्टि से भलीभांति देखा जाना आवश्यक है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में आयोग के गठन के विलम्ब में 3 कारण बताये गये हैं। विधिक, प्रशासनिक और वित्तीय। लेकिन पिछले बजट में धन उसको लेजिस्लेचर पास कर चुका है और नया बजट सदन के सामने है, इसलिए पिछला धन लैप्स हो जायेगा। अध्यादेश एक बार जुलाई, 81 में जारी हुआ फिर दुबारा जारी किया गया। अध्यादेश जब जारी किया जाता है जबकि अरजेन्सी होती है। इसलिए कानून बना हुआ है और पैसे की व्यवस्था हो चुकी है, प्रशासनिक बात इसमें है नहीं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयोग के गठन में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि वित्तीय कठिनाई है या विधिक कठिनाई है? इसका जवाब दे दें।

श्री सच्चिदानन्द–

नियुक्तियों के पूर्व अध्यक्ष और सदस्यों के देय वेतन भत्ते, अन्य सुविधाएं एवं सेवा शर्तों के अनुसार निर्णय लिया जाना आवश्यक होता है और यह प्रश्न शासन के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इसके बाद ही आयोग का गठन हो सकेगा।

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्न समय समाप्त हो गये।

श्री पंचानन राय–

सदस्यों का वेतन 2,500 रुपये, अध्यक्ष का 3,000 रुपये और क्लर्क का वेतन पिछले बजट में पास है और प्राविधान है। इसलिए लेजिस्लेचर ने जो पास कर दिया है उसके ऊपर मंत्री क्या अलग से कोई सुविधा निर्धारित कर रहे हैं जिसके लिए सदय की आवश्यकता है?

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब दे दिया गया है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, जब सदन ने पारित कर दिया है कि वेतन की दर क्या होगी और कितना धन व्यय होगा तो उसके बाद मंत्री जी कौन सी सुविधाएं तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा वेतन भत्ते तय करने में कठिनाई हो रही है लेकिन वह पिछले बजट में सदन ने पारित कर दिया है, तो क्या मंत्री जी उसको घटाने और बढ़ाने की सोच रहे हैं?

श्री सच्चिदानन्द–

सेवा की शर्तें क्या होनी हैं, किस प्रकार रखा जाय इस पर विचार हो रहा है?

श्री पंचानन राय–

सवाल कुछ और जवाब कुछ है।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर में कहा है कि जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता है तो उस समय तक जो नियुक्तियों का प्राविधान है उसमें प्रोन्नति के द्वारा पद भरने का प्रश्न शामिल है कि नहीं?

श्री सच्चिदानन्द–

जब तक आयोग का गठन नहीं हो जाता है उस समय तक नियुक्तियों के संबंध में स्पष्ट आदेश है कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के पास एप्लीकेशन्स आयेंगी और उसमें योग्यता को देखते हुए एडहाक एपाइन्टमेण्ट दे दिये जायं जब तक स्कूल चले।

श्री चेतराम गंगवार–

मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे और उनकी योग्यता क्या होगी?

श्री अध्यक्ष–

यह तो अधिनियम में दिया हुआ है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, कितना वेतन होगा यह चीज पिछले बजट में तय हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

वह तो उन्होंने बता दिया है।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, क्या योग्यता होगी और क्या सेवा शर्तें होंगी यह तो जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें लिखा है। जो शर्तें निर्धारित की गयी हैं क्या उसमें सरकार परिवर्तन करने पर विचार कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है और विचार करने के उपरांत इस सेवा आयोग का गठन कर दिया जायगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह–

मैं जानना चाहता हूं यह अध्यादेश लागू होने के बाद कितनी अन्तरिम नियुक्तियां की गयी हैं?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बिल्कुल अलग प्रश्न है।

श्री प्रभूनारायण सिंह–

यह इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पढ़ें, "क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में हाल ही में जारी किये गये अध्यादेश के अन्तर्गत आयोग का गठन कब तक होने जा रहा है। आयोग के गठन में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या है।" आप पूंछ रहे हैं कि कितने अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं हैं। आपका प्रश्न इससे अलग है। आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, नियुक्तियों पर अप्रैल, 1981 में रोक लगा दी गयी इसलिए कि आयोग बनना था। जलाई, 1981 में अध्यादेश जारी कर दिया गया। तो आयोग का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं यह जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद के एक अखबार ने यह प्रकाशित किया है कि शिक्षा मंत्री किसी खास आदमी को कमीशन का अध्यक्ष नियक्त करना चाहते हैं और विविध दृष्टि से वह अर्ह नहीं है। क्या इसकी छानबीन कराने में विलम्ब हो रहा है?

श्री सच्चिदानन्द–

मान्यवर, अखबार की खबर की नोटिस हमने नहीं ली है और जहां तक आयोग के गठन की बात है जैसा मैंने निवेदन किया यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर शीघ्र निर्णय लिया जायगा।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, 5 हजार स्कूलों में नियुक्तियां रूकी हैं।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह दिया है कि जल्दी निर्णय लेंगे।

श्री पंचानन राय–

आयोग का गठन सरकार ने अब तक नहीं किया है केवल 9 आदमियों के नाम तैयार करने हैं। प्रदेश भर में प्रचार हो रहा है कि शिक्षा मंत्री जानबूझ कर कमीशन को बनाना नहीं चाहते हैं। क्या आयोग बनाने के अपने निर्णय से सरकार पीछे हटने का विचार कर रही है?

श्री सच्चिदानन्द–

पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

नोट:–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदेश के आई० ए० एस० अधिकारियों को बंगले का आवंटन

1—श्रीमती धनेश्वरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने आई० ए० एस० अधिकारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग के बंगलों (मकान) का आवंटन किया गया है? आवंटित बंगले (मकान) में कितने सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी रह रहे हैं? क्या इस स्थिति को माननीय मंत्री जी अलग-अलग नाम व बंगले (मकान) के पते के साथ स्पष्ट करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रदेश के 136 आई० ए० एस० अधिकारियों को बंगले (मकान) आवंटित हैं। इनमें 4 सेवा निवृत्त आई० ए० एस० अधिकारी रह रहे हैं। प्रत्येक का अलग-अलग नाम, बंगले (मकान) के पते सहित सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 249–252 पर।)

सण्डीला–गौसगंज मेंहदीघाट मार्ग का निर्माण तथा प्रगति

2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद में सण्डीला, गौसगंज मेंहदीघाट मार्ग का निर्माण कब शुरू हुआ था तथा अब तक की प्रगति रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

सण्डीला–गौसगंज मेंहदीघाट मार्ग पर दिसम्बर, 1972 में कार्य प्रारम्भ किया गया था। कार्य की प्रगति लगभग 75 प्रतिशत है।

जनपद खीरी लखीमपुर स्थित ग्राम मुडिया के श्री राम स्वरूप एवं मन्ना की गुमशुदगी

3—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या यह मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी लखीमपुर स्थित ग्राम मुडिया (दानपुर) के दो व्यक्ति (श्री राम स्वरूप एवं मन्ना) लगभग दो वर्ष पूर्व कत्ल कर दिये गये? क्या यह सही है कि क्षेत्रीय पुलिस उनको गायब दिखाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराकर सारे तथ्य प्रकाश में लायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना नीमगांव पर क्रमशः 13-8-80 तथा 31-8-80 को लिखाई गयी थी। उक्त प्रकरणों की विवेचना दरयाफ्त हाल द्वारा स्थानीय पुलिस ने प्रारम्भ की। अब तक की विवेचना से दोनों व्यक्तियों की गुमशुदगी संदेहात्मक अवश्य है किन्तु कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे हत्या की निश्चित पुष्टि हो सके। स्थानीय पुलिस द्वारा मामले में अकर्मण्यता बरतने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। वास्तविक तथ्य ज्ञात करने का प्रयास जारी है। अभी तक कोई ऐसा बिन्दु प्रकाश में नहीं आया है जिसके निराकरण हेतु सी० आई० डी० जांच की आवश्यकता समझी जा सके।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर पड़ने वाले पुलों पर टोल कलेक्शन हेतु स्टाफ तथा शैक्षिक योग्यता

4–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की सड़कों पर पड़ने वाले पुलों पर टोल कलेक्शन के लिए कितना स्टाफ सामान्यतः सैंक्शन किया है तथा उस स्टाफ की शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित है और क्या टोल बैरियर भैंसाई पुल, जिला बहराइच पर केवल एक लिपिक और तीन गार्ड 14-7-1977 से 10-5-78 तक तैनात किए गये थे? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर पड़ने वाले पुलों पर टोल कलेक्शन हेतु एक कैशियर कम एकाउन्टेण्ट व दो टोल कलेक्शन क्लर्क, जिनकी शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित है तथा 3 गार्ड जिनके लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है, के पद स्वीकृत है। भैंसाई नाला सेतु, जिला बहराइच पर दिनांक 14-7-77 से 10-5-78 तक केवल एक लिपिक तथा 3 गार्ड, स्टाफ में स्टाफ की कमी के कारण तैनात किये जा सके।

गृह सचिव शाखा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वीकृत मोटर साइकिल एवं स्कूटर एडवान्स

3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि गृह सचिव शाखा में अनुभाग अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में मोटर साइकिल/स्कूटर एडवान्स दिया गया है? क्या उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों से वाहन क्रय करने सम्बन्धी रसीद प्रस्तुत करने सहित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है? यदि नहीं, तो कौन-कौन से ऐसे अधिकारी/कर्मचारी है जिन्होंने अभी तक वाहन क्रय करने की रसीद प्रस्तुत नहीं की है? यदि ऐसा है, तो उत्तरदायी अनुभाग अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सरला कुमारी बख्शी–

गृह सचिव शाखा में 54 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्ष 1978-79, 1979-80 एवं 1980-81 में मोटर साइकिल/स्कूटर एडवान्स स्वीकृत किया गया था।

51 अधिकारियों व कर्मचारियों ने वाहन क्रय करने सम्बन्धी आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर ली है।

शेष 3 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त एडवान्स की सम्पूर्ण धनराशि व्याज सहित शासन को लौटा दी है।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत ऊसर क्षेत्रों में वृक्षारोपण

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली ऊसर बंजर जमीन के उपयोग के बारे में शासन कोई योजना तैयार कर रहा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री निर्भय नारायण सिंह–

जी नहीं। लेकिन विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ बीच में पड़ने वाले ऊसर क्षेत्रों में भी जहां तक सम्भव है वृक्षारोपण किया जा रहा है।

राजकीय कन्या विद्यालय फरिहा (मैनपुरी) की जीर्ण-शीर्ण इमारत तथा मरम्मत के आदेश

7–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी की बेसिक शिक्षा परिषद् के राजकीय कन्या विद्यालय फरिहा वि0 क्षे0 खैरागढ़ के भवन की दशा जीर्ण शीर्ण है जिसके गिर जाने से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है? यदि यह सच है तो उसकी दशा ठीक कराने में कितना समय लगेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां। वर्ष 1961 में बने बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा, संचालित प्राइमरी कन्या विद्यालय, फरिहा, वि0 क्षे0 खैरागढ़ के भवन के एक बरामदे का लिन्टर, बीमों सहित नीचे को झुक गया है बरामदे का प्लास्टर भी समाप्त हो चुका है। अन्य दो कमरों का भी प्लास्टर नहीं रह गया है विद्यालय की अध्यापिकाओं को आदेश दिया जा चुका है कि वे छात्राओं को खतरनाक भवन में कदापि न बिठायें और शिक्षण कार्य चहार-दिवारी से घिरे विद्यालय के प्रांगण में करें। स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए, जिला परिषद् को, आवंटित धनराशि से, इस विद्यालय के भवन को शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत के आदेश 8 जनवरी, 1982 को दिये जा चुके हैं।

श्री सुनहरी लाल, प्रधानाध्यापक की सुरक्षा की व्यवस्था के आदेश

8–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के 29 जनवरी, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुनहरी लाल, प्रधानाध्यापक की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों? क्या शासन सुरक्षा की व्यवस्था कराने के आदेश देंगी? यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनहरी लाल के जीवन के भय की पुष्टि नहीं हुई। अतः उनके साथ अंग रक्षक की नियुक्ति किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली में संशोधन करने पर निर्णय

9–श्री खैरुल बशर तथा श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निर्मित उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियमावली, 1980 की भांति ही उ0 प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा तथा अन्य शर्तें नियमावली, 1975 को अब तक पूर्ण एवं विस्तृत क्यों नहीं बनाया जा सका है? नियमावली, 1975 को पूर्ण एवं विस्तृत बनाये जाने की दशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? और यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जाने की आशा है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 द्वारा नियमावली 1975 में संशोधन किया गया। सम्यक विचारोपरान्त पुनः संशोधन करने के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

10–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

11–श्री राम आसरे वर्मा–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ग्रीष्मावकाश हेतु बंद करने के निर्देश

12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मई, 1981 के द्वितीय सप्ताह में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ ने जनपद लखनऊ की सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ग्रीष्मावकाश हेतु दिनांक 20-5-81 से बंद करने के निर्देश दिये थे? यदि हां, तो क्या उक्त निर्देशों का पालन प्रगति आश्रम हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ द्वारा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

इंस्पेक्टर कोतवाली, बाराबंकी श्री ए0 के0 सिंह का स्थानान्तरण

13–श्री श्यामलाल बाजपेयी–

क्या गृह मंत्री जी को पता है कि उन्हीं के आदेश से इंस्पेक्टर कोतवाली बाराबंकी श्री ए0 के0 सिंह का तबादला शाहजहांपुर हुआ था और क्या यह भी सत्य है कि उक्त इन्सपेक्टर से जबरन चार्ज लिया माना गया था, क्योंकि वह चार्ज नहीं देना चाहते थे? क्या यह सत्य है कि वह निरन्तर तबादला रुकवाने के प्रयास में सचिवालय दौड़ने के साथ कोतवाली बाराबंकी के आवास पर प्रश्न देने की तिथि तक कब्जा जमाए रहे? क्या यह सत्य है कि उक्त इन्सपेक्टर ने शाहजहांपुर में ज्वाइन करके छुट्टी ले ली थी और लखनऊ में तबादला रोकवाने में जुट गया था? क्या यह भी सत्य है कि उक्त इन्सपेक्टर का तबादला फैजाबाद डिवीजन फिर कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

14–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

मिल में नियुक्तियों हेतु सामान्य नीति के अपनाये जाने हेतु कार्यवाही

15–श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-4-76 को तत्कालीन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को अकबरपुर, फैजाबाद स्थिति यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 ग्रुप नं0 1 के सम्बन्ध में उक्त क्षेत्र के विधायक द्वारा लिखे गये पत्र पर क्या कार्यवाही आज तक हुई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)–

प्रश्नगत पत्र में अंकित मामले पर विचार हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 13-4-76 को बुलाई गई थी, जिसमें मिल में नियुक्तियों से सम्बधित सामान्य नीति के अपनाये जाने की संस्तुति के अनुसार ही समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है।

16–श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री वीरेश्वर नाथ जैन, प्रधान लिपिक, कार्यालय मंडलीय बालिका विद्यालय झांसी के विरुद्ध अनियमितताओं एवं रिश्वत खोरी का आरोप

17–श्री राम आसरे वर्मा

क्या यह सही है कि श्री वीरेश्वर नाथ जैन, प्रधान लिपिक, कार्यालय मंडलीय बालिका विद्यालय, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं रिश्वत खोरी से संबंधित 12 आरोपों का एक शिकायती पत्र मा0 शिक्षा मंत्री, माननीय राज्य शिक्षा मंत्री को श्री रघुबीर शरण गड्ढ़, अध्यापक, राजस्व माध्यमिक शिक्षा संघ, झांसी की ओर से मार्च-अप्रैल, 1981 में उनके झांसी आगमन पर दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कताई मिल सन्डीला, जिला हरदोई में टेकनिकल एवं नानटेकनिकल कर्मचारियों की संख्या

18–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय वस्त्र उद्योग निगम द्वारा संचालित कताई मिल सन्डीला, जिला हरदोई में टेकनिकल एवं नानटेकनिकल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, इनमें कितने हरदोई जिले के हैं और कितने बाहरी?

श्री नियाज हसन खां--

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम द्वारा संचालित कताई मिल सन्डीला जिला हरदोई में टेक्निकल कर्मचारियों की कुल संख्या 1268 है जिसमें 1183 टेक्निकल तथा 85 नान-टेक्निकल हैं इनमें 448 कर्मचारी हरदोई जिले के हैं तथा शेष 820 कर्मचारी बाहरी जिले के हैं।

कजरहट चुनार सीमेण्ट कारखाने हेतु वहां के व्यक्तियों की ली गयी भूमि तथा उनको नियुक्ति में प्राथमिकता

19–श्री कल्लू राम–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर, चुनार, कजरहट सीमेण्ट कारखाने के लिये कितने व्यक्तियों की भूमि कारखाने द्वारा ली गई है? क्या यह शासन का आदेश था कि इस कारखाने में जब नियुक्ति होने लगेगी तो सर्व प्रथम उन लोगों की नियुक्ति होगी जिनकी भूमि कारखाना द्वारा ली जा रही है और जो मिर्जापुर के निवासी हैं? यदि हां, तो मिर्जापुर के कितने निवासियों की नियुक्ति की गई? यदि नहीं की गई तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

कजरहट चुनार सीमेण्ट कारखाने के लिये कुल 240 व्यक्तियों की भूमि कारखाने द्वारा ली गयी है।

जिनकी भूमि ली गयी थी उनमें से 178 व्यक्तियों को नियमित रूप से नियोजित किया गया है और एक व्यक्ति को आकस्मिक कर्मकार के रूप में नियोजित किया गया है।

जिन व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सका उनका विवरण निम्नांकित है:–

(1) 5 व्यक्ति–मृत्यु के कारण।
(2) 9 व्यक्ति–दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण सेवायें समाप्त कर दी गयी।

(3) 12 व्यक्ति–अपने रिश्तेदारों को नियोजित कराना चाहते थे।
(4) 12 व्यक्ति–अनिच्छा व्यक्त की।
(5) 2 व्यक्ति–चिकित्सकीय रूप से अयोग्य थे।
(6) 21 व्यक्ति–अव्यस्क होने के कारण मिर्जापुर के 78 व्यक्तियों को नियमित नियोजन दिया जा चुका है।

मिर्जापुर राबर्ट्सगंज में कर्मनाशा नदी पर पुल निर्माण

20–श्री कल्लूराम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर राबर्ट्सगंज में कर्मनाशा नदी पर (पकरहट) का पुल बनाने के लिये अभी तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

मिर्जापुर राबर्ट्सगंज में पन्नूगंज वैनी मार्ग के किलोमीटर 8 में कर्मनाशा नदी पर काजवे निर्माणाधीन है। अब तक तीन पिलर्स की नींव की कान्क्रीटिंग हो चुकी है। सीमेण्ट उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य आगे कराया जायगा।

मिर्जापुर राबर्ट्सगंज में कोट-कोन मार्ग पर कनहर नदी में पुल निर्माण

21–कल्लू राम–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मिर्जापुर राबर्ट्सगंज में कोन-कोन मार्ग पर कनहर नदी में पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

धनाभाव के कारण स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

22–श्री मित्रसेन, श्रीगोपीनाथ वर्मा, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार यादव–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अभिसूचना विभाग मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण

23–श्री खैरुल बशर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिसूचना विभाग मुख्यालय में ऐसे कितने अधिकारी व कर्मचारी हैं जिनको उसी स्थान पर पांच वर्ष से लेकर बीस वर्ष तक हो गये हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को अविलम्ब स्थानान्तरित करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

अभिसूचना विभाग मुख्यालय में ऐसे 4 राजपत्रित अधिकारी तथा 46 अराजपत्रित कर्मचारी एवं 87 अराजपत्रित लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं जिनको इसी अभिसूचना विभाग मुख्यालय में नियुक्त रहते हुये 5 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है। इनमें से कुछ अधिकारी/कर्मचारी का सीट/अनुभाग का परिवर्तन अभिसूचना मुख्यालय के भीतर ही किया जाता रहा है। अभिसूचना विभाग की विशेष कार्य पद्धति, गोपनीयता एवं कार्यदक्षता के दृष्टिगत उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण प्रशासनिक हित में नहीं होगा ।

मिर्जापुर जिले के दूद्धी म्योरपुर मार्ग पर लउआ नदी पर पुल निर्माण

24–श्री विजय सिंह (मिर्जापुर)–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के दूद्धी म्योर मार्ग पर लउआ नदी पर पुल बनाने हेतु धनराशि स्वीकृत की है और टेण्डर भी हो चुका है? यदि हां, तो अभी तक कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

म्योरपुर–बभनी मार्ग में लघु सेतुओं का निर्माण

25–श्री विजय सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि म्योरपुर बभनी मार्ग कब बना है और उक्त मार्ग में कितने पुलों का निर्माण होना है? क्या इन पुलों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत है? यदि हां, तो अभी तक कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ?

श्री अम्मार रिजवी–

21.375 कि0मी0 की लम्बाई में स्वीकृत प्रश्नगत मार्ग में से 20.775 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य जून, 1981 तक पूर्ण हो चुका था शेष कार्य प्रगति पर है।

12 लघु सेतुओं का निर्माण होना है।

जी हां, कार्य प्रारम्भ हो गया है।

बभनी–चपकी बीजपुर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति

26–श्री विजय सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बभनी चपकी बीजपुर मार्ग के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत है? यदि हां, तो धनराशि कब स्वीकृत हुई है और अभी तक कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

वर्ष 1971 में प्रारम्भ हो चुका है।

बुन्देलखण्ड व प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का औसत अनुपात

27–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् 1947, 1957, 1980 इन तीन वर्षों में बुन्देलखण्ड व प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का औसत क्या रहा है तथा इनमें क्या अनुपात रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–

वर्ष 1948-49 से ही प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े तैयार किये जाते रहे हैं, अतः वर्ष 1947 के ये आंकड़े उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1957-58 तथा वर्ष 1979-80 में प्रदेश की औसत प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर क्रमशः 229 रुपये एवं 981 रुपये थी। प्रति व्यक्ति आय के अनुमान क्षेत्रवार नहीं तैयार किये जाते हैं, अतः बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में ये आंकड़े देना अथवा उसकी प्रति व्यक्ति आय और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का अनुपात देना सम्भव नहीं है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बुन्देलखण्ड में उद्योगों की स्थापना तथा दी गयी वित्तीय सहायता

28–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि खादी ग्रामोद्योग विकास योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में कब तक किस किस प्रकार के उद्योग लगाये जाने का प्राविधान है और सरकार की ओर से क्या क्या सुविधायें उद्यमी लोगों को देने का विचार है?

श्री नियाज हसन खां–

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बुन्देलखण्ड में निम्न प्रकार की उद्योग इकाईयों की स्थापना करने का प्राविधान वर्ष 1981-82 हेतु किया गया है:–

1–खादी, 2–अनाज दाल प्रशोधन, 3–गुड़, 4–तेल, 5–चर्म, 6–कुम्हारी, 7–ताल वस्तु, 8–माचिस, 9–काष्ठ कला, 10–रेशा, 11–चूना, 12–गोंद, 13–बांस बेंत, 14–मधुमक्खी पालन, 15–हाथ कागज और 16–कत्था ।

खादी बोर्ड द्वारा ग्रामीण उद्योगों को 4 प्रतिशत ब्याज पर वित्तीय सहायता आसान किश्तों पर दी जायेगी। इकाइयों को बिक्री कर, चूंगी आदि से छूट दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों को विभिन्न ग्रामोद्योगों में प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद बांदा में थाने एवं पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव

29–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में वित्तीय वर्ष 1981-82 में किस-किस स्थान पर थाने एवं पुलिस चौकियां खोलने का प्रस्ताव है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद बांदा सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में संहत रूप से 203 नये थाने एवं 50 रिपोर्टिंग चौकियों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में दी गई है। इनमें से दो रिपोर्टिंग एवं इंवेस्टीगेटिंग चौकी (1) चिल्ला तथा (2) चित्रकूट धाम की स्वीकृति जनपद बांदा में दी गई है। अन्य किसी थाने/चौकी के खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय, बांदा में स्नातक स्तर पर कामर्स की कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव

30–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा स्थित पं0 जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय में बी0 ए0 (कामर्स) की कक्षाएं खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कक्षाएं कब तक खुल जाने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी चौनिहाल सिंह–

जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय बांदे को स्नातक स्तर पर कामर्स में क्लियरेन्स प्रदान करने का कोई मामला सम्प्रति शासन के विचाधीन नही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गृह सचिव शाखा के अधिष्ठान अनुभाग में कार्यरत अनुभाग अधिकारी/प्रवर वर्ग सहायकों का स्थानान्तरण तथा उनके विरुद्ध शिकायती-पत्र

31–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कार्मिक मंत्री को ज्ञात है कि गृह सचिव शाखा के अधिष्ठान अनुभाग में ऐसे अनुभाग अधिकारी/प्रवर वर्ग सहायक हैं, जो वहां पर 1974 या इससे पूर्व से कार्यरत हैं? क्या सरकार ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को नियमानुसार अविलम्ब दूसरी शाखा में स्थानान्तरण करने की तत्काल कार्यवाही करेगी जिन्हें एक अनुभाग में कार्य करते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

गृह सचिव शाखा का अधिष्ठान संबंधी कार्य गृह (पुलिस) अनुभाग-8 में होता है, यहां वर्ष 1974 या इससे पूर्व से अनुभाग अधिकारी कार्यरत नहीं हैं। इस अनुभाग में एक प्रवर वर्ग सहायक जून, 1974 से कार्यरत है। सामान्यतः 5 वर्ष के पश्चात् अनुभाग अधिकारी का एवं 10 वर्ष के पश्चात् प्रवर वर्ग सहायक का प्रशासनिक औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र स्थानान्तरण किया जाता है। इसी नीति के अनुरूप गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के अनुभाग अधिकारी/प्रवर वर्ग सहायक के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

32--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कार्मिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1980 से मार्च, 1981 तक गृह सचिव शाखा के अधिष्ठान अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

प्रश्नगत अवधि में गृह सचिव शाखा के अधिष्ठान अनुभाग के केवल एक अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच के उपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। उक्त अनुभाग के किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अवधि में कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

ग्राम लीलाखेड़ा एवं हसनखेड़ा के निवासियों को पुलिस द्वारा मारने पीटने की शिकायत तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों का स्थानान्तरण

33--श्री राम आसरे वर्मा--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-3-81 के संयुक्त प्रार्थना-पत्र में ग्राम लीलाखेड़ा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ की घटना का उल्लेख था और वहीं के लोगों को मारा पीटा गया था एवं प्रश्न भी उसी से सम्बन्धित था तो प्रश्नोत्तर में हसनखेड़ा की घटना का उल्लेख क्यों किया गया? ग्राम लीलाखेड़ा की घटना की जांच का क्या परिणाम निकला? क्या पुलिस कर्मचारी के नशे में होने की बात सही पायी गयी? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मचारियों को प्रमुख दंड क्या दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 14-3-81 को थाना काकोरी के पुलिस के विरुद्ध ग्राम लीलाखेड़ा एवं ग्राम हसनखेड़ा दोनों ही ग्रामों के निवासियों को मारने पीटने आदि की शिकायत संयुक्त प्रार्थना-पत्र में की गयी थी। पूरे मामले की जांच करने पर केवल एक कांस्टेबिल भुल्लन सिंह दोषी पाया गया जिसे आदेश कक्ष में दंडित करने के उपरान्त थाना काकोरी से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है। जांच के दौरान कांस्टेबिल भुल्लन सिंह के बारे में शराब पीने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। शेष कर्मचारियों के नशे में होने की बात के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं दिया।

34--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

35--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

[माननीय सदस्य ने वापस लिया]

36–श्री विजय सिंह राना–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कितने किलोमीटर मार्ग स्वीकृत हुए और उनमें से कितना मार्ग पूरा हो गया है और कितने पर कार्य चल रहा है और यह कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जिला आगरा में वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 319.085 कि0 मी0 लम्बे मार्ग स्वीकृत हुए थे।

नवम्बर, 1981 तक स्वीकृतियों के अनुसार 254.085 कि0 मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष भाग पर कार्य का पूर्ण होना, धन, भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री ताजदार जकी खां, जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा का स्थानान्तरण

37–श्री विजय सिंह राना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री ताजदार जकी खां का स्थानान्तरण उनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी क्यों नहीं किया गया? क्या निकट भविष्य में नियमानुसार उनका स्थानान्तरण किया जायगा? यदि हां तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

श्री ताजदार जकी खां, जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को शासनादेश दिनांक 3 अगस्त, 1981 द्वारा स्थानान्तरित किया गया था किन्तु उनके स्वास्थ्य की स्थिति के कारण उक्त स्थानान्तरण को कुछ समय हेतु स्थगित कर दिया गया था।

कालान्तर में श्री खां को दिनांक 29-10-81 से जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा के पद से स्थानातरित किया जा चुका है।

जनपद आगरा में कला लेखड़िया क्वींस मार्ग पर कोलतार लेपन का कार्य

38–श्री विजय सिंह राना–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में कला लेखड़िया क्वींस मार्ग पर कोलतार लेपन का कार्य स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका इण्टर कालेज, ताजगंज, आगरा में अध्यापकों के स्थायीकरण की कार्यवाही

39–श्री विजय सिंह राना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के नगर महापालिका इण्टर कालेज, ताजगंज (ब्लाक) में कितने अध्यापक ऐसे हैं जो 15 और 20 वर्ष से बराबर सेवा कार्य कर रहे हैं फिर भी उनको स्थायी नहीं किया गया है? क्या शासन अब उन्हें स्थायी करके उनकी पूर्व सेवावधि की सुविधाएं यथानुसार उपलब्ध करायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत विद्यालय में कार्यरत 23 अध्यापकों में से (प्रधानाचार्य सहित) एक भी अध्यापक स्थायी नहीं है। इनमें से अधिकांश अध्यापक 15-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। महापालिका आगरा द्वारा इन अध्यापकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जावेगी यह निश्चित रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। स्थायीकरण के उपरान्त उक्त अध्यापकों को पूर्व सेवावधि की सुविधाएं नियमानुसार प्राप्त होंगी।

गांव नेवादा में दक्षिण तरफ से प्रस्तावित बाई-पास हेतु भूमि अध्याप्ति तथा बाजार ताड़ी, कुवार, असवारी में पक्के मार्ग का निर्माण

40--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर जमालापुर मार्ग वाराणसी में गांव नेवादा में दक्षिण तरफ से बाई-पास आज से असी 4/5 वर्ष पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रस्तावित किया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यह बाई-पास इसलिये प्रस्तावित किया गया कि बाजार नेवादा में सड़क सकरी है और दोनों तरफ सैकड़ों मकान गिराने पड़ेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

जी हां, सड़क टेढ़ी-मेढ़ी भी है।

41--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर जमालापुर मार्ग में बाजार नेवादा के दक्षिण बाई-पास के लिये जमीन एक्वायर कराने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने एक्वीजीशन का केस बनाकर जिलाधीश वाराणसी को सन् 1980 व 1981 में भेज दिया है? यदि हां, तो अब तक जमीन एक्वायर हुई कि नहीं?

श्री अम्मार रिजवी--

अध्याप्ति निकाय द्वारा भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, संयुक्त संगठन, वाराणसी को जनवरी, 1980 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु आपत्तियों के निवारण हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा उसे दो बार वापस कर दिया गया है। ग्राम नेवादा बर ही कला में संरेखन में संशोधन का मामला विचाराधीन होने के कारण भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

जी नहीं।

42--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाबतपुर जमालापुर मार्ग वाराणसी में कहां-कहां बाई-पास प्रस्तावित करके जमीन एक्वायर करने हेतु जिलाधीश को केस बनाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने भेजा है? क्या सरकार बाई-पास बनवायेगी या सभी बाजारों ताड़ी, कुवार, असवारी आदि के बीच से ही ले जायेगी?

श्री अम्मार रिजवी--

कुवार, ताड़ी एवं नेवादा में बाई-पास प्रस्तावित करके भूमि अध्याप्ति का प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी वाराणसी को भेजा गया था।

बाजार ताड़ी, कुवार एवं नेवादा में बाई-पास तथा बाजार असवारी में आबादी के बीच जाने वाले वर्तमान कच्चे मार्ग पर पक्का मार्ग बनाना प्रस्तावित है।

वाराणसी में गांव बराई से कठिरांव तक मार्ग का निर्माण

43—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेई वाया कुवार, कठिरांव मार्ग वाराणसी में गांव बराई से कठिरांव तक करीब 4 किलोमीटर तक अभी गिट्टी (खड़ंजा) तक नहीं गिराई गयी है? यदि हां, तो उक्त मार्ग को कैसे पूर्ण मान कर कहा गया है कि सिर्फ एक किलोमीटर ही खड़ंजा नहीं लगा है जब कि अनेई व कुवार के बीच में भी एक किलोमीटर से ऊपर कार्य बाकी है? क्या सरकार कृपया इसकी जांच करेगी?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां,

कदाचित कहीं ऐसा नहीं कहा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

पिंडरा-कठिरांव मार्ग, वाराणसी में बाई-पास हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही

44—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा—कठिरांव मार्ग वाराणसी के गांव रामपुर में बाई-पास अधूरा है? यदि हां, तो उसको पूर्ण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां,

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के टेक्निकल आडिट सेल के अधिकारी द्वारा वाराणसी में सड़कों के निर्माण की जांच

45—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 29, 30 सितम्बर तथा 1 अक्तूबर 1981 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश टेक्निकल आडिट सेल के एक अधिकारी वाराणसी में सड़कों के निर्माण तथा मैटीरियल व मानक में किए कार्यों की जांच में गये थे? यदि हां, तो उन्होंने किन-किन मार्गों का निरीक्षण किया, कहां-कहां त्रुटियां पकड़ी और उनकी रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां, उनके द्वारा निम्नलिखित 12 मार्गों पर एकत्रित की गई सामग्री का सामान्य प्राविधिक निरीक्षण किया गया था:—

1—बावतपुर जमालपुर मार्ग
2—बावतपुर बलआ मार्ग वाया चौबेपुर
3—सिटी सारनाथ मार्ग
4—गंगापुर इण्टर कालेज मार्ग
5—मोहन सराय—गंगापुर—मोती-कोट मार्ग
6—रोहनिया—गंगापुर मार्ग
7—रथयात्रा क्रासिंग—भुल्लनपुर मार्ग
8—लहरतारा कोटवां—कोरउपररापुर अकैलवा मार्ग
9—मातलदेई मार्ग
10—मोहन सराय मातलदेई मार्ग

11—गहमांव—चन्दापुर—दक्षिनि मार्ग
12 -कूलपुर गिधैरा मार्ग।

उक्त मार्गों पर 7,91,915 रु0 की कुल लागत के 29 अनुबन्धों के प्रति किये गये कार्यों की जांच की गई जिनमें से 11 अनुबन्धों पर 4260 रु0 की कटौती की गई शेष अनुबन्धों के प्रति किये गये कार्यों पर कार्यवाही प्रगति पर है।

बड़ा गांव कुंड़ी चिलबिला कूरू मार्ग पर कार्य की प्रगति

46—श्री उदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव कुंडी चिलबिला कूरू मार्ग, जिला वाराणसी को सार्वजनिक निर्माण खण्ड कछवा, वाराणसी को ट्रांसफर कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? अब तक उक्त मार्ग पर कितना कार्य किया गया है?

श्री अम्मार रिजवी—

सार्वजनिक निर्माण खण्ड कछवां, वाराणसी नाम का कोई खण्ड वाराणसी जनपद में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अभी कार्य शुरू नहीं हुआ।

बड़ागांव कुवार रामपुर मार्ग, वाराणसी का निर्माण

47—श्री उदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बड़ागांव कुवार रामपुर मार्ग, वाराणसी को कब तक पक्का कर दिया जायगा? क्या सरकार कुवार बाजार के बन्दर से सड़क जोड़ कर उक्त मार्ग को ले जा रही है?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग को पक्का कराये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं।

जनपद वाराणसी में कछवां बड़ागांव मार्ग तथा दादूपुर मार्ग का निर्माण कार्य

48—श्री उदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कछवां बड़ागांव मार्ग वाराणसी एवं साहेबगंज सिरांव दादूपुर मार्ग वाराणसी क्रमशः कपसेठी से बनेई व सिरांव से दादूपुर कब तक बन जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी

जनपद वाराणसी में कछवां बड़ा गांव मार्ग के कपसेठी बनेई भाग का निर्माण एवं जनपद वाराणसी के सिरांव दादूपुर मार्ग का निर्माण कार्य धन तथा सामिग्री होने के अनुसार यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करा जायेगा।

थाना नैनी, जिला इलाहाबाद में पुलिस द्वारा एक ईसाई लड़की के साथ अभद्र व्यवहार

49—श्री उदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 जुलाई, 1981 को नैनी थाना, जिला इलाहाबाद का एक थानेदार तथा कुछ लोगों ने एक ईसाई नाबालिग लड़की का अपहरण

करके एक लाज में बन्द कर दिया और अभद्र व्यवहार किया था, लड़की के साथ एक फोटोग्राफर से नंगी तस्वीरें खिचवायी हैं? क्या लड़की तथा उसके पिता ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले और जानकारी दी? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में दि0 7-8-1981 को लड़की तथा उसके पिता ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद से मिले व लिखित रिपोर्ट दी। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद के आदेश से उसी दिन थाना कौंनिगटन पर धारा 363/366क/384/506/120बी भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना थाना नैनी क्षेत्र से संबंधित होने के कारण कागजात थाना नैनी भेजे गये जहां विवेचना प्रारम्भ की गई। एक अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया व तीन अभियुक्तों ने धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही के उपरान्त न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस घटना से संबंधित एक अभियुक्त, जो पुलिस उप निरीक्षक थे, की सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

वरुणा नदी पर पुल नीचा बनाने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

50–श्री उदय लाल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वरुणा नदी के उक्त पुल को नीचा बना दिया गया है जिसकी जांच की जा रही थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? कौन-कौन लोग दोषी पाये गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता.

वाराणसी जौनपुर राजकीय मार्ग स्थान फूलपुर में सड़क के संरेखण का मामला

51–श्री उदय लाल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जौनपुर राजकीय मार्ग पर स्थान फूलपुर में सड़क को सीधा करने के लिये चकबन्दी में जमीन छोड़ दी गयी है? यदि हां, तो अब तक सड़क सीधा न करने का क्या कारण है?

श्री अम्मार रिजवी

जी हां।

सड़क के संरेखण का मामला विचाराधीन है।

मड़ियाहूं–कठिरांव मार्ग को भवानीपुर तक पक्का किया जाना तथा शेष भाग को पक्का कराने पर विचार

52–श्री उदय लाल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ियाहूं से कठिरांव जिला जौनपुर के मार्ग को भवानीपुर तक पक्का किया गया है और शेष हिस्से पर केवल गिट्टी गिराकर छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? इसे कब तक पक्का कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, मार्ग का शेष हिस्सा केवल सोलिंग स्तर तक ही स्वीकृत है अतः उसे पक्का कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी के कतिपय स्वीकृत मार्गों पर निर्माण कार्य

53--श्री उग्रदल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है फूलपुर सिंघोरा मार्ग, 2--कठिरांव वाया कुवार अनेई मार्ग जिला वाराणसी पर गिट्टी गिरा दी गयी है? यदि हां, तो उक्त दोनों मार्ग को कब तक पक्का कर दिया जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी

जी हां। अधिकांश लम्बाई में सीलिंग के लिये गिट्टी गिरा दी गई है। जिसकी कुटाई मार्च, 1982 तक पूरा करने की सम्भावना है। मार्गों का निर्माण कार्य सीलिंग स्तर तक ही स्वीकृत होने के कारण उन्हें पक्का कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

वरुणा नदी पर बने पुल को यातायात हेतु खोलने के प्रश्न पर विचार

54--श्री उग्रदल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरुणा नदी स्थान कालिका-धाम जिला वाराणसी में कछवां बड़ागांव मार्ग का जो पुल अर्सा 10 वर्ष से बना है उसको अब तक न खोलने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त पुल में उत्तर तरफ दो ताखा और बनाने का विचार कर रही है? पुल कब तक खुल जायेगा?

श्री अम्मार रिजवी

वर्ष 1942-43 की बाढ़ के अधिकतम जल स्तर से प्रश्नगत पुल का परिकल्पित जल स्तर नीचा रख दिया जाने के कारण सेतु निर्माण का कार्य स्थगित करना पड़ा जिसके फलस्वरूप वह यातायात के लिये अब तक नहीं खोला जा सका।

उक्त पुल में उत्तर तरफ दो ताखा और बनाने का विचार नहीं है।

पुल को यातायात हेतु खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्राईवेट सेक्टर कालेजों एवं हाईस्कूल तथा डिग्री कालेजों में अध्यापकों की भर्ती पर रोक

55--श्री उग्रदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, कालेजों एवं हाई स्कूल तथा डिग्री कालेजों में अध्यापकों के भर्ती एवं नये सेक्शन खोलने की रोक लगा दी गई है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि छात्रों की तादाद बढ़ रही है और बहुत से अध्यापक रिटायर हो गये और बहुत से लोगों की मृत्यु हो गयी है तो बिना भर्ती किये कैसे पठन-पाठन का कार्य होगा और इस संबंध में सरकार ने क्या योजना बनाई है?

चौधरी नौनिहाल सिंह

जी नहीं।

पठन पाठन के कार्य में कोई कठिनाई उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता।

सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में अध्यापकों की रिक्तियों की पूर्ति की मांग

56--श्री उग्रदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में 2 एल0 टी0 ग्रेड तथा 4 सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों में दो की मृत्यु हो गई है चार रिटायर सन् 1980 में हो गये हैं? यदि हां, तो इनकी जगहों को भरने के लिये क्या आदेश उक्त कालेजों के प्रिंसिपल को दिया गया? क्या प्रिंसिपल ने अध्यापकों की मांग की है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला वाराणसी के कतिपय गांवों में सशस्त्र डकैती

57–श्री ऊदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अगस्त, 1981 की रात में गांव भीखमपुर सुलका गांव थाना मिर्जामुराद व गांव भट्ठी थाना रोहनियां जिला वाराणसी में सशस्त्र डकैतियां पड़ी? यदि हां, तो कितना धन कितने घरों से लूटा गया और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार 1 अगस्त, 1981 की रात में गांव भीखमपुर मुलकागांव थाना मिर्जामुराद तथा ग्राम भट्ठी थाना रोहनियां में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होना ज्ञात नहीं हुआ।

सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में छात्रों की भर्ती

58–श्री ऊदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में छात्रों की तादाद 1981-82 के सत्र के लिये 9वीं क्लास में बहुत बढ़ गयी है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार के आदेश के मुताबिक सेक्शन न बढ़ाया जाय इसलिए 9वीं कक्षा के लिये एवं 11वीं कक्षा के लिये इम्तहान लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में फर्जी चेकों का भुगतान तथा सेवा निवृत अध्यापकों के प्राविडेंट फण्ड तथा दूसरे मदों का भुगतान

59–श्री ऊदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में दसियों हजार रुपये के फर्जी चेक सन् 1980 में काटे गये थे और तीन हजार का एक चेक का भुगतान भी करा लिया गया था? यदि हां, तो चेक पर किन-किन अधिकारियों ने हस्ताक्षर किये थे और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी नहीं।

एक जाली चेक रु0 3022 का जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के फर्जी हस्ताक्षर थे, भुगतान, उप विद्यालय निरीक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों से प्रमाणित करवा कर ट्रेजरी से ले लिया गया। प्रकरण की जांच हेतु मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

60–श्री ऊदल

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी में सन् 1976 से लेकर सन् 1980 तक के रिटायर अध्यापकों का प्राविडेंट फण्ड तथा दूसरे मदों का पैसा नहीं दिया गया है और सिर्फ सन् 1980 के रिटायर हुये लोगों का बनाकर दिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी नहीं। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में सन् 1976 से सन् 1980 तक कुल 644 अध्यापक रिटायर या मृत्यु हुये, जिसमें से अब तक 642 का प्राविडेंट फन्ड भुगतान किया जा चुका है।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में अभिलेखों को पूरा करने हेतु अध्यापकों का सहयोग

61—श्री उदल

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राविडेंट फन्ड तथा पेंशन का कागज तैयार करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी ने अध्यापकों को वर्षों से लगा रक्खा है? ऐसा क्यों? क्या उक्त विभाग में क्लर्कों की कमी है? यदि हां, तो कितना, यदि नहीं तो क्यों उनसे कार्य नहीं लिया जा रहा है?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं।

तात्कालिक आवश्यकता प्रतीत होने पर प्राविडेन्ट फन्ड आदि के अभिलेखों को पूरा करने हेतु अध्यापकों से सहयोग लिया जाता है क्योंकि अध्यापकों की संख्या देखते हुए लिपिकों की कमी है। यह कमी 12 लिपिकों की बताई गई है।

कछवां सेक्शन, जिला मिर्जापुर में श्री मक्खन मेठ की सेवा काल में मृत्यु तथा पारिवारिक पेंशन, मृतक के आश्रित को सेवा में लेने का प्राविधान.

62—श्री उदल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कछवां सेक्शन, जिला मिर्जापुर में मक्खन मेठ के पद पर कार्य कर रहे थे और उनकी मृत्य सेवा काल में ही 20-12-77 को ही गयी? यदि हां, तो क्या पारिवारिक पेंशन उसकी विधवा फूलवासी देवी, गांव मंगलपुर पोस्ट बनकट नेवादा, जिला वाराणसी को दी गयी? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी

जी हां। कर्मचारी की विधवा फूलवासी देवी को पारिवारिक पेंशन माह जुलाई, 1981 से स्वीकृत कर दी गयी।

63—श्री उदल

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मक्खन मेठ की विधवा फूलवासी ने 10-3-81 व 6-10-81 को प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता मा0नि0वि0, प्रा0 खंड, मिर्जापुर को दिया है कि शासनादेश संख्या 6/12/1973 नियुक्ति, दिनांक 21-12-73 के द्वारा मृतक के पुत्र को सरकारी सेवा में रक्खा जाय? यदि हां, तो क्या ऐसा प्राविधान है और है तो उसके एकमात्र पुत्र राजनारायण को सेवा में अब तक न लेने का कारण क्या है? क्या उसके लड़के राजनारायण ने भी अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर को 6-10-80 को प्रार्थना पत्र दिया है? उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी

उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में सेवा काल में मृत सरकारी कर्मचारी के एक आश्रित को सेवा में लेने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में प्रश्न में उल्लिखित मक्खन मेठ की विधवा फूलवासी देवी के पत्र दिनांक 10-3-81 व 6-10-81 अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर को प्राप्त नहीं हुये। विधवा फूलवासी देवी के लड़के राजनारायण का भी प्रार्थना पत्र दिनांक 6-10-80 तो नहीं वरन 6-10-81 अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है जिस पर दिनांक 7-11-81 को पत्र द्वारा अधिशासी अभियन्ता ने श्री राजनारायण को यह सूचित किया है कि वे कृपया नियमानुसार अपनी मां श्रीमती फूलवासी देवी का यह प्रमाण पत्र प्रेषित करें कि वह ही एक मात्र वारिस हैं जिन्हें वे नौकरी में रखाना चाहती हैं। श्री राजनारायण से अभी तक उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

थाना नेवढ़ियां, जिला जौनपुर के एस0 ओ0 तथा अन्य पुलिसजनों द्वारा किये गये अत्याचार की जांच

64–श्री उग्रसेन

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नेवढ़ियां, जिला जौनपुर के एस0 ओ0 तथा अन्य पुलिसजनों द्वारा अत्याचार एवं गलत कत्ल के मुकदमें में फंसाने व लूट-पाट के संबंध में नेवढ़ियां बाजार के छोटे लाल, रामदुलारे, ताड़कनाथ, मिठाई वगैरह बहुत से नागरिकों ने 21-2-81 को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, 18-6-81 को जिलाधीश, जौनपुर 7-3-81 को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, 17-7-81 को पुलिस अधीक्षक, जौनपुर व 20-11-80 को आई0 जी0 पुलिस उत्तर प्रदेश को प्रार्थना-पत्र दिया और उसकी प्रतियां मा0 मुख्य मंत्री, आई0 जी0 पुलिस, जिलाधीश जौनपुर, डी0 आई0 जी0, वाराणसी को पांचों प्रार्थना पत्रों को भेजा है? तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह भी सत्य है कि उसके बाद भी नेवढ़ियां के निवासियों को लूटा गया और थानेदार हत्या काण्ड इटायें के मामले में फंसाया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुए थे। दिनांक 21-2-81 व 7-3-81 के प्रार्थना पत्रों में अंकित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए। शेष प्रार्थना पत्रों में उल्लिखित सम्पूर्ण घटनाक्रम की जांच परगना मजिस्ट्रेट मड़ियाहू एवं पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अलग-अलग किये जाने पर आरोप प्रमाणित नहीं हुए। जांच से पुलिस को कुछ शिथिलता परिलक्षित हुई है जिसके संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच प्रचलित है।

जनपद लखनऊ के विद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक की नियुक्ति करने का प्राविधान

65–श्री उग्रसेन

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के सहायता प्राप्त कितने माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध समिति के स्थान पर साधिकार नियन्त्रक/प्रशासक नियुक्त है और उनमें से कितने सेवारत अधिकारी हैं और कितने सेवा निवृत्त अधिकारी है? क्या उक्त दोनों प्रकार के अधिकारियों को साधिकार नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त करने का प्राविधान है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राविधानों से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

लखनऊ जनपद के 8 विद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त है। इनमें से 7 सेवारत अधिकारी तथा 1 सेवा निवृत्त अधिकारी है।

अधिनियम अथवा विनियमों में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। शासन अपने आप किसी भी कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त अधिकारी को प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त करने के लिये सक्षम है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विद्यासागर मिश्र, विधान भवन रक्षक पद पर कार्य करने के अतिरिक्त "दि पियरलेस फाइनेन्स इंश्योरेन्स कम्पनी" के एजेन्ट के रूप में किये गये कार्य

66–श्री धर्मवीर सिंह तथा श्री पूरन चन्द–

क्या कार्मिक मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बी0 एस0 मिश्रा राजकीय सचिवालय में गार्ड के पद पर कार्य करने के अतिरिक्त "दि पियरलेस फाइनेन्स इंश्योरेन्स कम्पनी" के भी एजेन्ट है? यदि हां, तो क्या उन्होंने इसकी अनुमति अपने प्रशासकीय विभाग से ले रखी है? यदि नहीं, तो डिपाजिट स्लिप उनके द्वारा सं0 543, 282

की रसीद दिनांक 30 मई, 1980 को 282-50 पैसे किस हैसियत से जमा किया गया?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

श्री विद्या सागर मिश्र, विधान भवन रक्षक, ने सूचित किया है कि वे दिनांक 17 अगस्त, 1980 तक प्रश्नगत कम्पनी के एजेन्ट थे। दिनांक 18 अगस्त, 1980 से उन्होंने एजेन्सी से त्याग-पत्र दे दिया था। एजेन्सी लेने के लिये उन्होंने प्रशासकीय विभाग की अनुमति नहीं प्राप्त किया था। प्रश्नगत धनराशि उनके द्वारा उक्त कम्पनी के एजेन्ट की हैसियत से जमा की गई थी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा फर्जी चेकों का भुगतान तथा उनकी सम्पत्ति एवं मकान की जांच

67—श्री ऊदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25-2-80 तक के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी, द्वारा चेक बुक संख्या 3870 से बहुत चेक काट करके लाखों रुपया फर्जी तरीके से अध्यापकों का प्रावीडेन्ट फण्ड तथा बिल्डिंग का रुपया एवं दूसरे मदों का निकालकर दुरुपयोग किया गया है? क्या सरकार इस चेक बुक के पहले कटी हुई चेक बुकों की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी और इस बात की भी जांच करायेगी कि जो चेक बुक ट्रेजरी से दिया गया था उसकी जगह पर फर्जी चेक बुकें कहां से और कैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राप्त की हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

68—श्री ऊदल

क्या शिक्षा मंत्री बेसिक अधिकारी एवं उप निदेशक निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच करायेगी जो इन लोगों ने क्रमशः सोनिया व जिला कारागार के सामने आलीशान मकान वाराणसी में खड़ा किया है? यह धन कहां से आया है?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी के यहां औद्योगिक विवादों का निर्णय

69—श्री ऊदल

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी के यहां औद्योगिक विवाद 40/81, 41/81, 37/81, 38/81, 39/81/-33-80-14/80-27/79 जिसमें क्रमशः 6-12-80, 18-12-80, 16-3-81, 4-4-81, 13-4-81, 11-3-81, 10-3-81, 9-3-80 तारीखें लगी थी? न तो सुनवायी की गयी और न अब तक निर्णय ही हो सका? इसका क्या कारण है और इसके लिये कौन लोग दोषी हैं? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

इन सभी औद्योगिक विवादों की सुनवायी हो चुकी है, और सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी द्वारा अपनी अनुशंसा शाखा सचिवालय (श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर) को प्रेषित कर दी गयी है। शाखा सचिवालय द्वारा इन औद्योगिक विवादों में से विवाद संख्या-14/80 व 33/80 को अभिनिर्णय में भेज दिया गया है। वाद संख्या-27/79 में समझौता हो गया है। शेष विवादों का परीक्षण किया जा रहा है।

ये प्रश्न नहीं उठे।

70–श्री उग्रदल

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि सी0 बी0 केस नं0 96/80, 28/79 व 14/81 की अन्तिम तिथि क्रमशः 26-9-79, 5-11-80 व 7-5-81 को सुनवाई हो गयी? यदि हां, तो क्या इन मामलों को श्रम न्यायालय को पंच निर्णय हेतु या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया है? यदि हां, तो कब? नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

इन मामलों में सुनवाई के पश्चात् सहायक श्रमायुक्त, वाराणसी ने सी0 बी0 विवाद संख्या–28/79 व 14/81 में अपनी रिपोर्ट शाखा सचिवालय को भेज दी है, जिसमें से शाखा सचिवालय ने सी0 बी0 विवाद संख्या–14/81 को परीक्षण के बाद निरस्त कर दिया है। विवाद संख्या–28/79 का परीक्षण अभी शेष है।

विवाद संख्या–96/80 सी0 बी0 विवाद न होकर सी0पी0 विवाद है जिसे शाखा सचिवालय द्वारा पंच-निर्णय हेतु अभिनिर्णय में भेज दिया गया है।

71–श्री उग्रदल–

–[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अनधिकृत रूप से लापता फायर स्टेशन इंचार्ज, श्री संकठा प्रसाद राय के परिवार को आर्थिक सहायता व लड़के की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार

72–उग्रदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फायर स्टेशन इंचार्ज संकठा प्रसाद राय, इलाहाबाद कार्यरत रहते हुए 9 मई, 74 से लापता हो गये हैं? यदि हां, तो इनका पता लगाया गया कि क्या वे कहीं मर गये या किसी ने इनको मार डाला है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। श्री राय दिनांक 24 मार्च, 1974 से अनधिकृत रूप से लापता हैं। भरसक प्रयास करने के उपरान्त भी उनका पता नहीं चला।

73–श्री उग्रदल

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उनकी स्त्री श्रीमती देव पूर्णा देवी ने गांव कठउत, पो0 गौसपुर, जिला गाजीपुर से अप्रैल, 81 में माननीय मुख्य मंत्री एवं गृह राज्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र सहायता हेतु तथा लड़के की नियुक्ति हेतु भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। 2,000/- रु0 की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है तथा उनके लड़के की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी श्री जंग बहादुर पाण्डेय द्वारा पकड़ी गयी भुगतान हेतु फर्जी चेक पर कृत कार्यवाही

74–श्री उग्रदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी, श्री जंग बहादुर पाण्डेय ने थाना कैंट, वाराणसी में मार्च, 81 में एक रिपोर्ट, चेक संख्या 3870/069, दिनांक 23-2-80 धनराशि 1962 रु0 जिसको 28-2-80 को पास कराते हुए फर्जी होने के कारण संदेह में पकड़ा था, किया है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बहादुर राम, वरिष्ठ कोषाधिकारी ने दिनांक 7 मार्च, 1980 को थाना कैंट, वाराणसी में एक रिपोर्ट अंकित की, जिसमें दिनांक 28-2-80 को रु0 1952 के भुगतान हेतु प्रेषित चेक संख्या 3870/069, दिनांक 23-2-80 के फर्जी होने का उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में उक्त थाने में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 420/467/468/471 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

75–श्री उग्रसेन

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चैक संख्या 3870/069 पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, ओम प्रकाश तथा उप विद्यालय निरीक्षक, बांके सिंह के हस्ताक्षर हैं और प्रमाणित है? यदि हां, तो इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है? क्या उक्त रिपोर्ट में चेक जारी कर्ता बेसिक शिक्षा अधिकारी व प्रमाणितकर्ता है? उप विद्यालय निरीक्षक का नाम है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

इस संबंध में जांच प्रचलित है।

थाना अकबरपुर में राज्य कताई मिल, मरैला से संबंधित चोरी के पंजीकृत अपराध

76–श्री शिवदर्शी उनवली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल माकेती–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल में 1976 से अब तक मिल से चोरी होने वाली कितनी सूचनायें थाना अकबरपुर या बेबाना में दर्ज हुई है? क्या यह सही है कि उक्त मिल की एक मोटर नं0 9237 पांच हार्स पावर चोरी हो गयी है? यदि हां, तो चोरी होने के कितने दिन बाद उसकी सूचना थाना बेबाना में दर्ज करायी गयी और वह मोटर थाने से कब पकड़ी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थाना अकबरपुर में राज्य कताई मिल, मरैला, से संबंधित चोरी के 8 मुकदमें पंजीकृत हुए। प्रश्नगत अवधि में थाना बेबाना में उक्त कताई मिल से संबंधित चोरी का कोई अपराध पंजीकृत नहीं हुआ।

यह सही नहीं है कि उक्त कताई मिल की एक मोटर नं0 9237, 5 हार्स पावर चोरी गई।

उक्त कताई मिल की एक 3 हार्स पावर की मोटर दिनांक 8-2-80 को गायब हो गयी थी जिसकी सूचना अकबरपुर थाने पर दिनांक 3-3-80 को दर्ज की गई। विवेचना से मोटर बरामद नहीं हुई और समुचित साक्ष्य न मिलने पर इस मुकदमें में अन्तिम आख्या 6-4-80 को प्रेषित कर दी गई।

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर (श्री वी0डी0 शर्मा) के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा सेवा पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

77–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवम्बर, 80 के पश्चात् अब तक शासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर (श्री वी0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध प्राप्त हुई है? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

78–श्री सत्य पाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक (श्री वी0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध सेवा पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि इस वर्ष की गयी है? यदि हां, तो उसका मुख्य कारण क्या था?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

अकबरपुर कताई मिल के हेड टाइम कीपर श्री एम0 बी0 लाल श्रीवास्तव की हत्या तथा उनकी पत्नी द्वारा नौकरी के लिये दिया गया प्रार्थना-पत्र

79–श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकाल साकेती–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 अप्रैल, 1981 को राज्य कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में जिस हेड टाइम कीपर की हत्या मिल सीमा में हुई है उसके परिवार को विभाग ने अब तक क्या सहायता दी है? और क्या मृतक कर्मचारी की स्त्री ने किसी नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र भी दिया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

स्व0 श्री0 एम0 बी0 लाल श्रीवास्तव, हेड टाइम कीपर, अकबरपुर कताई मिल की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी श्रीवास्तव को उनके बच्चों सहित उसी मकान में रहने की फिलहाल स्वीकृति दे दी गयी है जिसमें स्व0 श्रीवास्तव रहते थे।

जी हां, श्री श्रीवास्तव की स्त्री ने नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है।

श्रीमती श्रीवास्तव को नौकरी में रख लिया गया है।

चीरपुर जंगल, जिला बरेली में डाकुओं द्वारा आतंक

80–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीरपुर जंगल, जिला बरेली में मई, 1981 के प्रथम सप्ताह में डाकुओं ने 5 व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया? यदि हां, तो वे पांच व्यक्ति कहां के रहने वाले थे उनके नाम क्या हैं? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बरेली में वर्ष 1981 में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

ग्राम मठियाबुजुर्ग, थाना तरया सुजान, जिला देवरिया में पुलिस डाकू मुठभेड़ तथा न्यायिक जांच

81–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 18-19 मार्च, 1981 की रात्रि में ग्राम श्यामगट्टी, थाना तरया सुजान, जिला देवरिया में तीन व्यक्तियों को पुलिस डाकू संघर्ष दिखाकर पुलिस ने मारा है ?. यदि हां, तो इस संबंध में क्या सरकार सी0 आई0 डी0 से न्यायिक जांच करायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना का विवरण निम्न प्रकार है :—

दिनांक 18/19 मार्च, 1981 की रात्रि में ग्राम मठियाबुजुर्ग, थाना तरया सुजान, जिला देवरिया में तीन डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये। इस घटना के संबंध में थाना

तरयासुजान, जिला देवरिया में मुकदमा अपराध संख्या 74/81 धारा 399/402/307 भा0 द0 वि0 तथा मुकदमा अपराध संख्या 75 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मुकदमा अपराध संख्या 77 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कायम किये गये जिनमें विवेचना के पश्चात् अन्तिम रिपोर्टस दिनांक 29-5-81 को प्रेषित की गयी जो न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट कसया जनपद देवरिया के समक्ष विचाराधीन है।

घटना की मजिस्टीरियल जांच जारी है अतः सी0 आई0 डी0 जांच की अभी आवश्यकता नहीं है।

ग्राम गोसाईंपुर, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी में पड़ी सशस्त्र डकैती

82–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गोसाईंपुर थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में 29-4-81 को पड़ी डकैती में 4 व्यक्ति जान से मारे गये और 20 घायल हो गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा मृतक परिवारों को तथा घायलों को कितना-कितना रुपया सहायता के रूप में दिया गया?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 28/29-4-81 की रात्रि में ग्राम गोसाईंपुर, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी में सशस्त्र डकैती पड़ी। डकैतों का मुकाबला करते हुए तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी व 17 घायल हुए।

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को रु0 1,000 व प्रत्येक घायल व्यक्ति को रु0 500 की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

ग्राम खरगपुर–बड़वापुर, जिला वाराणसी में घरों को लूटने की घटना

83–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 4-5-81 को गांव खरगपुर-बड़वापुर, थाना बड़ागांव, वाराणसी में 15-16 घरों को लूट लिया गया है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त घटना के बाद ही एस0 एस0 पी0, वाराणसी ने सरकार से सहायता की मांग मृतकों एवं घायलों का नाम लिखकर रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो सरकार ने कितना रुपया मंजूर किया है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी के कतिपय ग्रामों के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र तथा टांगिया पद्धति के अन्तर्गत वितरित की गयी वन भूमि

84–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गयापुर, गांधीनगर, डूही, सूही रसिया, केराडीह, परगना केरा गंगरौर, चकिया, जिला वाराणसी के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र जिनकी नसबन्दी वन विभाग चकिया ने प्रेरक बन कर करवाया था उसकी लिस्ट, प्रार्थना-पत्र प्रेरक के नाम व पद के साथ प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मा0 मुख्य मंत्री को 28 जनवरी 1981 को भेजी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह–

जी हां। मामले में जांच करायी गई तथा यह पाया गया कि एक-एक एकड़ वन भूमि टांगिया पद्धति पर नसबन्दी कराने वालों को दी गयी थी।

85–श्री ऊदल–

क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों के हरिजनों की नसबन्दी एक एक एकड़ वन भूमि देकर करवायी गयी है जिसको बाद में टांगिया पद्धति में पट्टा दे दिया गया और हरिजनों को बताया भी नहीं गया?

श्री निर्भय नारायण सिंह–

जी नहीं। जिन लोगों ने नसबन्दी करायी थी उन्हें वरीयता देते हुए एक-एक एकड़ वन भूमि टांगिया पद्धति पर दी गयी थी तथा उन्हें इसके नियमों से अवगत करा दिया गया था।

86–श्री ऊदल–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र एवं नसबन्दी की लिस्ट तथा मेरे पत्र को मा0 निर्भय नारायण सिंह राज्य मंत्री कृषि ने वन सचिव को अपने पत्र संख्या एम 415/सी0एग0 81, लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 81 को यथोचित कार्यवाही हेतु भेजा है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री निर्भय नारायण सिंह–

जिस पत्र का उल्लेख किया गया है वह मुख्य मंत्री जी के कार्यालय का है तथा उसका दिनांक 11-3-81 है। नसबंदी की लिस्टों के साथ जो प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-1-81 तथा 4-2-81 के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से क्रमशः दिनांक 11-3-81 तथा 23-3-81 को प्राप्त हुए थे, उन पर जांच करायी गयी और यह पाया गया कि लिस्ट में उल्लिखित व्यक्तियों को जो एक-एक एकड़ वन भूमि दी गयी थी वह टांगिया पद्धति पर ही दी गयी थी।

जनपद वाराणसी के मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को लेने हेतु प्रार्थना-पत्र

87–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के 10 मार्गों को सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी को लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र 20-2-81 को सार्वजनिक निर्माण मंत्री को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या उनमें से किसी को सर्वेक्षण कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक अध्यापक श्री फूल चन्द्र उपाध्याय की नसबन्दी के कारण मृत्यु से उनके पुत्र की शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था तथा परिवार के एक सदस्य को सेवा में लेने के प्रश्न पर विचार

88श्री ऊदल–

क्या शिक्षा मंत्री अता0 प्रश्न संख्या 50 प्रथम सत्र 81 के 5वें मंगलवार के निर्धारित प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापक फूलचन्द्र उपाध्याय की मृत्यु नसबन्दी के होने के वजह से हो गई उसे बीमा तथा प्राविधायी निधि की धनराशि का भुगतान उनकी विधवा को कब दिया गया? यदि हां, तो कितने रुपये का? यदि नहीं, तो अब तक भुगतान न करने के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

स्व0 श्री फूलचन्द्र उपाध्याय, सहायक अध्यापक की मृत्यु नसबंदी के कारण वर्ष 1976 में हो गयी थी। उनकी विधवा पत्नी श्रीमती संजाफी देवी को स्व0 फूलचन्द्र उपाध्याय की सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि रु0 5128.31 और प्राविधायी निधि की धनराशि रु0 411.17 का भुगतान दिनांक 26-2-81 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

वाराणसी द्वारा किया गया। विलम्ब के लिये उत्तरदायी लिपिकों को उनकी असावधानी के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेतावनी दे दी गई है।

89-श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री प्रथम सत्र 81 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि फलचन्द्र उपाध्याय के पुत्र की आधी फीस माफ की गयी थी पूरी फीस माफ न करने का क्या कारण है? क्या सरकार इसके लड़के की पढ़ाई के लिए निःशुल्क व्यवस्था करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह-

स्व0 श्री फलचन्द्र उपाध्याय का पुत्र मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो निजी प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित है। संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को शुल्क मुक्ति देने का अधिकार संस्था को ही है। वर्तमान शैक्षिक वर्ष में छात्र की पूरी फीस माफ कर दी गई है।

90-श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री प्रथम सत्र 81 के पांचवें मंगलवार के उत्तर के संदर्भ में बतायेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक अध्यापक फलचन्द्र उपाध्याय की मृत्यु सरकारी नीति के पालन में बसबन्दी में हो गयी तो उनके परिवार के एक व्यक्ति को शिक्षा विभाग में जगह न देने का कारण क्या है? और क्या शिक्षा विभाग ने बसबन्दी का लक्ष्य निर्धारित किया था कि नहीं?

चौधरी नौनिहाल सिंह

स्व0 श्री फलचन्द्र के परिवार में एक पत्नी दो पुत्र और एक पुत्री है। एक पुत्र एवं एक पुत्री जो नाबालिग है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनका एक पुत्र जिसकी अवस्था 18 वर्ष बताई गई है वह वाराणसी जनपद में नहीं रहता है। स्व0 श्री उपाध्याय की विधवा पत्नी ने लिखित रूप से नौकरी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। वर्णित स्थिति में स्व0 श्री उपाध्याय के परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देने का प्रश्न नहीं उठता। शिक्षा विभाग द्वारा बसबन्दी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था या नहीं, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की प्रोन्नति तथा पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा

91-श्री उदल-

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (शिविर) के आदेश संख्या शिविर/से0/1/81-82, दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की सात प्रोन्नतियां सचिवालय शिक्षा सेवा (राजपत्रित) निरीक्षण खण्ड में की गई है जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया इसका क्या कारण है?

चौधरी नौनिहाल सिंह

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गंगा प्रसाद तिवारी निवासी तिवारी का पुरा गौजा चन्दौकी, थाना बादशाहपुर के घर पड़ी डकैती तथा मृत्यु

92-श्री उदल-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 6/7-10-80 को गंगा तिवारी का पुरा चन्दौकी, थाना मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर के गंगा प्रसाद तिवारी को डाकुओं ने गोली से उड़ा दिया और लाखों की सम्पत्ति लूट ले गये तथा कई लोगों को मार कर

घायल कर दिया? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह भी सही है कि मृतक गंगा प्रसाद के भतीजे राम निवास तिवारी ने नवम्बर, 80 से लेकर 25-5-81 तक मुख्य मंत्री, एलिस महानिरीक्षक तथा जिलाधीश, जौनपुर को कई प्रार्थना-पत्र भेजा है? यदि हां, तो उसकी भी जांच की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 6/7-10-80 की रात सशस्त्र डकैतों ने श्री गंगा प्रसाद तिवारी, निवासी तिवारी का पुरा, थाना चन्दौकी, थाना बादशाहपुर के घर डकैती डाली। डकैतों की गोली से उनकी मृत्यु हो गयी व अन्य दो व्यक्ति घायल हुए। इस संबंध में उक्त थाने में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

उल्लिखित अवधि में प्राप्त दिनांक 16-3-81 के प्रार्थना पत्र पर पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा जांच की गयी। इस घटना के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से प्रमाणित नहीं हुए।

93–श्री उदल–

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बस्ती जनपद के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्री दयाराम की हत्या के मामले की जांच तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही

94–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि थाना तेलारी, जिला बस्ती के थानाध्यक्ष ने एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की हत्या में ठीक से ध्यान देकर कार्यवाही नहीं किया और लापरवाही बरती? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या सिर्फ ट्रांसफर ही किया गया इसका क्या कारण है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

बस्ती जनपद के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्री दयाराम की हत्या के मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। जांच की समाप्ति के पूर्व स्थानीय पुलिस के आचरण के सम्बन्ध में कोई राय निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तत्कालीन थानाध्यक्ष तेलारी श्री प्रह्लाद मिश्र का स्थानान्तरण व्यवस्था की दृष्टि से किया गया था।

थाना धनघटा, जिला बस्ती के थानेदार की पदावनति

95–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि थाना धनघटा, जिला बस्ती के थानेदार की पदावनति किन आरोपों में की गयी और क्या यह सत्य है कि इसके ऊपर अपराधियों को संरक्षण देने का चार्ज था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

थाना धनघटा, जिला बस्ती के थानाध्यक्ष श्री गौरी शंकर राय का कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण उन्हें थानाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उनके विरुद्ध अपराधियों को संरक्षण देने की कोई शिकायत नहीं पाई गई।

वाराणसी जिले के थानों में पड़ी डकैतियां तथा थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही

96—श्री उदल—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जनवरी, 81 से 10 मई, 81 तक वाराणसी जिले के प्रत्येक थानों में पचासों डकैतियां पड़ीं जिसमें 50 के करीब लोग मारे गये और लाखों की लूट की गयी? यदि हां, तो थानेदार का ब्योरा क्या है कितने की लूट हुई और कितने लोग मारे गये?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

1-1-81 से 10-5-81 की अवधि में वाराणसी जिले के थानों के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों के बारे में विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 253 पर।)

97—श्री उदल—

प्रत्येक डकैतियों में क्या कार्यवाही की गयी क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिस थाने में डकैतियां तथा हत्याएं होंगी वहां के थानाध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराने का जो फैसला उसके उपर था उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रत्येक डकैती में की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है। डकैतियों की रोक-थाम तथा विवेचना संबंधी कार्यवाही में शिथिलता परिलक्षित होने पर संबंधित थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 253 पर।)

ग्राम खेउली, थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी में डकैती डालने के दौरान श्री शिव प्रसाद की मृत्यु तथा जांच

98—श्री उदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 81 में माधो बारी खेउली, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी में तथा खेउली में शिव प्रसाद नामक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गयी और गांव मतसार में फरवरी, 81 में लछिमन यादव को गोली मार कर हत्या कर दी गयी और 4 घरों को लूटा गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

थाना रोहनिया, जनपद वाराणसी के अन्तर्गत माधोबारी नामक कोई गांव नहीं है।

प्राप्त सूचना के अनुसार खेवली ग्राम में दिनांक 10/11 मार्च, 1981 को 8–10 डकैतों द्वारा डकैती डालने के दौरान श्री शिव प्रसाद नामक व्यक्ति को गम्भीर चोटें पहुंचाये जाने के कारण मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना रोहनिया में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसको बाद में धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। विवेचना में 11 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 6 गिरफ्तार किये जा चुके हैं। शेष के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी।

ग्राम मतसार में फरवरी, 81 में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होना नहीं ज्ञात हुआ।

गाजियाबाद जिले की कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल एवं तालाबन्दी

99—श्री उदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम पिस्टन एवं रिंग्स लि0, एस0 डब्लू0 रबर वर्क्स प्रा0 लि0, मयूर इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, गणेश पेपर मिल्स, सहायक

इन्डस्ट्रीज, इलेक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्रीज आफ इण्डिया, गाजियाबाद में औद्योगिक अशान्ति है और मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है? यदि हां, तो इसको सुलझाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी और मजदूरों की क्या-क्या मांगें अलग-अलग कारखानों के लिये हैं? क्या सरकार उसकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

मेसर्स श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद में बिना पूर्व सूचना के श्रमिकों ने 17-3-81 से अन्दर बैठे रहो हड़ताल कर दी थी। सेवायोजकों ने दिनांक 6-10-81 से तालाबन्दी घोषित कर दी थी। दिनांक 2-11-81 को प्रतिष्ठान में हड़ताल एवं तालाबंदी शासन द्वारा निषिद्ध कर दी गयी थी। प्रतिष्ठान में वर्तमान में श्रम स्थिति सामान्य है और उत्पादन कार्य सामान्य गति से चल रहा है।

श्रम विभाग के प्रयासों से मेसर्स एस0 डब्लू0 रबर वर्क्स प्रा0 लि0 में दिनांक 8-11-81 को, मेसर्स गणेश पेपर्स मिल्स में दिनांक 29-7-81 को तथा मेसर्स सहाय इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन में दिनांक 13-8-81 को समझौता हो गया और वहां की श्रम स्थिति वर्तमान में सामान्य है।

मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स आफ इण्डिया में 126 श्रमिकों द्वारा बिना सूचना के दिनांक 15-4-80 से हड़ताल की गयी थी। दिनांक जून, 80 से वहां भी उत्पादन कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

मेसर्स मयूर इन्टरनेशनल प्रा0 लि0 में आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्दी कर दी गयी है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

100–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि एलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया तथा मयूर इण्टरनेशनल प्रा0 लि0, गाजियाबाद में क्रमशः अप्रैल, 80 व दिसम्बर, 80 से मिल मालिकों द्वारा अवैध तालाबन्दी कर दी गयी जिससे 200 श्रमिक बेकारी के शिकार हैं?, यदि हां, तो अवैध तालाबन्दी को खत्म करने हेतु क्या कार्यवाही अब तक की गयी है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जी नहीं।

मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्रीज आफ इण्डिया के श्रमिकों द्वारा 15 अप्रैल, 1980 से हड़ताल की गयी थी। वर्तमान में प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति सामान्य है और उत्पादन कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

मेसर्स मयूर इन्टरनेशनल प्रा0 लि0, गाजियाबाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण सेवायोजकों द्वारा 20 जनवरी, 1981 को बन्द कर दिया गया है, जिससे 20 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। बन्दी की क्षतिपूर्ति व नोटिस वेतन आदि का भुगतान 2 श्रमिकों द्वारा ग्रहण कर लिया गया था। शेष 18 श्रमिकों द्वारा भुगतान ग्रहण नहीं किया गया था। उनके द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत निर्देशवाद दायर किया गया, जिस पर दिनांक 17-6-81 को समझौता हो गया है।

एलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया, गाजियाबाद में श्रमिकों द्वारा हड़ताल तथा अस्थायी कर्मचारियों को भर्ती

101–श्री ऊदल–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि एलेक्ट्रानिक्स इण्डस्ट्रीज आफ इंडिया, गाजियाबाद के मैनेजमेंट ने नये मजदूरों की भर्ती करके मिल को चला रहा है और स्थायी मजदूरों को काम पर नहीं ले रहा है? यदि हां, तो मैनेजमेंट के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स इन्डस्ट्रीज आफ इण्डिया, गाजियाबाद में बिना पूर्व सूचना के दिनांक 15-4-80 से श्रमिकों द्वारा हड़ताल आरम्भ कर दी गयी थी। सेवायोजकों ने 29 अप्रैल, 1980 से अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करके कार्य प्रारम्भ कर दिया था। हड़ताली कर्मचारियों को भी आश्वासन-पत्र भरकर कार्य पर उपस्थित होने की अनुमति सेवायोजकों द्वारा दे दी गयी थी। दिनांक 20-4-80 तक कुल 126 स्थायी कर्मचारियों में से 23 आश्वासन-पत्र भर कर कार्य पर उपस्थित हो गये थे। 31 हड़ताली कर्मचारी अपना हिसाब चुकता करके सम्बन्ध विच्छेद कर चुके हैं तथा सेवायोजकों द्वारा 39 हड़ताली श्रमिकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। शेष 33 अन्य हड़ताली श्रमिकों के नाम प्रतिष्ठान के हाजिरी रजिस्टर पर अभी भी अंकित हैं। जून, 1980 से प्रतिष्ठान में उत्पादन कार्य सामान्य रूप से चल रहा है।

मेसर्स श्री राम रिंग्स एण्ड पिस्टन लि0, गाजियाबाद में श्रमिकों द्वारा हड़ताल व मांगें तथा मेसर्स एस0 डब्लू0 रबर वर्क्स प्रा0 लि0 के श्रमिकों का निलम्बन तथा पुनर्नियुक्ति

102–श्री उदल–

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि श्री राम रिंग्स एण्ड पिस्टन लि0, गाजियाबाद में 17 मार्च, 81, से हड़ताल हो गयी है? यदि हां, तो मजदूरों की मांग क्या है? क्या एस0 डब्लू0 रबर वर्क्स प्रा0 लि0 ने 6 स्थायी मजदूरों को नौकरी से भी निकाल दिया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जी हां। मेसर्स श्री राम पिस्टन एण्ड रिंग्स लि0, गाजियाबाद के श्रमिकों ने दिनांक 17-3-81 से "अन्दर बैठे रहो" हड़ताल कर दी थी। हड़ताली श्रमिकों की मांग यह थी कि सेवायोजकों तथा श्री राम पिस्टन श्रमिक संघ के मध्य दिनांक 16-3-81 को हुए आपसी समझौते को रद्द किया जाय और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों से श्रमिकों की मांगों पर वार्ता की जाय। दिनांक 5-5-81 के इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन के मांग पत्र में श्रमिकों की प्रमुख मांगें वेतन ढांचे तथा उत्पादन बोनस के पुनरीक्षण, महंगाई भत्ते की वृद्धि तथा अवकाश सुविधाओं आदि से सम्बन्धित थी। वर्तमान में प्रतिष्ठान की श्रम स्थिति सामान्य है और उत्पादन कार्य चल रहा है।

जी नहीं।

मेसर्स एस0 डब्लू0 रबर वर्क्स प्रा0 लि0, गाजियाबाद के सेवायोजकों ने 6 श्रमिकों को दिनांक 9-5-81 से निलम्बित कर दिया था, जिन्हें क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, गाजियाबाद के प्रयासों द्वारा हुए समझौते के फलस्वरूप नौकरी पर वापस ले लिया गया है।

थाना शादियाबाद के थानेदार व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आरोप

103–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामसूरत यादव सैनिक को जून, 81 के प्रथम सप्ताह में शादियाबाद, जिला गाजीपुर के थानेदार एम0 एस0 खां तथा कुछ सिपाहियों ने बुरी तरह मारकर एक हजार रुपया तथा एक एच0 एम0 टी0 घड़ी छीन लिया? क्या यह सही है कि थाना कोतवाली गाजीपुर में उक्त सब इन्सपेक्टर तथा दो सिपाहियों के खिलाफ दफा 379 व 342 का मुकदमा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर के आदेश से लिखा गया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-5-81 को श्री राम सूरत यादव द्वारा क्षेत्राधिकारी, गाजीपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें थाना शादियाबाद के थानेदार श्री एम0 एस0 खां व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रुपये छीनने, मारने–पीटने आदि के आरोप लगाये गये

थे। इस सूचना के आधार पर थाना कोतवाली गाजीपुर में एक अभियोग धारा 342/323/397 भा0द0वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना से मामला असत्य पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी है ।

थाना मुहमदाबाद, जिला गाजीपुर में गोपाल कसेरा व उसकी पत्नी की हत्या तथा थाना सैदपुर के राणा प्रताप सिंह की हत्या का पंजीकृत अभियोग

104–श्री उदल

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव यूसुफपुर मुहमदाबाद, थाना मुहमदाबाद, जिला गाजीपुर में जून के प्रथम सप्ताह में गोपाल कसेरा तथा उसकी स्त्री की हत्या सोते समय कर दी गयी और गांव मुड़ियार थाना सैदपुर के राणा प्रताप सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां, गोपाल एवं उसकी पत्नी की हत्या दिनांक 28/29-5-81 को तथा श्री राणा प्रताप सिंह की हत्या दिनांक 26-5-81 को की गयी। दोनों मामलों के संबंध में पंजीकृत कराये गये अभियोगों में विवेचनोपरान्त आरोप प्रेषित किये जा चुके हैं।

जिला गाजीपुर में चोरी, डकैती, राहजनी एवं लूट की घटनाएं

105–श्री उदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के प्रत्येक थानों में जून, 1980 से लकर 8 जून, 1981 तक कितनी चोरियां, डकैतियां, राहनी, कत्ल, लूटपाट आदि की घटना हुई और कितने में चार्जशीट लगायी गयी कितने अपराधी पकड़े गये और क्या यह सत्य है कि गाजीपुर में सन् 80 के मुकाबले जनवरी से मई, 81 तक अपराधों की वृद्धि हुई है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

–प्रश्न में वांछित विवरण संलग्न है। यह सत्य नहीं है कि गाजीपुर में सन् 1980 के मुकाबले जनवरी से मई 1981 तक अपराधों में वृद्धि हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 254–256 पर)

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी के यहां से जारी किया गया फर्जी चेक पर कृत कार्यवाही

106–श्री उदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी के यहां से चेक संख्या 3870/069 से दिनांक 23-2-80 को एक चेक 1962 रु0 की मुरलीधर/मुरली तिवारी अध्यापक के नाम काटा गया है और उसको उप जिला विद्यालय निरीक्षक बांके सिंह ने तारीख 28-2-80 को प्रमाणित किया है तथा उस पर आम प्रकाश, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के हस्ताक्षर हैं, को ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी जंगबहादुर पांडेय ने फर्जी होने की वजह से पास नहीं किया और कैंट थाना, वाराणसी में एक एफ0 आई0 आर0 लिखायी है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि चेक बुक नं0 3870 फर्जी है उसमें से कितने चेक कितने-कितने रुपये का काट कर रुपया निकाला गया?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

107–श्री उदल

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेक नं0 3870/077 से तारीख 25-2-80 को एक चेक 3022 रु0 का काटा गया जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश के हस्ताक्षर हैं और उसको उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने अपना समर्थन देकर उक्त चेक के हस्ताक्षर के प्रमाणित तारीख 25-2-80 को ही किया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त चेक को कैश करा लिया और क्या सरकार इस बात की छानबीन करेगी कि उक्त चेक बुक संख्या 3870 से कितने रुपये की कितनी चेकें इसके पूर्व कट चुकीं और कैश हो गयीं? क्या यह चेक बुक फर्जी है जिसको ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी ने तारीख 28-2-80 को चेक संख्या 3870/069 दिनांक 23-2-80 को पकड़ लिया है? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

108–श्री रुद्र प्रताप सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

109–श्री रुद्र प्रताप सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर ने किया है? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, देवरिया के विरुद्ध जांच हुई है।

उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के अनुसार भूतपूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया द्वारा किये गये निम्नलिखित गंभीर अनियमित कार्य प्रकाश में आये हैं:–

(1) नये प्राइमरी स्कूल को मान्यता देना।

(2) बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उपलब्धि के बावजूद बी0 एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करना।

(3) बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के स्थानान्तरण पर रोक लगाने के बाद भी बिना समिति अथवा उप शिक्षा निदेशक से अनुमति लिए स्थानान्तरण करना।

(4) मनमाने ढंग से अध्यापकों का निलम्बन करना तथा पूरी कार्यवाही किये बिना बहाल कर भ्रष्ट आचरण का परिचय देना।

(5) मान्यता के नवीनीकरण में भ्रष्ट आचरण का परिचय देना।

110–श्री नन्द किशोर सिंह–

[उरई सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 76 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम कुसुमा, जिला बांदा की निवासिनी श्रीमती दसिया का पुलिस बल की मौजूदगी में सती होने की सूचना

111–श्री जयदीप सिंह

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुसुमा, जिला बांदा की निवासिनी श्रीमती दसिया 11 अगस्त, 1981 या उसके आस-पास में उपरोक्त ग्राम में दो पुलिस राब इन्स्पेक्टरों, पांच कांस्टेबिलों एवं पी0 ए0 सी0 के जवानों की मौजूदगी में अपनी पति की चिता पर सती हो गई? क्या सरकार इस कांड की जांच करवायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

दिनांक 11-8-81 के प्रातः पौने दस बजे ग्राम कुरामा के चौकीदार ने थाना अतर्रा पर श्रीमती दसिया के सती होने की आशंका की सूचना दी जिस पर उपलब्ध पुलिस बल तुरन्त घटनास्थल पर रवाना हुआ जहां श्रीमती दसिया के सती होने की तैयारी जोरों पर थी। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुये अधिक पुलिस फोर्स हेतु सूचना भिजवाई तथा श्रीमती दसिया से सती न होने का आग्रह किया। अपार भीड़ को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया गया किन्तु अपर्याप्त पुलिस बल के कारण श्रीमती दसिया सती होने में सफल हो गई।

उक्त घटना के सम्बन्ध में 6 नामित तथा बहुत से अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग धारा 147/148/149/353/332/306 भा0 दं0 वि0 का पंजीकृत हुआ और विवेचनोपरान्त नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

112–श्री जयदीप सिंह–

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना बिलग्राम में तैनात उप निरीक्षक श्री नूर मोहम्मद के विरुद्ध आरोप तथा जुर्म खारिज की रिपोर्ट

113–श्री हरीशंकर–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि क्या मन्सुख हरिजन नवीन भू आवण्टी की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 79 सन् 81 के अन्तर्गत धारा 379 आई0 टी0 सी0 का मुकदमा थाना बिलग्राम, जिला हरदोई में कायम हुआ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट में किसी थानेदार के विरुद्ध भी आरोप लगाया गया था?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां।

उक्त रिपोर्ट में थाना बिलग्राम में तैनात उप निरीक्षक श्री नूर मोहम्मद के विरुद्ध आरोप लगाया गया था।

114–श्री हरीशंकर–

क्या यह सत्य है कि उक्त मुकदमें की विवेचना का कार्य थाना इन्चार्ज ने उसी थानेदार को दे दिया जिसके विरुद्ध रिपोर्टकर्ता ने आरोप लगाया था? यदि हां, तो उक्त मुकदमें में क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जी हां। किन्तु विवेचना शीघ्र ही अन्य को हस्तान्तरित कर दी गई। विवेचना से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया। अतः जुर्म खारिज की रिपोर्ट दी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर ली गयी है।

देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी, जिला हरदोई के स्पेशल आडिट में पायी गयी अनियमितताओं की जांच

115–श्री हरीशंकर–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी जिला हरदोई का स्पेशल आडिट माह अगस्त-सितम्बर, 81 में किया गया? यदि हां, तो स्पेशल आडिट में कौन-कौन सी अनियमितताएं पायी गयीं? उक्त अनियमितताओं के संबंध में संबंधित व्यक्तियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां।

स्पेशल आडिट में पाई गई अनियमितताओं की सूची † संलग्न है।

अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मंडल, लखनऊ को भेज दी गई है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी आरम्भ कर दी गई है। मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, षष्ठ मंडल, लखनऊ को तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हरदोई जनपद में मार्गों तथा पुल के निर्माण के लिये आदेश का कार्यान्वयन

116–श्री हरिशंकर–

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 2-9-81 को राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हरपालपुर–अरवल मार्ग, बड़ागांव में कुण्डा नदी पर पुल का निर्माण बिलग्राम–रामपुर–मझियारी मार्ग जिला हरदोई के निर्माण कार्य के लिये आदेश किये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का कार्यान्वयन कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वर्तमान उप विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी श्री रमाकान्त अस्थाना एवं मुख्य लिपिक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय श्री ललित बाबू के विरुद्ध आरोप

117–श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि 18-7-81 को राज्य शिक्षा मंत्री को बारह सूत्रीय आरोप पत्र भूतपूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी एवं वर्तमान उप विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी, श्री रमाकान्त अस्थाना तथा मुख्य लिपिक, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बाराबंकी श्री ललित बाबू के विरुद्ध दिया था जिस पर क्या माननीय मंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया था? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले? क्या यह सत्य है कि बेसिक शिक्षा निदेशक के प्रभाव से जांच के बहुत से साक्ष्य नष्ट किए जा रहे हैं? यदि नहीं, तो निष्पक्ष जांच के लिए उपरोक्त दोनों महानुभावों का तबादला क्यों नहीं किया गया?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां। इस मामले में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से जांच कराई जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

ऐसी कोई सूचना शासन को उपलब्ध नहीं है, अतः इनके तबादले की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

118–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज संसाधनों का पता लगाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण–कार्य

119–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था? यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण के परिणामों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उपरोक्त सर्वेक्षण के फलस्वरूप अन्य किन खनिज संसाधनों का पता चला है?

---

†छापी नहीं गई।

श्री नियाज हसन खां–

जी हां।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज संसाधनों का पता लगाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है किन्तु परिणामों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। अब तक जिन खनिज भण्डारों का पता चला है उनका विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 257 पर।)

विधान सभा क्षेत्र बांदा में माध्यमिक एवं जूनियर विद्यालयों के जीर्णशीर्ण भवन

120–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांदा में इस समय कितने माध्यमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं? क्या सरकार उनका जीर्णोद्धार कराने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा में ट्रैक्टर, मोटर, टेलीविजन के प्रशिक्षण की सुविधा

121–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या सरकार को मालूम है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बांदा में ट्रैक्टर, मोटर, टेलीविजन बनाने के ट्रेड के प्रशिक्षण की व्यवस्था वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार इन ट्रेडों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस जनपद में भी शीघ्र करेगी? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जी हां। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बांदा में प्रश्नगत व्यवसायों के प्रशिक्षण की सुविधा इस समय उपलब्ध नहीं है।

धनाभाव के कारण वर्तमान समय में बांदा में प्रश्नगत व्यवसायों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

जिला बांदा के कतिपय ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्ण शीर्ण भवन तथा उनका पुनः निर्माण

122–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला बांदा के तरौहर ब्लाक में कन्या प्राइमरी पाठशाला ग्राम बरौहर बुजुर्ग तथा ब्लाक महुआ में प्राइमरी पाठशाला ग्राम बिलगांव के भवन गिर गये हैं अथवा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पुनःनिर्माण कराने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बांदा में बांदा बिसन्डा ओरन मार्ग का निर्माण

123–श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में बांदा बिसन्डा ओरन मार्ग गत 10 वर्ष से निर्माणाधीन है? इस पर कितना धन व्यय हो चुका है तथा इसके कब तक पूर्ण होने की आशा है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। बांदा से पहाड़ी तक के सम्पूर्ण स्वीकृत मार्ग पर 68.28 लाख रुपया व्यय हो चुका है। प्रश्नगत मार्ग स्वीकृत आगणन के अनुसार लगभग पूर्ण है।

वक्फ आयुक्त द्वारा अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश

124–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सन् 1979 से अब तक वक्फ विभाग के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश कब-कब जारी किये गये हैं? क्या सेवा समाप्ति के आदेश से पूर्व संबंधित कर्मचारियों को नोटिस या कोई आरोप पत्र दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार के सेवा समाप्ति के आदेशों को निरस्त करने के साथ-साथ भविष्य हेतु रोक लगायेगी तथा इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित तथा प्रशासनिक आधार पर 22-12-79 24-1-80, 20-3-80, 9-5-80, 6-6-80 तथा 16-12-80 में कुछ अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये गये हैं। शासन के स्थायी आदेशों के अनुसार किसी भी अस्थायी कर्मचारी को बिना कारण बताये या बिना आरोप पत्र दिये सेवा से हटाया जा सकता है। सेवा समाप्ति से पहले उक्त कर्मचारियों को एक माह का नोटिस या नोटिस के बदले एक माह का वेतन का भुगतान किया गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद में वक्फ आयुक्त द्वारा टंककों को वेतन

125–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में वक्फ आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा 30-4-81 को टंकक वक्फ के पद पर एक नई नियुक्ति करके एक पद से दो कर्मचारियों का वेतन आहरित कराया गया है तथा दिनांक 10-7-81 को पूर्व से कार्यरत टंकक का स्थानान्तरण शासन की नीति के विरुद्ध जनपद सहारनपुर को किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति को रद्द करके स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

जनपद फैजाबाद में एक पद से दो टंककों का वेतन आहरित नहीं कराया गया है बल्कि वक्फ सर्वेक्षण के कार्य में तीव्रता लाने के उद्देश्य से जनहित में वहां एक अतिरिक्त टंकक की व्यवस्था की गई है जिसे आवश्यकता न रहने पर समाप्त कर दिया जायेगा। इस जनपद में पूर्व से कार्यरत टंकक के सहारनपुर के स्थानान्तरण आदेश पहले ही निरस्त किये जा चुके हैं।

अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का आरोप

126–श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री जिया राम शुक्ल विकल साकेती–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-7-76 को अध्यक्ष, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की कोई शिकायत तत्कालीन मुख्य मंत्री को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

इस प्रकार का कोई पत्र उद्योग विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला वाराणसी में सब इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण

127–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में कितने सब इन्स्पेक्टर ऐसे हैं जिन्हें एक थाने पर ही तीन वर्ष से ऊपर हो गया है? ऐसे लोगों को अब तक ट्रांसफर न करने का कारण क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद वाराणसी में कोई भी सब इन्सपेक्टर ऐसा नहीं है जो एक ही थाने पर 3 वर्ष से अधिक अवधि से नियुक्त हो। अन्य प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद वाराणसी, थाना फूलपुर को बी क्लास थाना बनाने की मंजूरी

128–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी को बी क्लास का थाना बनाना मंजूर हुआ है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद वाराणसी का थाना फूलपुर पहले से ही द्वितीय श्रेणी (बी क्लास) का थाना है।

शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय उ0 मा0 विद्यालय, सुभाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के सहायक अध्यापक श्री बनवारी लाल शर्मा के प्रत्यावेदन पर निर्णय के आदेश

129–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977-78 की गोपनीय आख्या में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में श्री बनवारी लाल शर्मा स0 अ0 स्नातक वेतन क्रम (सामान्य) राजकीय उ0 मा0 विद्यालय सुभाड़ी (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक पौड़ी गढ़वाल का क्या कोई प्रार्थना पत्र फरवरी, 79 में मिला था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां। श्री शर्मा के प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लेने के आदेश शिक्षा निदेशक को दिए जा चुके हैं।

शाहजहांपुर जिले की पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों द्वारा खरीदे गये जेनरेटर सेट तथा सबसिडी के लिए दिया गया प्रार्थना पत्र

130–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिले की जिन पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों ने जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1980 में जेनरेटर सेट खरीदा है उनकी संख्या क्या है तथा क्या उनमें से कोई इकाइयां ऐसी भी हैं जिन्हें जेनरेटर सेट खरीदने के लिए उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अप्रैल, 1980 के अन्त तक भी सबसिडी नहीं दी जा सकी है? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा न देने का क्या कारण है? सबसिडी कब तक दे दी जायेगी?

श्री नियाज हसन खां–

जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 1980 में शाहजहांपुर जिले की केवल तीन इकाइयों मेसर्स प्रसाद कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 तथा प्रभु दयाल गया प्रसाद ने जेनरेटिंग सेट खरीदा तथा सब्सिडी के लिये अपना प्रार्थना पत्र वित्तीय निगम को क्रमशः 30-12-80, 26-3-81 तथा 1-10-80 को प्रस्तुत किया था। इनमें से मेसर्स प्रसाद कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री को सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है तथा मेसर्स प्रभू दयाल गया प्रसाद को योजना के नियमों के अन्तर्गत सब्सिडी देने योग्य नहीं पाया गया। मेसर्स किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 से निगम द्वारा कुछ

सूचनायें मांगी गई हैं जो उक्त इकाई से प्राप्त नहीं हो सकी है। इकाई से सम्पर्क करके मामले का निस्तारण निगम द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्रदेशीय पुलिस सेवा के सभी अस्थाई अधिकारियों का स्थायीकरण

131—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा एसोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन को लखनऊ में दिनांक 10-12-80 को सम्बोधित करते हुए उन्होंने एलान किया था कि "प्रदेशीय पुलिस सेवा के सभी अस्थाई अधिकारियों को 15 दिन में स्थाई कर दिया जायेगा"?, यदि हां, तो अधिकारियों में किस-किस श्रेणी के पुलिसकर्मी आते हैं तथा घोषणा के बाद से 31 अप्रैल, 81 तक प्रदेश में कुल कितने अधिकारियों का स्थायीकरण किया गया?,

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मुख्य मंत्री जी ने पुलिस संघ के वार्षिक अधिवेशन को दिनांक 10-12-1980 को सम्बोधित करते हुए ऐसा एलान नहीं किया था कि प्रदेशीय पुलिस सेवा के सभी अस्थाई अधिकारियों को 15 दिन में स्थाई कर दिया जायेगा। चूंकि प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नकारात्मक है इसलिए प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकों और इतिहास की पुस्तकों से आपत्तिजनक पाठों को छानबीन कर निकालने हेतु समिति का गठन

132—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों और इतिहास की पुस्तकों से आपत्तिजनक पाठों को छानबीन कर उन्हें निकालने के लिए हाल में ही किसी समिति का गठन किया है? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं? अब तक कितनी पाठ्य पुस्तकों की छानबीन की जा चुकी है तथा अब तक उनमें पाई गई आपत्तिजनक सामग्री क्या है?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:—

(1) सचिव, उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग।
(2) सचिव, उ0 प्र0 शासन, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।
(3) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधि:—
(क) डा0 एस0 एच0 [illegible], रीडर इतिहास।
(ख) डा0 एन0 के0 सिंह, रीडर हिन्दी।
(4) शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0।
(5) संयुक्त सचिव, उ0 प्र0 शासन, शिक्षा विभाग।

अभी समिति कार्य कर रही है और उसके द्वारा की जा रही कार्यवाही पूर्ण नहीं हुयी है, इसलिये अभी अन्य कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिकों की सहभागिता की योजना लागू करने के आदेश

133—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में ही सार्वजनिक उपक्रमों में श्रमिक भागीदारी योजना लागू कर दी गई है? यदि हां, तो योजना कब से लागू की गई है?, योजना की रूपरेखा क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादनरत औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों की सहभागिता की योजना लागू करने के आदेश दिनांक 14 नवम्बर, 1980 को जारी कर दिये गये थे।

यह योजना ऐसी उत्पादनरत इकाइयों में लागू की जानी है जिनमें 200 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हैं और जो पिछले तीन वर्षों से उत्पादन कर रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कार्यशाला परिषदों तथा संयुक्त प्रबन्ध परिषद् के गठन का प्राविधान है, जिनमें सेवायोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होंगे। श्रमिकों को निदेशक-मंडल में भी प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्राविधान योजना के अन्तर्गत किया गया है। इस योजना में सहभागिता के विभिन्न स्तरों पर श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव गोपनीय मतदान के द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त उक्त योजना, कतिपय संशोधनों के साथ, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में लागू करने के आदेश भी निर्गत कर दिये गये हैं।

जिला बस्ती के कतिपय मार्गों के निर्माण में गोलमाल का आरोप

134–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 8 फरवरी, 1980 को कोई आवेदन पत्र मंत्री जी को तत्कालीन विधायक श्री विश्वनाथ पांडेय ने दिया था जिसमें बस्ती जिले के बांसी-इटवा तथा बांसी-नौगढ़ एवं जिगिना-चौतिया मार्गों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों में लाखों का गोल माल का आरोप है? यदि हां, तो उसकी जांच हुई या नहीं? यदि नहीं हुई, तो क्यों? क्या अब भी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, जांच की जा रही है।

रुड़की विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल का ज्ञापन

135–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुड़की विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने एक ज्ञापन दिनांक 7-3-81 को सहारनपुर में उन्हें दिया था? यदि हां, तो उस पर अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जी हां। उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मांगों के संबंध में सरकार द्वारा विचार किया गया तथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का कोटा

136–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में जितने व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाधिकारी कार्यरत हैं उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति का एक भी प्रतिनिधि नहीं है? यदि हां, तो क्यों? क्या विभाग द्वारा उनका कोटा पूरा करने पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

(1) राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत दस व्यवस्थापकों में से इस समय दो व्यवस्थापक अनुसूचित जाति के तथा एक व्यवस्थापक पिछड़ी जाति के हैं। इस प्रकार व्यवस्थापकों के पदों पर आरक्षण पूर्ण हो गया है।

(2) व्यवस्था अधिकारियों के पदों के लिये निर्धारित अर्हता में होटल मैनेजमेन्ट का डिप्लोमा भी सम्मिलित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुये। अतः आरक्षण का कोटा इस पद हेतु पूरा नहीं किया जा सका। पद और उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्धता पर आरक्षण का कोटा पूरा किया जा सकेगा।

स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि महाविद्यालयों में सेवानिवृत प्रधानाचार्य तथा स्वीकृत पेंशन

137—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1979 तथा जून, 1980 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि महाविद्यालयों से किन-किन प्रधानाचार्यों ने अवकाश ग्रहण किया तथा क्या उन्हें पेंशन देना प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक देना प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

महाविद्यालयों से प्राप्त पेंशन सम्बन्धी पत्रों के अनुसार वर्ष 1979 तथा जून, 1980 की अवधि में संलग्न सूची में किये गये उल्लेखानुसार एक राजकीय महाविद्यालय तथा नौ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने अवकाश ग्रहण किया है। इनमें से एक राजकीय महाविद्यालय की प्राचार्या तथा चार अशासकीय महाविद्यालयों की प्राचार्यों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। शेष को संलग्नक के स्तम्भ—6 में अंकित कारणों से पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है। स्तम्भ 6 में अंकित आपत्तियों का निवारण होने पर उन्हें भी पेंशन शीघ्र स्वीकृत कर दी जायेगी।

(देखिये नत्थी के आगे पृष्ठ 258 पर।)

श्री रामपाल जाटव, निवासी ग्राम रुद्रायन, जिला फर्रुखाबाद द्वारा थाना कम्पिल पर दर्ज की गई रिपोर्ट पर विचार

138—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि ग्राम रुद्रायन थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद के रामपाल (हरिजन) ने दिनांक 24-8-79 या उसके आसपास की तारीख को धारा 395, 394, 332, 352 में कोई रिपोर्ट थाना कम्पिल में लिखाई थी और विवेचना के बाद मुकदमा अदालत में भेज दिया गया था? यदि हां, तो क्या वह अदालत में चल रहा है? क्या शासन उस मुकदमें को वापस लेने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो मुकदमें को वापस लेने का औचित्य क्या है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री रामपाल जाटव निवासी ग्राम रुद्रायन जिला फर्रुखाबाद ने दिनांक 24-8-79 को एक रिपोर्ट थाना कम्पिल पर धारा 394/395/332/353/342 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत लिखाई थी जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद जुडीशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के न्यायालय में विचाराधीन है।

मुकदमा वापसी का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था किन्तु शासन द्वारा विचारोपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

रुहेलाण्ड विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्त डा0 जे0 नारायण सिंघल के विरुद्ध वित्तीय मामलों की जांच

139—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 राम जी लाल सहायक के अवकाश पर चले जाने के बाद विश्वविद्यालय के एडहाक कुल सचिव डा0 जे0 नारायण सिंघल को कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया गया है?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

140—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कुल सचिव डा0 जे0 नारायण सिंघल के विरुद्ध वित्तीय मामलों की जांच के अधीन स्पेशल आडिट माह फरवरी, 1981 में शासन ने कराया था? आडिट की क्या रिपोर्ट है तथा उसमें इनके ऊपर क्या आरोप है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–
जी नहीं।

गुरुनानक उ0 मा0 विद्यालय बिलासपुर, जिला रामपुर में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति की जांच

141–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–
क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर द्वारा वर्ष 1979 में शिक्षा निदेशक उ0 प्र0 को कोई इस आशय का मामला निर्णय के लिए संदर्भित किया गया है कि वर्ष 1974 में श्री गुरुनानक उ0 मा0 विद्यालय बिलासपुर, जिला रामपुर में एक अध्यापक की नियुक्ति बी0 एड0 की फर्जी डिग्री के आधार पर दी गई? यदि हां, तो इस बारे में अब तक शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा दोषी व्यक्तियों तथा षड़यंत्रकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–
जी हां।
दोषी अध्यापक के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 ई(10) के अनुसार शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 के द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

142–143–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–
[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्मित की गयी पिकअप कालोनी की टेकनिकल आडिट सेल द्वारा जांच

144–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा लखनऊ में बनाई गई पिकअप कालोनी कार्य की जो जांच टेकनिकल आडिट सेल ने की थी, उसकी जांच रिपोर्ट वर्ष 1980-81 में शासन को प्राप्त हो गई है और क्या यह भी सही है कि सब स्टैन्डर्ड कार्य पाये जाने पर पिकअप ने निर्माण निगम से लगभग 7 लाख का क्लेम किया है? यदि हां, तो उसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री अम्मार रिजवी–
जी हां। सेल की जांच आख्या शासन के विचाराधीन है।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा पूर्ण हुए कार्यों के लेखों का अन्तिम समायोजन तथा विभागों को हस्तान्तरण

145–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–
क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम द्वारा वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में जिन कार्यों को समाप्त करके संबंधित विभागों को हस्तान्तरित कर दिया गया है उनके लेखे जोखे का अंतिम समायोजन कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–
वित्तीय लेखे बन चुके हैं किन्तु पूर्ण हुये कार्यों के लेखों का अंतिम समायोजन नहीं हो सका क्योंकि कुछ बिन्दुओं पर ग्राहकों से स्पष्टीकरण, अंतिम बिल के भुगतान में बिलम्ब एवं सामग्रियों के खपत के पूर्ण विवरण संकलित नहीं हो पाये। निगम के नया होने के नाते यह समस्या व्यापक रही है और उसमें सुधार के कदम उठाये गये हैं, अतः किसी अधिकारी एवं कर्मचारी विशेष के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न तभी उठेगा जब अंतिम समायोजन के समय उसमें कोई दोषी पाया जायगा।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा पुलिस, न्यायालय एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के भवन निर्माण कार्यों की नियमानुसार प्राविधिक स्वीकृति

146–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित किये जा रहे कार्यों की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार दी जाती है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक के बीच पुलिस, न्यायालय एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के भवन निर्माण कार्यों की प्राविधिक स्वीकृति नियमानुसार दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस अनियमितता का दोषी कौन है?

श्री अम्मार रिजवी–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे कार्यों वित्तीय वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक के **बीच पुलिस न्यायालय एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के भवन निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणनों पर प्राविधिक स्वीकृति** नहीं दी गई है। राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को कार्य के विस्तृत आगणनों की प्राविधिक स्वीकृति देने का अधिकार का विषय शासन के विचाराधीन है।

विधान भवन में मंत्रियों को कक्षों के आवंटन का औचित्य

147–श्री रामआसरे वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञापन संख्या है–8210/32-247-81, दिनांक 12 अगस्त, 1981 के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री सहित अन्य मंत्रियों को नवनिर्मित सचिवालय भवन, 4 (सचिवालय अनेक्सी) में कमरे आवंटित किये गये हैं? यदि हां, तो विधान भवन (मुख्य) में भी उन्हें कमरा दिये जाने का औचित्य क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

विधान सभा/विधान परिषद् के सत्र के दौरान तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्य विधान भवन में मुख्य मंत्री जी की उपस्थिति अनिवार्य होने के कारण उन्हें पूर्व कक्ष गये कार्यालय कक्ष के साथ-साथ आरक्षित किया गया है परन्तु मुख्य विधान भवन में केवल तीन प्रमुख विभागों हेतु छोटे कक्ष मंत्रीगण हेतु उपलब्ध कराये गये हैं हालांकि मुख्य मंत्री जी के अतिरिक्त आठ मंत्रीगण के कार्यालय नए भवन में स्थित हैं। **कक्षों का आवंटन** प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर जनहित में किया गया है।

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) में कन्या प्राइमरी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य

148–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) में सन् 1981 तक कितने कन्या प्राइमरी एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन बने हैं कितने भवनों में शिक्षण कार्य चल रहा है, कितने भवनों में शिक्षण कार्य नहीं होता है? जो भवन खाली हैं क्या शिक्षा विभाग उनका उपयोग अन्य कार्यों में करेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

तहसील रानीखेत (अल्मोड़ा) में सन् 1981 तक 39 कन्या प्राइमरी एवं 36 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन बने हैं और कन्या प्राइमरी विद्यालय का निर्माण अधूरा है। 39 कन्या प्राइमरी विद्यालयों में से 33 विद्यालयों के भवन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के पूर्व के निर्मित हैं। शेष भवनों का निर्माण सन् 1981 तक पूर्ण हो चुका है और 1 कन्या प्राइमरी विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। 36 उच्चतर

माध्यमिक विद्यालयों में से 32 विद्यालय भवनों में बालकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं। शेष चार कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से एक का भवन निर्माण कार्य सन् 1981 तक हुआ है। दो विद्यालय किराये के भवनों में चल रहे हैं तथा एक का शिक्षण कार्य पूर्व परिषदीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के जिला परिषदीय भवन में चल रहा है। इसकी भूमि व भवन के हस्तान्तरण की कार्यवाही चल रही है। निर्मित सभी विद्यालय भवनों में शिक्षण कार्य चल रहा है और कोई ऐसा विद्यालय भवन नहीं है जहां शिक्षण कार्य नहीं होता है। कोई विद्यालय भवन खाली नहीं है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा उनके अन्य कार्यों के लिए उपयोग का प्रश्न नहीं उठता है।

कुमाऊं मंडल में स्थापित राजकीय कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों में कालीन एवं करघे का क्रय

149—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊं मण्डल में उद्योग विभाग द्वारा 1979 से 1981 तक कितने कालीन, करघे, हथकरघे, तागा, रंग रसायन क्रय किया गया है, इससे सरकार को कितना लाभ हुआ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां—

वर्ष 1979 से 1981 तक की अवधि में कुमाऊं मंडल में स्थापित सात राजकीय कालीन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए 47 कालीन करघों का क्रय किया गया। कालीन प्रशिक्षण योजना व्यापारिक योजना नहीं है अतः उससे वित्तीय लाभ-हानि का प्रश्न नहीं उठता। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में सोप स्टोन एवं मैग्नेसाइट खनिज के लिए स्वीकृत खनन पट्टे

150—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1966 से 1981 तक जनपद अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में सोप स्टोन एवं मैग्नेसाइट की लीज किन-किन व्यक्तियों, कम्पनियों, निगमों को कितने वर्षों के लिये दी गयी है? जो इकाइयां कार्य नहीं कर रही हैं सरकार उनका कार्य सुचारु रूप से चलवाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां—

जनपद अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में सोप स्टोन एवं मैग्नेसाइट खनिज के लिये जो खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं उनका पूर्ण विवरण संलग्न है। अल्मोड़ा जिले में पांच खनन पट्टेदार सुचारु रूप से खनन कार्य नहीं कर रहे हैं और उनको प्रदेश शासन तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व संबंधित जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर नोटिस दिये गये हैं। इनमें से एक पट्टा हस्तान्तरित करने, दो को समाप्त करने तथा दो पट्टेदारों से खनन कार्य सुव्यवस्थित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 259—260 पर।)

सहायक श्रम आयुक्त, वाराणसी के यहां जारी किये गये वसूलयाबी प्रमाण-पत्र

151—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक श्रम आयुक्त, वाराणसी के यहां के वाद संख्या पी0डब्लू0 49/74, 97/74, 31/75, 82/75 एवं 90/80, 13/80 के लिए रिकवरी सर्टीफिकेट (वसूलयाबी प्रमाण-पत्र) क्रमशः 2-1-81, 20-6-81 तथा 5-6-81 को जिलाधीश, वाराणसी के यहां भेज दिया गया? यदि हां, तो इसकी वसूली न करने का कारण क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

पी0 डब्लू0 वाद संख्या 49/74, 97/74, 31/75 व 82/75 में दिनांक 2-1-81 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। अभी तक वसूली नहीं हो सकी है, क्योंकि प्रतिष्ठान बन्द हो गया है और प्रतिष्ठान के मालिक की मृत्यु हो चुकी है। वारिसान से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

पी0 डब्लू0 वाद संख्या 90/80 में दिनांक 13-8-81 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। धनराशि की वसूली अभी तक नहीं हो पायी है, क्योंकि आयुक्त, वाराणसी ने नीलामी की कार्यवाही पर रोक लगा दी है और सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 23-1-82 निश्चित की है।

पी0 डब्लू0 वाद संख्या 13/80 में दिनांक 2-6-81 को वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध प्रतिवादी ने अपील दायर की, जिसमें सिविल न्यायालय ने प्रतिवादी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिससे अभी तक वसूली नहीं की जा सकी है।

ताज टेनरी के मजदूरों की मांगों पर कृत कार्यवाही

152–श्री उदल–

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि ताज टेनरी के मजदूरों ने अगस्त, 81 में एक मांग-पत्र प्रबन्धकों को दिया है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है?

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर में गबन, धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नेशनल हाइवे द्वारा की गयी जांच

153–श्री उदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सा0 नि0 विभाग, मिर्जापुर के बारे में गबन, धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग से संबंधित प्रार्थना-पत्र तथा एक सूची एवं फोटो स्टेट कापी आदि के प्रमाण-पत्रों के साथ आर0 एस0 गौतम ने मा0 मुख्य मंत्री को सन् 1980 में दिया है और मा0 मुख्य मंत्री के सचिव श्री भूरे लाल ने 12 जुलाई, 80 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर के बारे में गौतम द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच हेतु जिलाधिकारी, मिर्जापुर को पत्र लिखा और कई रिमाइन्डर दिये? यदि हां, तो जिलाधिकारी ने कोई जांच कराया कि नहीं? जांच हुई, तो उनकी रिपोर्ट क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां, मुख्य मंत्री जी के सचिव द्वारा जिलाधिकारी, मिर्जापुर को दिनांक 12 जुलाई, 1980 को नहीं बल्कि 22 जुलाई, 1980 को जांच हेतु पत्र भेजा गया था जिस पर उनके द्वारा जांच की जा रही है।

154–श्री उदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नेशनल हाईवे को जांच अधिकारी नियुक्त किया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नेशनल हाईवे ने 28 अगस्त, 80 को मिर्जापुर में जाकर तीन दिन तक जांच किया और प्रारम्भिक जांच एवं तीन शिकायतों की जांच की थी? क्या यह सही है कि तीनों शिकायतों को सही पाया था और अपनी रिपोर्ट सचिव, श्री मजूमदार को दिया कि संबंधित अधिकारियों को तुरन्त वहां से हटा दिया जाय ताकि जांच कार्य सुचारु रूप से हो सके? इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

अतिरिक्त मुख्य अभिगन्ता, नेशनल हाइवे को जांच आख्या में दोषी अभियन्ताओं के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त शासन ने एक अधिशासी अभियन्ता, एक सहायक अभियन्ता तथा दो लवर अभियन्ताओं को निलम्बित कर दिया तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। एक अधिशासी अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ताओं को मिर्जापुर से स्थानान्तरित भी किया जा चुका है।

अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया द्वारा टूल्स एवं प्लान्ट के क्रय हेतु स्वीकृति

155–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता, अस्थायी प्रकल्प, देवरिया को वर्ष 1978 तथा 1979-80 में 20 हजार की टूल एवं प्लान्ट क्रय हेतु स्वीकृति मिली थी परन्तु 4 लाख रुपये का सामान खरीदा गया? ऐसा किसके आदेश से किया गया? क्या क्रय किये गये सामानों की जांच तकनीकी विभाग के अधिकारी से कराई जायगी?

श्री अम्मार रिजवी–

यह सत्य नहीं है कि अस्थायी खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया को वर्ष 1978 तथा 1979-80 में 20,000/- रुपये का टूल्स एवं प्लान्ट्स क्रय हेतु स्वीकृति मिली थी। यह भी सत्य नहीं है कि इस अवधि में 4.00 लाख रुपये का टूल एवं प्लान्ट का सामान खरीदा गया। अतः किसी प्रकार की जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिलान्तर्गत बरहन–रुद्रपुर मार्ग पर निर्माण कार्य

156–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बरहन-रुद्रपुर मार्ग पर 1-1-80 से 31-12-80 के बीच कितने रुपये की गिट्टी का कार्य हुआ? कितने रुपये का रेलकट हुआ? कितने धन की सीलिंग हुआ? कितने पर मिट्टी की कुटाई हुई? क्या उक्त कार्य वर्क आर्डर से हुआ या टेन्डर से? क्या काम न होने का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

0.25 लाख रुपये का गिट्टी का कार्य हुआ। रेलकट तथा सीलिंग का कोई कार्य न होने के कारण अभी इन मदों पर कोई धन व्यय नहीं हुआ। 7.00 कि0मी0 में ईंट की गिट्टी तथा 6.00 कि0मी0 में पत्थर की गिट्टी की कुटाई की गयी। आंशिक कार्य वर्क आर्डर से तथा आंशिक कार्य टेन्डर से हुआ। काम न होने का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था परन्तु शिकायत निराधार पाई गयी।

पैंटून ब्रिज, जिला देवरिया में बालू की आपूर्ति तथा क्रय की गयी खाली बोरियों का रेट

157–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कवरवार घाट, जिला देवरिया का पैन्टून ब्रिज लोकल बालू से गिरा है? यदि हां, तो मार्च, 1980 व 81 में कितने रुपए की बालू की आपूर्ति की गयी? क्या इसकी आवश्यकता थी? यदि हां, तो इस घाट पर कितनी खाली बोरियां क्रय की गयीं उसका रेट क्या था? क्या दूना रेट करके भुगतान किया गया?

श्री अम्मार रिजवी–

जी नहीं।

वर्ष 1980-81 में रु0 2136.00 की लोकल बालू क्रय की गयी। जिसकी आवश्यकता थी। कुल 5000 खाली बोरियां क्रय की गयी। उनका रेट दो रुपया प्रति बोरी था।

जी नहीं।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, देवरिया से माप पुस्तिकाओं की चोरी

158–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, देवरिया से दिनांक 17-3-81 को 65/एस0 एवं 69/एस0 दो माप पुस्तिकायें चोरी हो गयीं जिसमें इलाहाबाद से ह्यूम पाइप की सप्लाई तथा टी0एन0पी0 के क्रय किये गये फर्जी सामानों की एन0 बी0 थी? यदि हां, तो इस संबंध में कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

मागत हुई माप पुस्तिका 65/एस एवं 69/एस में इलाहाबाद से ह्यूम पाइप की सप्लाई की माप अंकित है परन्तु टी0 एण्ड पी0 की फर्जी पैमाइश नहीं की गयी है।

माप पुस्तिकाओं की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गयी। उक्त मामले में विभागीय जांच के अनुसार एक वर्क एजेन्ट माप पुस्तिकाओं के खो जाने के लिए उत्तर-दायी पाया गया जिसे दंडित कर दिया गया है।

देवरिया जिले में प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में अध्यापकों की कमी तथा निर्माणाधीन विद्यालय

159–हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत प्राइमरी एवं जूनियर स्कूलों में 30 जून, 1981 तक कितने अध्यापकों की कमी मानक के अनुसार है तथा कितने बी0टी0सी0 ट्रेंड अध्यापक बेरोजगार हैं? क्या कमी की पूर्ति बेरोजगार ट्रेंड अध्यापकों में से कर ली जायेगी? और इस समय कुल अध्यापकों की संख्या कितनी है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

प्राइमरी स्कूलों में 74 और जूनियर हाई स्कूलों के 95 अध्यापकों की कमी 30 जून, 1981 को निर्धारित मानक के अनुसार है।

इस जनपद में उक्त दिनांक को 762 बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं।

जी हां।

वर्तमान समय में 6,212 अध्यापक प्राइमरी स्कूलों में और 835 जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत हैं।

160–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल, 30 जून, 1981 तक हैं? कितने विद्यालयों के पास भवन हैं, कितने भवन विहीन तथा कितने निर्माणाधीन व गिरे हुए हैं? उनके नाम व पते क्या हैं?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह–

देवरिया जनपद में 30 जून, 1981 को बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 1,904 प्राइमरी व 217 जूनियर हाई स्कूल थे जिनमें से 1,367 प्राइमरी व 155 जूनियर हाई स्कूलों के भवन थे। 537 भवनहीन प्राइमरी स्कूलों में से 116 स्कूलों के भवन तथा 62 भवनहीन जूनियर हाई स्कूलों में से 9 जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माणाधीन हैं। इनकी सूची संलग्न है।

जिन प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन हैं उनमें से 341 प्राइमरी स्कूलों तथा 51 जूनियर हाई स्कूलों के भवन गिरे अथवा क्षतिग्रस्त हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 261–263)

खड्डा स्थित शुगर मिल के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

161–श्री हरिवंश सहाय–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि खड्डा शुगर फैक्ट्री, खड्डा, जिला देवरिया में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को प्रतिदिन 5 रु0 की मजदूरी दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या नियमानुकूल दैनिक वेतनभोगी मजदूरों को बोनस नहीं दिया जाता है? यदि हां, तो उसका कारण क्या है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जी नहीं। यह सही नहीं है कि खड्डा स्थित शुगर मिल के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को 5 रुपया दैनिक वेतन दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

दैनिक वेतन भोगी सभी कर्मचारी, जिन्होंने वर्ष में 30 दिन या इससे अधिक दिन काम किया है, नियमानुसार बोनस पाने के अधिकारी हैं।

जिन श्रमिकों की सेवा अवधि वर्ष भर में 30 दिनों से कम होती है वे बोनस पाने के अधिकारी नहीं होते हैं।

'स्प्रिंग डेल स्कूल, लखनऊ को' निर्गत नो आब्जेक्शन प्रमाण-पत्र

162–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा अनुभाग–6 द्वारा अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्प्रिंग डेल स्कूल, लखनऊ को आई0 सी0 एस0 बोर्ड, दिल्ली से मान्यता हेतु 'नो आब्जेक्शन' प्रमाण-पत्र दिनांक 3 सितम्बर, 1981 को जारी किये गये हैं? जबकि नो आब्जेक्शन प्रमाण-पत्र हेतु कतिपय विद्यालयों के आवेदन पत्र जो मई, 1981 से ही उक्त अनुभाग में विचाराधीन है अनुभाग अधिकारी शिक्षा–6 द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु शिक्षा अनुभाग–3 में स्थानान्तरण कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

प्रश्नगत विद्यालय को 'नो आब्जेक्शन' प्रमाण-पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 1981 को निर्गत किया गया। शिक्षा सचिव के आदेश दिनांक 28 अगस्त, 1981 के अनुपालन में नो आब्जेक्शन संबंधी सभी प्रकरणों को शिक्षा अनुभाग–3 को हस्तान्तरित किया गया।

श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर, सिंचाई विभाग, अलीगढ़ को दिया गया रिवाल्वर का लाइसेन्स

163–श्री रामजी राम–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर, सिंचाई विभाग, अलीगढ़ को एक रिवाल्वर का लाइसेन्स तथा अलीगढ़ सरकारी मालखाने से गृह अनुभाग–5 लखनऊ द्वारा रिवाल्वर किस आधार पर तथा किस-किस की संस्तुति पर प्रदान किया गया? क्या यह भी सत्य है कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों तथा मुख्य अभियन्ता ने भी श्री शर्मा का रिवाल्वर संबंधी कोई प्रार्थना-पत्र वर्ष 1977-78 में शासन को अग्रसारित किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री ओम प्रकाश शर्मा, स्टेनोग्राफर, सिंचाई विभाग अलीगढ़ को रिवाल्वर का लाइसेन्स भ्रष्टाचार निवारण में सराहनीय कार्य करने के लिये तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 24-9-73 को स्वीकृत किया गया था । श्री शर्मा अल्प वेतन भोगी कर्मचारी

थे। अतः उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट से गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को यह संस्तुति मिली थी कि जिला आरक्षी से इनको एक रिवाल्वर दे दिया जाय। अतः शासन द्वारा इनको .32 बोर रिवाल्वर लोन पर दिया गया था जिसे दिनांक 18-4-75 को वापस लेकर मालखाना नजारत में जमा कर दिया गया। श्री शर्मा के प्रार्थना-पत्र पर मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश ने सन् 1978 में संस्तुति की थी।

बिन्दकगंज रेन्ज के अन्तर्गत डी0पी0पी0 योजनान्तर्गत वृक्षारोपण हेतु व्यय तथा जोरूखांड प्लान्टेशन पर लगाये गये पौधे

164—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दकगंज रेंज के अन्तर्गत डी0 पी0 पी0 योजना के अन्तर्गत एक लाख बत्रह हजार रुपये के 700 (सात सौ) वृक्ष लगाये गये हैं? क्या यह सच है कि वर्ष 1975-76 में 70,000 तथा 1976-77 में 47,000 रुपये इन्हीं वृक्षों पर ही व्यय किये गये? यदि हां, तो ब्योरेवार विवरण क्या है?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

बिन्दकगंज रेंज का सृजन अक्तूबर, 1976 अर्थात वर्ष 1976-77 में हुआ और उक्त वर्ष वहां डी0पी0पी0 योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु 10,200 गड्ढों के खुदान आदि कार्यों पर रु0 23,500/- व्यय हुआ।

165—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दकगंज रेंज के जोरूखांड प्लान्टेशन कितने एकड़ भूमि में कब लगाया गया था और किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये थे? क्या यह सही है कि उक्त प्लान्टेशन में वन कर्मचारी काश्तकारों से मिल कर खेती कर-वाते हैं?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

बिन्दकगंज रेंज के अन्तर्गत जोरूखांड प्लान्टेशन नहीं है अतः इसके सम्बन्ध में विवरण देने का प्रश्न नहीं उठता।

दुद्धी वन प्रभाग के अन्तर्गत अनधिकृत कब्जों को नियमित करने हेतु आदेश

166—श्री विजय सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी वन प्रभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा अनधिकृत कब्जों को नियमितीकरण हेतु जो सन् 1975 में शासनादेश हुआ था उसके अधीन कितने कब्जे नियमित किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के होते हुए भी वन विभाग के कर्मचारी हरिजनों एवं आदि-वासियों को उस भूमि से बेदखल कर रहे हैं, जिन पर वे वर्षों से काबिज हैं? यदि हां तो क्यों? क्या सरकार हरिजनों एवं आदिवासियों और कमजोर वर्ग के किसानों को जो 1975 के पहले उक्त भूमि पर काबिज हैं तो उनको बेदखल न करने के लिए आदेश प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

शासन द्वारा अनधिकृत कब्जों को नियमित करने हेतु जो शासकीय आदेश सन् 1975 में हुआ है उसके अनुसार हरिजनों, आदिवासियों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का 8-11-1973 तक का अतिक्रमण नियमित किया जाना है। इस शासकीय आदेश के अनुसार केवल सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत निर्धारित सीमा तक ही अतिक्रमण नियमित किया जाना है चूंकि दुद्धी वन प्रभाग में राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेख क्रियायें चल रही है और जब तक भू-अभिलेख क्रिया पूर्ण नहीं हो जाती यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि किसी अतिक्रमणकारी के पास अतिक्रमित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि है या नहीं। और है तो कितनी। अतएव दुद्धी वन प्रभाग में उक्त कारण से अभी नियमितीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। वन विभाग के कर्मचारी हरिजनों

एवं आदिवासियों को नवम्बर, 1973 तक काबिज अतिक्रमित वन भूमि से बेदखल नहीं कर रहे हैं। चूंकि शासकीय आदेश के अनुसार हरिजनों, आदिवासियों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का केवल 8-11-1973 तक का अतिक्रमण ही नियमित किया जाना है 8-11-1973 के बाद के अतिक्रमणों के नियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता है। दिनांक 8-11-1973 तक के अतिक्रमण का नियमितीकरण भू-अभिलेख क्रियायें समाप्त होने पर भारत सरकार के वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार ही सम्भव हो सकेगा।

फतेहपुर वन प्रभाग के तत्कालीन सहायक अरण्यपाल, श्री हंसराज रवि के विरुद्ध आरोपों की जांच

167—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर वन प्रभाग के तत्कालीन सहायक अरण्यपाल (श्री हंसराज रवि) के विरुद्ध रिश्वत लेने एवं आर्थिक भ्रष्टाचार के कुछ अन्य मामले 29 सितम्बर, 1979 में तत्कालीन डी0 एफ0 ओ0 द्वारा शासन के समक्ष लाये गये थे? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

फतेहपुर वन प्रभाग के तत्कालीन सहायक अरण्यपाल (श्री हंसराज रवि) के विरुद्ध तत्कालीन डी0एफ0ओ0 ने कुछ आरोप लगाये थे जिन पर जांच कार्यवाही हो रही है।

168—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

169—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बदायूं में स्वीकृत नये थाने तथा इन थानों की स्थापना संबंधी कार्य की प्रगति

170—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

शीत सत्र 1981 के सातवें संगल के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16, दिनांक 31-3-81 के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद में स्वीकृत तीनों थाने किस-किस स्थान पर खोले गये तथा शासकीय गजट में कब तक प्रकाशित हो जायेंगे और कब तक विधिवत रूप में कार्य करने लगेंगे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद बदायूं में संहत रूप से दो चरणों में कुल चार नये थाने स्वीकृत किये गये हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं :—

1—थाना सिविल लाइन
2— ,, कुंवरगांव
3— ,, फैजगंज बेहटा
4— ,, धनारी

इन नये थानों के कार्यक्षेत्र के बारे में आवश्यक विज्ञप्ति दिनांक 16-12-81 को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु जारी कर दी गयी है। गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशित हो जाने पर ये थाने विधिवत् कार्य करने लगेंगे।

171—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में वर्ष 1980-81 में कितने थाने बनने स्वीकृत हुए थे? क्या यह थाने स्थापित किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक इनकी व्यवस्था की जायेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जनपद बदायूं में वर्ष 80-81 में तीन थाने स्वीकृत किये गये हैं। इन थानों की स्थापना सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। इन थानों के कार्यक्षेत्र में आवश्यक विज्ञप्ति भी दिनांक 16-12-81 को सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु जारी कर दी गयी है। गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने तथा अन्य सुसंगत प्रबन्ध पूर्ण हो जाने पर ये थाने विधिवत् कार्य करने लगेंगे।

जनपद बदायूं में राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई प्रशिक्षण की अनुमति

172–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के उद्योग कार्यालय को अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना), बदायूं ने वर्ष 1979-80 में सरकार द्वारा चलाई गई आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत सिलाई प्रशिक्षण की अनुमति केवल 2 संस्थाओं पाल एण्ड कं0 एवं जन कल्याण संस्थान को दी थी? यदि हां, तो क्यों? उक्त दोनों संस्थाओं को अब तक कुल कितनी धनराशि कितने प्रशिक्षण केन्द्र चलाने एवं कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के बदले में दी गयी? क्या यह संस्थायें अब भी प्रशिक्षण दिला रही हैं?

श्री नियाज हसन खां–

जी हां। जनपद बदायूं में किसी भी राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई उद्योग के प्रशिक्षण देने की सुविधा नहीं थी और दोनों संस्थायें मे0 पाल एण्ड कम्पनी (उषा सिलाई केन्द्र), बदायूं एवं जनकल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, बदायूं प्रशिक्षण देने को तैयार थीं। इनके पास सभी सुविधाएं भी उपलब्ध थीं। अन्य किसी इकाई ने प्रशिक्षण चलाने हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया था।

मे0 पाल एण्ड कम्पनी ने 8 प्रशिक्षण सत्र चलाये जिसमें 357 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और कुल रुपये 68,350/- दिया गया। जन कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान ने चार प्रशिक्षण सत्र चलाये जिसमें 172 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और इस निमित्त रु0 34,200/- दिया गया।

इन संस्थाओं का अब कोई प्रशिक्षण केन्द्र जनपद बदायूं में नहीं चल रहा है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुंवरगांव, बदायूं को कृषि फार्म से आय तथा जमा की गयी धनराशि

173–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं के पंडित जवाहर लाल नेहरू जिला परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुंवर गांव में 72 बीघे का कृषि फार्म है? यदि हां, तो उस फार्म से विद्यालय को लगभग 6,000 रु0 प्रति वर्ष की आय होती है? यदि हां, तो वह धनराशि वर्ष 1976 से 1980 तक विद्यालय के खाते में जमा की गयी? यदि नहीं, तो क्यों और किस खाते में जमा की गयी? क्या सरकार उक्त धनराशि विद्यालय भवन निर्माण हेतु व्यय करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

कृषि फार्म से लगभग 5000 रुपये की आय होती है। वर्ष 1976 से 1980 तक की आय विद्यालय के खाते में जमा नहीं की गई। यह विद्यालय जिला परिषद् का है और कृषि फार्म भी जिला परिषद् बदायूं की सम्पत्ति है। अतएव कृषि फार्म की आय जिला परिषद् की जिला निधि में जमा की गयी है। उक्त धनराशि किस मद में व्यय की जावेगी, यह जिला परिषद् के विचार क्षेत्र का विषय है।

रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में एल0 एल0 एम0 रिसर्च कक्षाएं खोलने के लिए अध्यादेश

174–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की स्थापना जब से हुई है एल-एल0 एम0 रिसर्च कक्षाएं नहीं खुल पायी हैं, इसका क्या कारण है? यह कक्षाएं कब तक खोली जाने की सम्भावना है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अधीन एल0 एल0 एम0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने व रिसर्च कक्षाएं खोलने के लिये अध्यादेश द्वारा व्यवस्था हो सकती है। रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय ने शासन को अब तक वांछित अध्यादेशों का संहत प्रस्ताव नहीं भेजा है। कक्षाएं खोलने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के स्तर पर ही की जाती है।

उच्च शिक्षा आयोग का गठन

175–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च शिक्षा आयोग का विधिवत् गठन हो चुका है? यदि हां, तो यह कब से प्रभावी होगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी नहीं।

विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में लड़कियों के लिए जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार

176–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में लड़कियों के लिए कोई कन्या जूनियर हाई स्कूल नहीं है? क्या सरकार इस ग्राम में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने का विचार करेगी? क्या इस संबंध में ग्रामवासियों की ओर से वर्ष 1979 से 30-9-81 तक कोई प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में कोई कन्या जूनियर हाई स्कूल नहीं है। शासन स्तर पर किस जिले में कितने स्कूल खोले जायं यही निर्धारित किया जाता है। जिले में स्कूल कहां-कहां खोले जायं यह निर्णय लेने के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति ही सक्षम है। इस संबंध में ग्रामवासियों की ओर से जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है वह जिला बेसिक शिक्षा समिति के विचाराधीन है।

177–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में प्राइमरी पाठशाला है, जो निर्जन स्थान स्थित धर्मशाला में है? स्कूल गांव के अन्तिम छोर पर है, जिससे बच्चों को आने-जाने में अत्यधिक असुविधा होती है तथा पर्याप्त स्थान न होने के कारण शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है? क्या इस स्कूल को ग्राम के मध्य में स्थापित करने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-9-79 से 30-9-81 तक शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर की प्राइमरी पाठशाला, बस्ती रसूलपुर के मध्य ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अस्थायी भवन में 10 नवम्बर, 1981 से संचालित की गयी है। इस पाठशाला के छात्रों को आने-जाने में कोई असुविधा नहीं है।

नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की समाप्ति

178—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज, लखनऊ के काली सूची में रहते हुए भी साधिकार नियन्त्रक माह जनवरी, 1981 में समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

नारी शिक्षा निकेतन इण्टर कालेज लखनऊ में वर्ष 1979 में जिन अनियमितताओं के कारण प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी उनमें से अधिकांश अनियमितताओं का निराकरण हो जाने पर ही शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 1981 द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति समाप्त की गई।

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों को देय डी0 ए0

179—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 1 दिसम्बर, 1980 को डी0 ए0 की जो नई दर घोषित की गयी थी वह सीतापुर जिले के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को देना प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय कन्या इण्टर कालेज, कासगंज, जनपद एटा के शिक्षकाओं को बी0 टी0 सी0 ग्रेड के बकाया एरियर का भुगतान

180—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज कासगंज, जनपद एटा के शिक्षिकाओं को बी0 टी0 सी0 ग्रेड का सन् 1972 से 1975 तक वेतन का एरियर पूरा दिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं दिया गया है, तो सरकार देगी, तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शाहजहांपुर जिले में निलम्बित असलहे की वापसी के आदेश

181—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिले में ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं जिनके असलहे निलम्बित थे अथवा सरकारी आदेश पर जमा करा लिए गये परन्तु जून, 1981 में वापस कर दिए गये अथवा बहाल कर दिये गये?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में निम्न पांच व्यक्तियों के असलहे निलम्बित थे:—

1—श्री उमराव लाल पुत्र श्री लेखराज, निवासी ग्राम रसूलपुर चठिया थाना सिन्धौली जिला शाहजहांपुर।

2—श्री नत्थू सिंह पुत्र श्री राम दयाल, निवासी ग्राम अभायन थाना कांट जिला शाहजहांपुर।

3—श्री मुख्तार सिंह पुत्र श्री बहाल सिंह, निवासी ग्राम जसवन्तपुर थाना पुवायां जिला शाहजहांपुर।

4—श्री जमीदुल्ला पुत्र श्री करीमुल्ला, निवासी ग्राम करनापुर, थाना पुवायां, जिला शाहजहांपुर।

5—श्री गयसे पुत्र श्री करियाम, निवासी ग्राम चरसोला थाना सुदारंज, जिला शाहजहांपुर।

निलम्बन सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् निलम्बन आदेश वापस लेकर उक्त व्यक्तियों के जमा शस्त्र वापस कर दिए गये।

जिला विद्यालय उप निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार मौर्य के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच

182–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केवला प्रसाद पाण्डेय, मंत्री, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ, गिर्जापुर का वहां के तत्कालीन जिला विद्यालय उप निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार मौर्य के खिलाफ जुलाई, अगस्त, 1980 में कोई शिकायत पत्र मिला था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं हुई, तो क्यों?

चौधरी गौरीहाल सिंह–

जी हां। शिकायतों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी से कराई गई थी, किन्तु कुछ आरोपों के सम्बन्ध में स्थिति सन्देहजनक होने के कारण अभी और छानबीन की जा रही है।

जनपद सीतापुर में ग्राम सोहई की अधिकृत भूमि पर सड़क बनाने के लिये भूस्वामी को मुआवजा

183–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के कचनार एरिया से नेरी के लिए बनने वाली सड़क पर ग्राम सोहई थाना व जिला सीतापुर की जिस भूमि पर सड़क बनायी गयी है उसे सड़क बनाने के पूर्व अध्याप्त कर लिया गया था? यदि हां, तो कब तथा भूमि के स्वामी को कितना मुआवजा दिया गया? यदि बिना अधिग्रहीत किए सड़क बना ली गयी, तो क्यों?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत मार्ग खाद्यान्न योजना 5 के अन्तर्गत स्वीकृत है। इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक भूमि भू-स्वामियों द्वारा स्वेच्छा से दिया जाना था। जिन मामलों में यह सम्भव न हो सका वहां भूमि को आवश्यकतानुसार यू0 पी0 रूरल डेवलपमेन्ट (रिक्वीजिशनिंग आफ लैण्ड) एक्ट, 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर भूमि को अधिग्रहीत करके उस पर दिसम्बर, 1980 में कब्जा लिया गया। तदोपरान्त इस भूमि के अर्जन हेतु नियमानुसार कार्यवाही करके प्रतिकर का अभिनिर्णय तैयार कर लिया गया है जिसकी स्वीकृति हो जाने पर शीघ्र प्रतिकर का वितरण कर दिया जायेगा।

184–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

185–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आशुलिपि रश्मिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर गांव में कथित डकैती की घटना

186–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1981 में गाजियाबाद जिले के मुरादनगर गांव में कोई डकैती पड़ी? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला गाजियाबाद, थाना मुरादनगर क्षेत्र के ग्राम मुरादनगर में माह अप्रैल, 1981 में डकैती की घटना घटित नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देवरिया के विद्यालयों में उर्दू की शिक्षा तथा कार्यरत अध्यापकों का ग्रेड

187-श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कहां-कहां उर्दू की शिक्षा दी जाती है और कितने अध्यापक किस-किस ग्रेड में कार्यरत हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

देवरिया जिले के 170 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 72 विद्यालयों में उर्दू की शिक्षा दी जाती है जिनकी सूची संलग्न है। कुल 75 अध्यापकों के ग्रेड का विवरण उक्त सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 264–265 पर)।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी0एड0 में प्रवेश हेतु नियमावली तथा प्रवेश फार्म में अन्तर

188–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बी0 एड0 में प्रवेश हेतु जो नियमावली बनी है, और साथ में प्रवेश हेतु जो फार्म संलग्न है दोनों में अन्तर का कारण क्या है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

यह अन्तर मुद्रण त्रुटि के कारण है किन्तु इन त्रुटियों से प्रवेश समिति एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रवेश की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व विश्वद्यालय द्वारा अवगत करा दिया गया था।

गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों में छात्र संख्या तथा अध्यापकों की संख्या

189–श्री हरिवंश सहाय–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर विश्व विद्यालय से सम्बद्ध विद्यालयों में विभागानुसार सत्र 1980-81 में क्या छात्र संख्या थी? क्या छात्र संख्या के अनुसार अध्यापकों की संख्या है? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

शिक्षा सत्र 1980-81 की विभागानुसार छात्र संख्या संलग्न तालिका में दी गयी है।

केवल बी0एड0 कक्षा में अध्यापकों की संख्या छात्र संख्या के अनुसार निर्धारित है। अतः अध्यापक पद उक्त के अनुसार सृजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 266 पर।)

देवरिया जिलान्तर्गत बरतजन्लार मार्ग का निर्माण

190–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बरत-जन्लार मार्ग कितना लम्बा है तथा उस पर 1 जनवरी, 1980 से 31 मार्च, 1981 के बीच कितने धन का मिट्टी का कार्य, मिट्टी का कार्य व लकड़ी का कार्य हुआ? क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र शासन को मार्च, 1981 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

देवरिया जिलान्तर्गत "बरतजन्लार" नामक कोई मार्ग शासन को ज्ञात नहीं है। और न ही इसके सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र शासन को मार्च, 1981 में प्राप्त हुआ प्रतीत होता है।

देवरिया जिलान्तर्गत नरियांव देवरहा मार्ग पर व्यय

191–हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत नरियांव देवरहा बाबा मार्ग पर 1-1-80 से 31-3-81 के बीच कितना धन व्यय हुआ है?

श्री अम्मार रिजवी–

प्रश्नगत मार्ग पर दिनांक 1-1-1980 से 31-3-1981 के बीच 1.61 लाख व्यय हुआ।

जनपद गोरखपुर के अधीक्षण अभियन्ता (अभितल) के विरुद्ध आरोपों की जांच

192–श्री हरिवंश सहाय–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (अभितल) गोरखपुर के विरुद्ध मार्च, 1981 में जूनियर इंजीनियर, गोरखपुर ने कोई शिकायती पत्र शासन को दिया है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? उक्त विषय पर जनवरी, 1981 से 20 मई, 1981 के बीच कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद नैनीताल में सीमेन्ट पाइप बनाने वाले कारखाने के विरुद्ध कार्यवाही

193–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर रोड हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में सीमेन्ट पाइप बनाने वाले कारखाने के विरुद्ध दिनांक 5-9-81 तथा 3-10-81 को काला बाजार से सीमेन्ट खरीद कर प्रयोग में लाने का आरोप है ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां–

सूचना एकत्र की जा रही है।

194–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) सहायक अध्यापिका जू0 बे0 विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी का स्वीकृत चिकित्सा अवकाश के वेतन का भुगतान

195–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती कमला देवी (द्वितीय), सहायक अध्यापिका, जू0 बे0 वि0, सफेदाबाद, बाराबंकी माह सितम्बर, 1979 में चिकित्सा अवकाश पर रही? यदि हां, तो क्या चिकित्सा अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही पूरे माह का वेतन प्रधानाध्यापक ने आहरित कर दिया? यदि हां, तो क्यों? क्या उपरोक्त चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां।

अध्यापकों का वेतन बिल प्रत्येक मास की 15 तारीख को ही बन जाता है। श्रीमती कमला देवी (द्वितीय) का प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया था और वह स्थाई अध्यापिका थी, अतः पूरे मास का वेतन अहरित कर समायोजित करने के आदेश सहित भुगतान कर दिया गया।

चिकित्सा अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1979 को स्वीकृत किया जा चुका है।

जिला सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत स्नातक व्यक्तियों को रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ता

196–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिला सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व्यक्तियों को नौकरी या रोजगार देने की योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्या बंगाल सरकार की तरह स्नातकों जिन्हें रोजगार सरकार नहीं दिला सकी है 50 रुपया माहवार सरकार द्वारा मदद के तौर पर देने की योजना पर विचार किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित–

जिला सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक व्यक्तियों को, सेवायोजकों से रिक्तियों की सूचना मिलने पर, उन्हें नौकरी या रोजगार दिलाने का भरसक प्रयास किया जाता है।

बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

थानाध्यक्ष उसैत व अन्य पुलिस जन के विरुद्ध कार्यवाही तथा भूतपूर्व चेयरमैन, टाउन एरिया उसैत व उनके पुत्र की सुरक्षा हेतु निर्देश

197–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20-10-80 को श्रीमती प्रेमदेवी गुप्ता, भूतपूर्व चेयरमैन टाउन एरिया उसैत, जनपद बदायूं व उनके पुत्र प्रेमदेव द्वारा सम्मिलित प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूं को दिया गया था जिसमें थानाध्यक्ष उसैत व अन्य एक सब-इन्स्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त प्रार्थीगण की सुरक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों और दोषी पुलिस जनों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती प्रेमदेवी गुप्ता, भूतपूर्व चेयरमैन टाउन एरिया उसैत, जनपद बदायूं व उनके पुत्र श्री प्रेम देव के आवेदन-पत्रों पर जांच कराई गई जांच में किसी पुलिस जन के खिलाफ कार्यवाही करने का आधार नहीं मिला। प्रार्थिनी एवं उनके पुत्र की सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस को समुचित निर्देश दिया गया है।

अवर अभियन्ता श्री हरे राम पाण्डे का स्थानान्तरण निरस्त करने की संस्तुति

198–श्री उदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर पी0 डब्लू0 डी0 के बारे में जांच कर रहे अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नेशनल हाईवे ने सिफारिश किया था कि अवर अभियन्ता हरे राम पाण्डे का ट्रान्सफर कर दिया जाय, जो हो गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अधिशासी अभियन्ता के0 सी0 एस0 जैन ने मुख्य अभियन्ता को पत्र संख्या 2956/18 ई0 ए0 36/78 दिनांक 17 जून, 81 को लिखा कि ट्रांसफर निरस्त कर दिया जाय, ऐसा क्यों? क्या अवर अभियन्ता के खिलाफ भी चार्जशीट आ गई है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां। अधिशासी अभियन्ता ने कार्यहित में ट्रांसफर निरस्त करने की संस्तुति की थी परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया। अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रकाश, अधीक्षक अभियन्ता, मिर्जापुर के स्थानान्तरण आदेश की निरस्ति

199–श्री उदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग, मिर्जापुर, 26वां वृत्त आर0 पी0 माथुर का ट्रांसफर हो गया था? उसको माननीय मुख्य मंत्री ने निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 77, 78, 79 से संबंधित गबन, दुरुपयोग फर्जी चेक बुकों एवं भुगतान अनियमित तथ्यों में इनका भी नाम है और चार्जशीट भी बना दी गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी–

श्री राजेन्द्र प्रकाश, अधीक्षण अभियन्ता, 26वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मिर्जापुर का स्थानान्तरण किया गया था किन्तु बाद में इस आदेश को मुख्य मंत्री जी द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच पूर्ण नहीं हुई है । इनके विरुद्ध चार्जशीट का निर्णय नहीं लिया गया है ।

जूनियर हाई स्कूल भवन हिरामनपुर एवं प्राइमरी स्कूल चितउरा के स्कूल भवन निर्माण का कार्य तथा पूरा होने की अवधि

200–श्री उदल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान हिरामनपुर व चितउरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल की इमारत सन् 1981 की जनवरी से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, वाराणसी बनवा रही है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जू0 हाई स्कूल, हिरामनपुर की खिड़की तक दीवाल तथा चितउरा में नींव भी नहीं खुदी है ? इसका क्या कारण है ? उपरोक्त दोनों जगहों की इमारतें कब तक बन जायेंगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां । जूनियर हाई स्कूल भवन हिरामनपुर एवं प्राइमरी स्कूल चितउरा के स्कूल भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा वाराणसी द्वारा किया जा रहा है । जूनियर हाई स्कूल, हिरामनपुर की जनवरी, 1981 तक लिंटर स्तर तक निर्माण कार्य हो चुका था एवं वर्तमान में छत स्तर तक कार्य पूर्ण करा दिया गया है । निर्माण कार्य की प्रगति सीमेन्ट के अभाव में बन्द रही । यह कार्य मार्च, 1982 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

प्राइमरी स्कूल, चितउरा के भवन निर्माण के कार्य से संबंधित सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गई हैं । इस विद्यालय भवन का निर्माण विवादग्रस्त प्राइमरी स्कूल कसियापुर के स्थान पर कराये जाने का बेसिक शिक्षा समिति वाराणसी का प्रस्ताव 28 सितम्बर, 1981 को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को दे दिया गया है । सीमेन्ट के अभाव को देखते हुए स्कूल भवनों का निर्माण स्लैब एवं बीमा के स्थान पर पटिया एवं कंकर का प्रयोग करके किया जाना है । आवश्यक स्टील गार्डर एवं पटिया की आपूर्ति हेतु व्यवस्था की जा रही है जिसके प्राप्त होते ही स्कूल भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा । इस भवन का भी निर्माण अप्रैल, 1982 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

क्वीन्स कालेज, वाराणसी के सहायक अध्यापक श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव के अवशेष वेतन का भुगतान

201–श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वीन्स कालेज, वाराणसी के सन 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्यूनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149(1)/1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिवीव एप्लीकेशन के फैसले दिनांक 7-9-79 के बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जावेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इण्टर कालेज के सेवा निवृत्त अध्यापकों का पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान

202–डाक्टर शिवा नन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, मृगखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल के कौन-कौन अध्यापक दिनांक 30-6-1980 को सेवा निवृत्त हुए हैं? क्या उनको अभी तक पेंशन, ग्रेच्युटी, तथा भविष्य निधि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

श्री ज्योति प्रसाद उनियाल, सहायक अध्यापक दिनांक 30-6-80 को रिटायर हुए। पेंशन तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा चुकी है। भविष्य निधि का भुगतान किया जा चुका है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

203–श्री विद्या सागर नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इन्टरमीडिएट कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं? उन्हें भरने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं? उन पर कब तक नियुक्ति कर ली जायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर व वाराणसी मण्डल के सहायता प्राप्त विद्यालयों में बाढ़ व सूखे की क्षति पूर्ति न दिये जाने का कारण

204–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एवं वाराणसी मण्डल के किन-किन सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों में बाढ़ एवं सूखे से हुई शुल्क मुक्ति की क्षति-पूर्ति वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में नहीं दी गयी है? यदि हां, तो क्षति पूर्ति न दिये जाने क्या प्रमुख कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

†सूची (क एवं ख) संलग्न है।

विद्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों के संबंध में शिकायतें तथा उसका निस्तारण

205–श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कितने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में माह जुलाई, 1980 से अब तक विज्ञापन द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को विधायकों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई हैं? क्या इनमें इण्टर कालेज, बरही, सोनवरसा का भी नाम है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

†(छापी नहीं गयी।)

चौधरी नौनिहाल सिंह–

केवल एक विद्यालय इण्टर कालेज बरही, सोनारसी के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच किये जाने पर उक्त शिकायत निराधार पाई गई।

पर्वतीय जिलों के राजकीय हाईस्कूलों व इण्टर कालेजों, महाविद्यालयों में रिक्त अध्यापकों के पद

206–श्री जरावन्त सिंह विष्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में राजकीय हाई स्कूलों, राजकीय इण्टर कालेजों और राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 31-1-1981 तक किन-किन विषयों के अध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं और इनको न भरे जाने के क्या कारण हैं तथा क्या इन पदों पर नियुक्त किए जाने के लिए स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

पर्वतीय जिलों के 8 जनपदों में 31-1-81 तक विभिन्न विषयों के राजकीय हाई-स्कूलों, इण्टर कालेजों, राजकीय महाविद्यालयों में सी0 टी0 वेतनक्रम रु0 250-425 में 35 पद, स्नातक वेतनक्रम 300-550 में 136 पद, प्रवक्ता वेतनक्रम 400-750 में 150 पद तथा प्रवक्ता वेतनक्रम 700-1600 में 33 पद रिक्त रहे। विद्यालय, विषय एवं रिक्त की तिथि की सूचना संलग्न है।

रिक्तियों का कारण नवसृजित पद, स्थानान्तरण, पदोन्नति आदि रहे। स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिये जाने हेतु कोई नियम नहीं है।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनपद सहारनपुर के सेवा निवृत अध्यापक श्री जटाशंकर त्रिपाठी को पेंशन तथा अवशेष वेतन का भुगतान

207–श्री जगदीश सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में गदूसुआ ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 19-10-68 को श्री जटाशंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवा निवृत्त किए गये और उनको अभी तक न पेंशन दी गयी और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में शिकायती पत्र की जांच

208–श्री भगवानदीन कुशवाहा तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 162 दिनांक 23-9-80 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 1980 से अब तक फर्जी व नियम विरुद्ध अध्यापकों आदि की नियुक्तियों के जनपद गोरखपुर से कितनी गम्भीर शिकायतें जनता व विधायकों से प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी तथा ऐसे विद्यालय कौन-कौन से हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

गोरखपुर जनपद में अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियों में आरक्षण न प्रदान करने के संबंध में दो शिकायती पत्र कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सचिवालय स्तर पर प्रश्नगत अवधि में प्राप्त हुये थे। इन शिकायती पत्रों पर शिक्षा निदेशक को मामले की जांच कराकर आख्या भेजने को कहा गया है। अन्य स्तरों पर भी

†छापी नहीं गयी।

इस प्रकार के शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं अथवा नहीं, इसको देखा जा रहा है। मामले में शिक्षा निदेशक की जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही यह ज्ञात हो सकेगा कि शिकायतें कहां तक सही हैं तथा ऐसे विद्यालय कौन-कौन से हैं।

फर्रुखाबाद जनपद के उर्दू अध्यापकों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कथित शिकायत

209–श्री तेज बहादुर गंगवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में कितने मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्दू अध्यापक हैं? क्या बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीनस्थ उर्दू अध्यापकों के वेतन न भुगतान होने से संबंधित कोई शिकायत शिक्षा निदेशक को सन् 1979 में प्राप्त हुई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

13 विद्यालय हैं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जनपद के कतिपय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों की दक्षता-रोक

210–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, समथर तथा राजकीय इण्टर कालेज, झांसी एवं राजकीय मरज बालिका इण्टर कालेज, झांसी के अध्यापक एवं कर्मचारियों के गत तीन वर्षों से दक्षता रोक पार नहीं हुई है? इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है? तथा कब तक इसे पार करा दिया जायगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज, समथर तथा झांसी के किसी अध्यापक एवं कर्मचारी का कोई दक्षता रोक का प्रकरण लम्बित नहीं है। केवल राजकीय मरज बालिका इण्टर कालेज, झांसी के एक लिपिक का मामला कुछ अवधि की वार्षिक गोपनीय आख्यायें प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़ा है, जिस पर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा।

भारतीय शिशु मन्दिर, सण्डीला, हरदोई का अनुदान

211–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि भारतीय शिशु मन्दिर, सण्डीला, हरदोई का अनुदान बन्द कर दिए जाने के विरुद्ध फरवरी, 1978 में एक प्रत्यावेदन डा0 राम आसरे तिवारी की ओर से निदेशक, शिक्षा विभाग को भेजा गया? यदि हां, तो अब तक निर्णय न किए जाने का क्या कारण है और निर्णय कब तक हो जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई जनपद में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें चपरासी के पदों का विवरण

212–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-2-81 को हरदोई जनपद में इण्टर कालेजों व उच्चतर माध्यमिक कालेजों की संख्या क्या है? उन कालेजों, स्कूलों के कार्यरत चपरासियों की संख्या क्या है तथा उनमें सवर्ण, अनु0 जाति, पिछड़े वर्ग तथा अनु0 जन जाति व अल्प संख्यक वर्ग के कितने-कितने चपरासी हैं तथा कितने स्थान रिक्त हैं?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

हरदोई जनपद में कुल 58 मान्यता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालय हैं इनमें से दो बालिकाओं तथा एक बालकों का, 3 विद्यालय शासकीय हैं शेष 55 विद्यालय मान्यता प्राप्त अशासकीय हैं।

उक्त विद्यालयों में कुल 118 सवर्ग, 101 अनुसूचित जाति, 304 पिछड़ी जाति एवं 18 अल्प संख्यक वर्गों के चपरासी हैं। इस प्रकार कुल 541 चपरासी विद्यालयों में कार्यरत है। 30 स्थान रिक्त हैं। जनपद के उ0 मा0 विद्यालयों में कुल चपरासियों के स्वीकृत पद 571 हैं।

जौनपुर जनपद के प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवन

213–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के या जीर्ण-शीर्ण भवनों में चलते हैं? क्या सरकार इन विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

देवरिया जनपद में विद्यालयों को सूखे से हुई क्षति की पूर्ति

214–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद देवरिया में वर्ष 1979-30 में सूखे से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति अभी तक माध्यमिक विद्यालयों को क्यों नहीं दी गयी? क्या सरकार उक्त जिले के विद्यालयों को शीघ्र क्षतिपूर्ति करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

इस जनपद के उन विद्यालयों की सूखे से हुई क्षति की क्षतिपूर्ति स्वीकृति की जा चुकी है जिनके आवेदन पत्र निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त हो गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

तिलकधारी डिग्री कालेज तथा होम्योपैथिक कालेज, जौनपुर के छात्रों को शिक्षा शुल्क में राहत

215–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में आयी इस वर्ष बाढ़ के कारण प्रभावित छात्रों को शिक्षा शुल्क में जो राहत मिलनी थी वह राहत तिलकधारी डिग्री कालेज तथा होम्योपैथिक कालेज के कितने-कितने छात्रों को दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

तिलकधारी डिग्री कालेज जौनपुर के 978 छात्रों को शुल्क मुक्ति की सुविधा दी गई।

होम्योपैथिक कालेज शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आता, अतः उसे शिक्षा विभाग द्वारा सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के वेलफेयर फण्ड से खर्च किये गये धन का विवरण

216–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के वेलफेयर फण्ड से कितना-कितना धन किन-किन कार्यों में कब-कब खर्च किया गया है? क्या यह सही है कि नियमानुसार उक्त मिल के वेलफेयर फण्ड का पैसा प्रतिनिधियों की स्वीकृति के बगैर नहीं खर्च किया जा सकता है?

श्री नियाज हसन खां–

राजकीय कताई मिल अकबरपुर के वेलफेयर फण्ड से गत दो वर्षों में खर्च किए गये धन का विवरण निम्न प्रकार है :––

1–वित्तीय वर्ष 1979-80

अ–मनोरंजन कार्यक्रम–	2,810.90
ब–सांस्कृतिक कार्यक्रम–	251.00
स–श्रमिकों की चिकित्सा–	59.00
द–राष्ट्रीय त्योहारों पर पुरष्कार एवं मिष्ठान वितरण–	3,506.80
य–खेलकूद–	1,502.33
र–अन्य सम्बन्धित कार्यों में–	1,262.33
योग–	9,292.36

2–वित्तीय वर्ष 1980-81

अ–मनोरंजन कार्यक्रम–	8,410.75
ब–सांस्कृतिक कार्यक्रम–	1,664.62
स–श्रमिकों की चिकित्सा–	271.40
द–राष्ट्रीय त्योहारों पर पुरस्कृत एवं मिष्ठान वितरण–	2,719.80
य–खेलकूद–	2,118.05
योग–	15,184.62

जी हां ! अगस्त 1980 के पश्चात् जब से समिति का गठन किया गया था तब से समिति की स्वीकृति बगैर खर्च नहीं किया गया।

217–श्री धरमपाल, श्री जमुना प्रसाद तथा श्री राम आसरे वर्मा–

[3रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का बकाया वेतन तथा स्वीकृत अनुदान

218–श्री पंचानन राय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का अगस्त, 1972 के पूर्व का कितना वेतन बकाया है और सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इसके भुगतान के लिए शासन द्वारा कोई अनुदान दिया गया है? इसके बाद भी इसका भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों का अगस्त, 1972 के पूर्व का 25,948.00 रु0 बकाया है और शासन द्वारा इसके भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत कर दिया था। वर्ष 1976-77 में इन अवशेषों के भुगतान हेतु जिला परिषद् आजमगढ़ के वित्तीय परामर्शदाता को बिल अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये थे जो आपत्तियां के साथ वापस कर दिये गये और मुख्य आपत्ति सम्बन्धित अध्यापकों के पूर्व के बाउचर के क्रास रेफरेन्सिंग के साथ बिल प्रस्तुत करने की थी। अब जिला परिषद् से इन बाउचर्स को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। अवशेषों के भुगतान हेतु स्वीकृत उक्त धनराशि का उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत मद हेतु उपभोग न होने के कारण अन्यत्र समायोजन कर दिया गया तथा अब पुनः अनुदान स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है। वर्णित स्थिति में आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् और पुनः अनुदान स्वीकृत कर दिये जाने के बाद अध्यापकों के अवशेषों का भुगतान कर दिया जायेगा।

बलभद्र नारायण इण्टर कालेज, मझौली राज, जनपद देवरिया के हिन्दी प्रवक्ता राम बहादुर तिवारी के हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों की जांच

219–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बलभद्र नारायण इण्टर कालेज, मझौली राज, जिला देवरिया के एक हिन्दी प्रवक्ता राम बहादुर तिवारी की जन्म तिथि हाई स्कूल के मूल प्रमाण-पत्र में कालेज के पुराने अभिलेखों (एस0 आर0 70-71) में दिनांक 1-1-17 अंकित है जिसे विगत वर्षों में काटकर 1-1-1919 कर दिया गया है जिससे वे अवैध रूप से आज भी कार्यरत हैं? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

प्रश्नगत अध्यापक ने अपने एक शपथ-पत्र में अपने को हाईस्कूल उत्तीर्ण न होना स्वीकार किया है। अतः हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र का प्रश्न नहीं उठता।

सेवा पंजिका तथा एस0 आर0 1970-71 में उनकी जन्म-तिथि 1-1-1917 अंकित थी। सेवा पंजिका में अंकित उक्त तिथि दो बार बदली गयी। पहले एक सह विद्यालय निरीक्षक ने उसे 1-1-19 किया। इस आधार पर वे 30-6-79 तक कार्यरत रहे। फिर उन्होंने एक प्रत्यावेदन दिया। इस पर संबंधित प्रधानाचार्य से आख्या मांग कर सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधमा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म-तिथि को अभिलेखों में अंकित करने की अनुमति दी। इस प्रकार अध्यापक की जन्म-तिथि 1-12-19 उनकी सेवा पंजिका में अंकित कर दी गयी और वह 30-6-80 तक कार्यरत रहे।

गोरखपुर जिले में प्राथमिक शिक्षकों का परिवार नियोजन के संदर्भ में वेतन की कटौती एवं पुनः भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही

220–श्रीमती गौरी देवी–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में कितने ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की वर्ष 1976 व 77 में परिवार नियोजन के सन्दर्भ में वेतन एरियर की कटौती

की गयी थी? क्या कुछ शिक्षकों ने उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु वर्ष 1977-78 में बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या वेतन आदि का भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

गोरखपुर जिले में प्राथमिक शिक्षकों की वर्ष 1976 व 77 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के एक अध्यापक का वेतन रोका गया था। इस अध्यापक ने विद्यालय उप निरीक्षक कार्यालय गोरखपुर में दिनांक 25-8-81 को प्रार्थना-पत्र दिया है जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद जौनपुर में माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र

221–श्री प्रभूनारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा संघ, जौनपुर के अध्यक्ष श्री राम उदय सिंह ने उक्त शिक्षक संघ की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित वर्ष 1980-81 में कितने पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को लिखे? उनमें से कितनी समस्याओं का समाधान किया गया? क्या उनकी सभी समस्याओं का निदान कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जी हां, कुल 10 पत्र प्राप्त हुये। संलग्न टिप्पणी में समस्यावार स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 267–268 पर।)

जनपद मैनपुरी के थाना फरिहा की पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

222–श्री ऊदल–

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी के थाना फरिहा पुलिस के विरुद्ध श्री कायम सिंह, पुत्र एवज सिंह, निवासी फाजिलपुर जरैला, थाना फरिहा (मैनपुरी) के मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को दिनांक 27-8-80 तथा 1-1-81 के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

श्री कायम सिंह पुत्र एवज सिंह, निवासी फाजिलपुर जरैला, थाना फरिहा (मैनपुरी) का कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है किन्तु इनके प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी को प्राप्त हुए।

दिनांक 21-1-79 को एवज सिंह पुत्र गिरधारी लाल, निवासी फाजिलपुर जरैला ने थाना फरिहा पर अपने बरतनों की तारीख 7-1-79 को चोरी होना व इंजिन पार्ट्स की तारीख 20/21-1-79 की रात्रि में चोरी होने की सूचना दी, जिसके आधार पर थाना फरिहा पर मुकदमा अपराध संख्या 5, धारा 380 भा0 दं0 वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना माल मुल्जिम का कुछ पता न चलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाकर दिनांक 3-5-79 को समाप्त की गई। परन्तु दिनांक 20-1-80 को पुलिस द्वारा इंजिन का एक हेड नं0 852 अभियुक्त चोखे लाल उर्फ साकिन फाजिलपुर जरैला, थाना फरिहा के कब्जे से बरामद करके धारा 41/102 जब्ता फौजदारी के अन्तर्गत अभियुक्त चोखे लाल को गिरफ्तार किया गया एवं मालखाना दाखिल किया गया। इस संबंध में थाना पर दरयाफ्तहाल द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। संबंधित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध यह जांच की जा रही है कि उन्होंने अभियुक्त चोखे लाल को अन्तर्गत धारा 411 भा0 दं0 वि0 में बन्द न करके धारा 41/102 जाब्ता फौजदारी में क्यों बंद किया और इस मामले की विवेचना में क्यों विलम्ब किया गया।

दिनांक 22-1-80 को श्रीमती चन्द्रवती पत्नी ज्ञान सिंह, साकिन कस्बा फरिहा ने प्रार्थी कायम सिंह के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 136 धारा 354 भा0 दं0 वि0 थाना फरिहा पर अंकित कराया। विवेचना से आरोप सत्य पाये गये। अतः अभियुक्त कायम सिंह का चालान अदालत द्वारा आरोप पत्र संख्या 21 दिनांक 14-4-81 किया गया।

श्री सुन्दर लाल वर्मा संस्थापक एवं अध्यक्ष किसान माध्यमिक विद्यालय कुन्दन गनेशपुर फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही

223–श्री भीखा लाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-1-81 को उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल, इलाहाबाद का कैम्प फतेहगढ़ में श्री सुन्दर लाल वर्मा, संस्थापक एवं अध्यक्ष, किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-1-81 पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जांच कराई गई किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हुये।

राजकीय इण्टर कालेज (कन्या) इलाहाबाद के स्टाफ को देय महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता

224–श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज (कन्या), इलाहाबाद के पूरे स्टाफ को दिसम्बर, 1978 से सितम्बर, 1980 तक समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये गये महंगाई भत्ते तथा अन्तरिम सहायता इत्यादि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

दिसम्बर, 1978 तथा अगस्त, 1979 से स्वीकृत किये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किस्तों को छोड़कर शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई भत्ता तथा अन्तरिम सहायता का भुगतान किया जा चुका है। दिसम्बर, 1978 तथा अगस्त, 1979 से स्वीकृत किये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते के बिलों का महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रीआडिट हेतु भेजा गया है। प्रीआडिट हो जाने के पश्चात् बिलों का भुगतान करना सम्भव होगा।

जनपद बस्ती में डकैती, राहजनी, कत्ल, अपहरण की घटनाओं का विवरण तथा गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

225–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में माह नवम्बर, 80 से अप्रैल, 1981 तक कुल कितनी डकैतियां, राहजनी, कत्ल व अपहरण की घटनायें किन-किन स्थानों पर हुयीं और उसमें कितने मुल्जिमानों की गिरफ्तारी की जा चुकी है?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 269 पर।

जनपद सहारनपुर में अध्यापकों का स्थानान्तरण

226–श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, सन् 1980 से जनवरी, 81 तक जनपद सहारनपुर में जिन अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था उसमें कितनों का स्थानान्तरण रद्द किया गया तथा कितनों ने अभी तक गन्तव्य स्थान पर कार्य भार नहीं सम्भाला है, क्यों? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर को भी स्थानान्तरित किया गया और रोका गया? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जनपद सहारनपुर में जून 1980 के अन्तिम सप्ताह से जुलाई, 1980 के तीसरे सप्ताह तक कुल 493 अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया था जिनमें से 11 अध्यापकों के स्थानान्तरण जिला स्थानान्तरण समिति के निर्णय के अनुसार निरस्त किया गया। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है जिसने अपने गन्तव्य स्थान पर कार्यभार न संभाला हो।

अधिकारियों के स्थानान्तरण सामान्यतया प्रशासनिक आधार पर दिये जाते हैं।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खंडों में क्षतिग्रस्त प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल तथा भवनों की मरम्मत हेतु धनराशि

227–श्री राधेश्याम पटेल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया मऊआइमा, सोरांव तथा फूलपुर में विगत बाढ़ से पूर्ण रूपेण एवं आंशिक रूप से धराशायी एवं क्षतिग्रस्त कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल हैं क्या उनकी मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक को कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह–

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड बहरिया, मऊआइमा, सोराम तथा फूलपुर में विगत बाढ़ से पूर्णरूपेण एवं आंशिक रूप से धराशायी एवं क्षतिग्रस्त प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों की संख्या निम्नवत् है:–

पूर्णरूपेण धराशायी एवं क्षतिग्रस्त वर्ष 1980-81

शून्य

वर्ष 1981-82

विकास खण्ड	प्राइमरी	जू0हा0 स्कूल	योग
बहरिया	4	4	8
मऊआइमा	3	–	3
सोराम	1	–	1
फूलपुर	17	4	21
योग	25	8	33

बहरिया	8	2	10
मऊआइमा	14	–	14
सोराम	10	–	10
फूलपुर	10	–	10
योग	42	2	44

आंशिक रूप से धराशायी एवं क्षतिग्रस्त वर्ष 1981-82

वर्ष 1981-82

बहरिया	8	–	8
मऊआइमा	41	–	41
सोराम	4	2	6
फूलपुर	21	2	23
योग	74	4	78

जी हां। वर्ष 1980-81 में इलाहाबाद जनपद के बाढ़ से प्रभावित बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु रु0 आठ लाख की धनराशि अध्यक्ष जिला परिषद् इलाहाबाद के निस्तारण पर रख दी गयी है जिसमें से उन्होंने प्रश्नगत चार विकास खण्डों में प्रत्येक से तीन-तीन प्राइमरी विद्यालय भवनों को चुनकर जिला शिक्षा समिति द्वारा मरम्मत के लिये आवश्यकतानुसार धन व्यय करके मरम्मत कराने की स्वीकृति दी है।

वर्ष 1981-82 में जनपद में बाढ़ से प्रभावित विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु रु0 24.66 लाख रु0 की आवश्यकता है। शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया जा रहा है। उसमें इलाहाबाद को भी धन मिलेगा।

राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को दिया गया मकान किराया भत्ता

228–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या यह सही है कि राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को जो आजकल सरकारी आवास में रहते हैं मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को? मकान किराया भत्ता देने का औचित्य क्या है?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां।

निगम के सर्व श्री बी0 आर0 गुप्ता, मुख्य महा प्रबन्धक, बी0 पी0 गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक, बी0 पी0 मित्तल, परियोजना प्रबन्धक, निजामुद्दीन, अतिरिक्त परियोजना प्रबन्धक तथा आर0 पी0 श्रीवास्तव, भंडारनायक, जो सरकारी आवास में रहते हैं, को मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। निगम के निर्णय के अनुसार वह अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देता है। यदि कोई अधिकारी सरकारी आवास में रहता है तो उस आवास का किराया देने का उत्तरदायित्व उस अधिकारी का है। निगम में केवल मकान किराया भत्ता देने के ही आदेश हैं।

229–233–श्री दलसिंगार यादव–

[मंत्रि मण्डल में सम्मिलित होने के कारण निरस्त]

[समय 11 बजकर 43 मिनट]

भूतपूर्व राज्यपाल श्री सईद अहमद खां, नवाब छतारी के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

अब निधन के निर्देश लिये जायेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक सूचना दे दूं। कल माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी नेताओं की बैठक में 5 बजे के बाद तय हुआ था कि निधन के निर्देश लिए जायेंगे और उसके पश्चात् उनके सम्मान में यह सदन स्थगित कर दिया जायगा।

*मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, नवाब साहब छतारी, नवाब साईद अहमद खां साहब हम लोगों के बीच नहीं रहे। 6 जनवरी, को उनका निधन हुआ। नवाब छतारी साहब का जीवन सफलताओं की श्रृंखला रहा है। उन्होंने जीवन की हर सफलता की हर सीढ़ी को अपनी योग्यता और क्षमता तथा परिश्रम से पार किया और वे 10 वर्ष की अवधि में ही हाफिजे-कुरीन हुए। इसके बाद वे संयुक्त प्रान्त लेजेस्लेटिव काउन्सिल के सदस्य सन् 1920 से 1925 तक रहे तथा बुलन्दशहर के जिला परिषद् के सन् 22 से अध्यक्ष बने और वह इस प्रकार प्रथम गैर-सरकारी व्यक्ति थे,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]–

जो बुलन्दशहर या किसी जिला परिषद् के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात् वे यहां पर जो उस समय अपना भारतवर्ष संयुक्त प्रान्त कहलाता था, उसके प्रधान मंत्री बने और वे यहां के होममेम्बर भी बने। सन् 1928 तथा 1933 में वे इस प्रदेश के गवर्नर भी रहे तथा सन् 1937 में वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे और यही नहीं वे हैदराबाद स्टेट में प्रधान मंत्री की हैसियत से भी रहे। इस तरह जन-जीवन में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया, वह एक ऊंचे दर्जे का उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व काले में वे राज्य सभा के सदस्य भी रहे। इस तरह राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं के अतिरिक्त भारतवर्ष के उत्थान में उनका बड़ा योगदान रहा है। उनका सम्मान छतारी में ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान करता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वे सन् 1965 से मृत्यु पर्यन्त तक चान्सलर की हैसियत से रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक सन्तप्त परिवार तक हम लोगों की भावनाएं एवं सद्भावनाएं पहुंचाने की आप कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, नेता सदन ने स्वर्गीय नवाब छतारी के निधन पर जो सद्भावनाएं और विचार व्यक्त किए, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वर्गीय नवाब छतारी के सम्बन्ध में जो ब्यौरा दिया है माननीय नेता सदन ने, वह बहुत ही स्पष्ट है। वह एक सच्चे मानव और सच्चे समाजसेवी रहे हैं और उन्होंने जो तमाम सेवा इस प्रदेश और देश की की है, वह हमारे और आप सभी लोगों के सामने स्मृति के रूप में मौजूद है और जो उन्होंने अनूठे कार्य देश की आजादी के पूर्व व आजादी के बाद किये हैं, वह बहुत ही बहुमूल्य व सराहनीय रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के निधन पर समाज ने एक बहुमूल्य हीरे को खो दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सद्भावनाएं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि यह संवेदना उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन और माननीय नेता कांग्रेस के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय नवाब छतारी साहब लगभग 65 वर्षों तक इस देश को और प्रान्त को सामाजिक, शैक्षिक व राजनीतिक जीवन में अपने विशेष प्रभाव से उसे प्रभावित करते रहे हैं। उनकी योग्यता, उनकी कर्मठता और उनकी सेवाओं का लाभ इस प्रदेश को और देश के अन्यत्र दूसरे प्रदेशों को भी मिलता रहा है। 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई और वे अपने बाल्यकाल से लेकर अन्तिम क्षणों तक हमेशा कर्मठ रहे और जनजीवन के सम्बन्ध में सोचते रहे और अपने विचारों के अनुकूल कार्य करते रहे। उन्होंने प्रभावशाली ढंग से जिस कार्य को उठाया, उसको किया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सदन की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप द्वारा अर्पित की गयी श्रद्धांजलि को उनके परिवार तक पहुंचाने का वादा करता हूं।

उनकी आत्मा की शान्ति के लिए सभी माननीय सदस्य खड़े होकर दो मिनट के लिए मौन धारण करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 11 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
19 जनवरी, 1982

नत्थी "क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या– का उत्तर पीछे पृष्ठ 182 पर।)

सूची–

1–एन0 सी0 सक्सेना		2, गौतमपल्ली
2–श्री एम0 सी0 जोशी		3, गौतमपल्ली
3–श्री अख्तर आलम		4, गौतमपल्ली
4–श्री कर्नैल सिंह		7, गौतमपल्ली
5–श्री एम0 आर0 मजूमदार		8, गौतमपल्ली
6–श्री आर0 सी0 त्रिपाठी		9, गौतमपल्ली
7–श्री आर0 सी0 टकरू		10, गौतमपल्ली
8–श्री पी0 सी0 जैन		12, गौतमपल्ली
9–श्री बी0 जे0 खोदायजी	(सेवा निवृत्त)	14, गौतमपल्ली
10–श्री सुरेन्द्र मोहन		16, गौतमपल्ली
11–श्री अशोक चन्द्रा		17, गौतमपल्ली
12–श्री एन0 बी0 लाल		18, गौतमपल्ली
13–श्री त्रिभुवन प्रसाद		19, गौतमपल्ली
14–श्री एच0के0महेरोत्रा		20, गौतमपल्ली
15–श्री एस के0 माडवेल		21, गौतमपल्ली
16–श्री जे0 एल0 बजाज		23, गौतमपल्ली
17–श्री बी0 के0 मिश्र		बंगला नं0 13, माल एवन्यू
18–डा0 जे0 पी0 सिंह		5, नया सचिवालय आवास माल एवन्यू
19–श्री शमशाद अहमद		10, उप सचिव आवास माल एवन्यू
20–श्री भूरे लाल		1, न्यू0 डी0 एम0 आर0 विक्रमादित्य मार्ग,
21–श्री काजी मुख्तार अहमद		13, गौतमपल्ली
22–श्री पी0सी0 श्रीवास्तव		ए-1, दिल कूशा कालोनी
23–श्री मनोरंजन		ए-2, ,,
24–श्रीमती नीना रंजन		ए-2, ,,
25–श्री राम कृपाल		ए-3, ,,
26–श्री आई0 पी0 एरेन		ए-4, ,,
27–श्री आर0 एस0 माथुर		ए-5, ,,
28–श्री यू0सी0 शर्मा		बी-1, ,,
29–श्री बी0 के0 सिंह		बी-2, ,,
30–श्री रिखेश्वरी प्रसाद		बी-3, ,,
31–श्री ए0 के0 रस्तोगी		बी-5, ,,
32–श्री ए0 पी0 अग्रवाल		बी-6, ,,
33–श्री आर0 रमणी		सी-7 ,
34–श्री मुरली श्याम मनोहर		सी-13, ,,
35–श्री शेखर अग्रवाल		सी-19, ,,
36–श्री चन्द्रपाल		सी-20 ,,
37–श्री पी0 के0 सिन्हा		सी-20 ,,
38–श्री आर0 चन्द्रा		सी-24, ,,
39–श्री के0 एस0 श्रोत्रिम		सी-25, ,,

40–डा0 परमा नन्द मिश्र		4 (टाइप-4) राजभवन कालोनी
41–श्री मुंशी सिंह सन्ता		6 ,, ,,
42–श्री बी0 के0 चतुर्वेदी		10 ,, ,,
43–श्री आर0 एन0 सिन्हा		14 ,, ,,
44–श्रीमती मंजूलिका गौतम		15 ,, ,,
45–श्री वेद प्रकाश		16 ,, ,,
46–श्री जी0 गणेश		17 ,, ,,
47–श्री ओम प्रकाश शर्मा	(सेवा निवृत्त)	28 ,, ,,
48–श्री दिलीप कुमार		32 ,, ,,
49–श्री के0 एम0 श्रीवास्तव		34 ,, ,,
50–श्री आर0 सी0 जैन		35 ,, ,,
51–श्री एन0 सी0 बाजपेयी		37 ,, ,,
52–श्री एस0 पी0 आर्या		40 ,, ,,
53–श्री रमेश चन्द्र दूबे		43 ,, ,,
54–श्री आर0 व्यास भीमन		4 (टाइप-5)
55–श्री डी0 पी0 वरुण		ए-3, बटलर पैलेस कालोनी
56–श्री के0 किशोर	(सेवा निवृत्त)	ए-4, ,,
57–श्री रबीन्द्र गुप्त		बी-2 ,,
58–श्री एन0 एस0 अंसारी		बी-4 ,,
59–श्री दुबरी दूबे		बी-5, ,,
60–श्री योगेन्द्र नारायण		बी-7, ,,
61–श्री डी0 पी0 सिंह		बी-15, ,,
62–श्री बी0 डी0 माहेश्वरी		बी-29, ,,
63–श्री पी0 सी0 शर्मा		बी-30, ,,
64–श्री पदम सिंह		सी-30, ,,
65–श्री अनुराग गोयल		सी-36, ,,
66–श्री सुभाष चन्द्र चतुर्वेदी	(स्थानान्तरित)	सी-9, ,,
67–श्री राम रतन राम		सी-60, ,,
68–श्री प्यारे मोहन अग्रवाल		सी-66, ,,
69–श्री ज्ञान चन्द्र जैन		सी-71, ,,
70–श्री वी0 के0 दिवान		सी-84, ,,
71–श्री कमल टावरी		3 (टाइप-4) ,,
72–श्री अरविन्द मोहन		4 (टाइप-4) ,,
73–श्री एस0 एस0 पागती		7 (टाइप-4) ,,
74–श्रीमती सुनन्दा प्रसाद		11 (टाइप-4) ,,
75–श्री बी0 बी0 एल0 भारद्वाज		12 (टाइप-4) ,,
76–श्री के0 बी0 मिश्रा		3 गुलिस्ता कालोनी
77–श्री के0 पी0 त्रिवेदी		12-ए- गुलिस्ता कालोनी
78–श्री अमीर हसन		25-, ,,
79–श्री बृहस्पति शर्मा		30-, ,,
80–श्री सरन प्रसाद		35-, ,,
81–श्री श्रीलाल शुक्ल		46-, ,,

82–डा0 नसीम जैदी	54-,	गुलिस्ता कालोनी
83–श्रीमती प्रतिमा दयाल	57-,	,,
84–श्री बृजेश कुमार	65-,	,,
85–श्री कमल पान्डेय	70-,	,,
86–श्री एस0 पी0 गुप्त	71-,	,,
87–श्री ओ0 पी0 सक्सेना	78,	,,
88–श्री खंजन लाल	सी-2,	निराला नगर कालोनी
89–श्री लक्ष्मी कान्त	सी-3,	,,
90–श्री एस0 डी0 त्यागी	सी-5,	,,
91–श्री राम मणि पान्डेय	सी-19,	,,
92–श्री कर्नैल सिंह	1/2	डाली बाग कालोनी,
93–श्री आर0 के0 सिंह	1/7,	,,
94–श्री हरगोविन्द डवराल	2/5,	,,
95–श्री राजीव शर्मा	3/8,	,,
96–श्री गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी	5/14,	,,
97–श्री गणेश शंकर चौधरी	7/4,	,,
98–श्री सत्य प्रकाश	8/6,	,,
99–श्री कुन्दन लाल	8/10,	,,
100–कु0 नीता चौधरी	2,	डी0 एम0 कम्पाउन्ड
101–श्री विष्णु प्रकाश	3/3,	डालीबाग, कालोनी
102–श्री के0 एल0 एस0 गुप्त	9/4,	,,
103–श्री आनन्द स्वरूप वर्मा	9/7,	,,
104–श्री विनय कुमार सिन्हा	10/4,	डाली बाग कालोनी,
105–श्री के0 आर0 भाटी	10/6,	,,
106–श्री स्वर्णदास	11/1,	,,
107–श्री पी0 के0 यादव	12/6,	,,
108–श्री एन0 डी0 महेश्वरी	1/4	केसरबाग कालोनी,
109–श्री ओ0 पी0 आर्या	1/12	,,
110–श्री प्रीतम सिंह	ए-103,	लालबाग काम्प्लेक्स,
111–श्री सुधीर कृष्ण	ए-404,	,,
112–श्री गिरिराज वर्मा	बी-602,	,,
113–श्री दिनेश राय	बी-13,	बटलर पैलेस कालोनी,
114–श्री आर0 के0 गुप्त	बी-18	,,
115–श्री हरीशचन्द्र	बी-27	,,
116–श्री बाबू लाल सिंह	सी-3,	,,
117–श्री धर्म सिंह रावत	सी-5,	,,
118–श्री पी0 सी0 सक्सेना	सी-10,	,,
119–कु0 लोरेटा एन0 डिक्रूज	सी-28,	,,
120–श्री प्रभाशंकर मिश्र	सी-45,	,,
121–श्री आर0 एस0 अस्थाना	बी-16,	पार्क रोड,
122–श्री रमाकान्त मिश्र	एच-2	,,
123–श्री मदन मोहन वर्मा	एच-3,	पार्क रोड कालोनी,
124–श्री हरीमोहन सिंह	आई-1,	,,
125–श्री आर0 एन0 सक्सेना	3/3,	डालीबाग कालोनी,
126–श्री के0 पी0 श्रीवास्तव	4/3	,,

127–कु0 त्रिभाषुरी	8/12 डालीबाग कालोनी
128–श्री आर वेंकटानारायण	9-ए, उप मंत्री आवास भाल एवन्यू।
129–श्री महेश्वर प्रसाद	3, गौतम एल्ली,
130–श्री अतहर हुसैन (सेवा निवृत्त)	(टाईप-5) राज भवन कालोनी,
131–श्री चित्रांगद सिंह	20, (टाईप-4) ,,
132–श्री आर0 एन0 तिवारी	24, (टाईप-4) ,,
133–श्री के0 के0 बक्शी	27, (टाईप-4) ,,
134–श्री बी0 एन0 स्वरूप	कक्ष सं0-1, अधिकारी विश्रामगृह गौतम पल्ली,
135–श्री राम सिंह	कक्ष सं0 3, अधिकारी विश्रामगृह गौतम पल्ली,
136–श्रीमती लता सिंह	कक्ष सं0-66, आफीसर्स हास्टल मीराबाई मार्ग, लखनऊ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 96–97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 208 पर)।

दिनांक 1–1–81 से 10–5–81 की अवधि में वाराणसी जिले के थानान्तर्गत पड़ी डकैतियों का विवरण

थाने का नाम	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें तफतीश की गई	जिनमें चालान किया गया	न्यायालय में विचाराधीन	जो लापता रहे तथा खारिज किये गये	जिनमें जांच जारी है	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	लूटी गई सम्पत्ति का विवरण	मारे गये व्यक्तियों/संपत्ति की संख्या	लूटी गई रामदगी
कैन्ट	2	2	2	2	—	—	13	रु0 33,000 अन्य सामान	—	3,000
सैयद राजा	2	2	1	1	—	1	7	रु0 7150 जेवर कपड़ा	1	—
सकलडीहा	1	1	1	1	—	—	3	रु0 22,095 जेवर कपड़ा बर्तन	—	—
धानापुर	2	2	—	—	—	2	11	रु0 40,060 जेवर कपड़ा	—	60
चोलापुर	2	2	1	1	1	—	4	रु0 60520 जेवर दोनाली बन्दूक।	1	—
चौबेपुर	3	3	1	1	1	1	13	रु0 4748 जेवर बर्तन कपड़ा	—	1,000
मिर्जामुराद	6	6	1	1	1	4	5	रु0 40147 जेवर कपड़ा घड़ी	3	—
रोहनियां	8	8	—	—	..	8	7	रु0 12100 जेवर बर्तन कपड़ा	2	—
मुगलसराय	1	1	1	1	—	—	6	रु0 6400 जेवर कपड़ा बर्तन	—	120
चकिया	4	4	—	—	2	2	11	रु0 12707 जेवर कपड़ा बर्तन	—	—
अलीनगर	1	1	—	—	—	1	9	रु0 3800 जेवर कपड़ा	—	—
फूलपुर	3	3	—	—	—	3	17	रु0 56613 जेवर कपड़ा बर्तन	3	200 कपड़ा
बड़ागांव	1	1	1	1	—	—	18	रु0 37000 जेवर कपड़ा	—	—
औराई	4	4	—	1	1	3	6	रु0 20105 जेवर कपड़ा घड़ी	1	—
भदोही	2	2	2	2	—	..	16	रु0 9090 जेवर कपड़ा	4	2,050 जेवर कपड़ा
सुरियावां	1	1	1	1	—	—	6	रु0 5600 बंदूक कारतूस जेवर कपड़ा घड़ी रेडियो।	—	—

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 105 का उत्तर पीछे पृष्ठ 211 पर)

जनपद गाजीपुर में माह जून 80 से 8 जून 81 तक चोरी, डकैती, राहजनी, लूट तथा हत्या का थानेवार विवरण।

क्रमांक	थाना	अपराध	रिपोर्ट	चालान	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	कोतवाली	चोरी	88	20	34
		डकैती	3	1	16
		राहजनी	—	—	—
		लूट	9	1	30
		हत्या	5	5	15
2	बिरनों	चोरी	14	5	8
		डकैती	2	2	2
		राहजनी	—	—	—
		लूट	2	1	1
		हत्या	3	2	9
3	गहमर	चोरी	13	5	15
		डकैती	2	2	22
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	1	4
		हत्या	—	—	—
4	दिलदारनगर	चोरी	12	4	19
		डकैती	1	1	5
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	—	—
		हत्या	2	2	6
5	जमानियां	चोरी	36	17	33
		डकैती	4	2	23
		राहजनी	—	—	—
		लूट	4	1	2
		हत्या	6	5	22
6	मुहम्मदाबाद	चोरी	21	6	9
		डकैती	2	1	5
		राहजनी	—	—	—
		लूट	6	2	3
		हत्या	2	2	8

1	2	3	4	5	6
7—कासमाबाद		चोरी	20	11	17
		डकैती	5	4	24
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	1	2
		हत्या	3	3	14
8—मरदह		चोरी	14	6	10
		डकैती	3	3	19
		राहजनी	—	—	—
		लूट	3	—	—
		हत्या	4	4	67
9—भांवरकोल		चोरी	32	13	9
		डकैती	5	2	6
		राहजनी	—	—	—
		लूट	2	1	1
		हत्या	1	1	1
10—करीमुद्दीनपुर		चोरी	30	18	16
		डकैती	2	1	1
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	—	—
		हत्या	2	2	3
11—नोनहरा		चोरी	22	7	8
		डकैती	4	2	8
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	—	—
		हत्या	4	2	4
12—सैदपुर		चोरी	38	3	6
		डकैती	8	1	4
		राहजनी	—	—	—
		लूट	4	2	4
		हत्या	10	9	65
13—नन्दगंज		चोरी	34	6	9
		डकैती	2	1	4
		राहजनी	—	—	—
		लूट	1	1	2
		हत्या	—	—	—

1	2	3	4	5	6
14--सादियाबाद		चोरी	16	10	28
		डकैती	7	2	7
		राहजनी	—	—	—
		लूट	3	1	2
		हत्या	3	3	15
15--सादात		चोरी	22	4	4
		डकैती	6	1	16
		राहजनी	—	—	—
		लूट	2	1	1
		हत्या	1	1	4
16--करण्डा		चोरी	26	3	5
		डकैती	—	—	—
		राहजनी	—	—	—
		लूट	—	—	—
		हत्या	7	7	23
17--भुड़कुड़ा		चोरी	20	6	14
		डकैती	3	3	14
		राहजनी	—	—	—
		लूट	—	—	—
		हत्या	4	3	13

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ]215 पर)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खनिज भण्डारों की सूचना

जिला	क्षेत्र		
1—ललितपुर	(टोरां ककरारी व मिरौन क्षेत्र)	पाथरोफिलाइट	3,36,000 टन
		फेरुजिनस पारोफिलाइट	93,000 टन
		डायस्पोर	7,000 टन
		हाइड्रोमाइका	4,41,000 टन
2—ललितपुर	(पिसनारी-टोरी क्षेत्र)	राकफास्फेट	38,00,000 टन
3—बांदा	(रसौरा क्षेत्र)	बाक्साइट	100,00,000 टन
4—बांदा	मिश्रा, पहाड़ी व कुरमिया क्षेत्र)	सिलिका सैण्ड	1,60,00,000 टन

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 220 पर)

विधान सभा प्रश्न सं0 137 के प्रश्नोत्तर में सन्दर्भित सूची

क्रम सं0	प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या का नाम	महाविद्यालय का नाम	सेवा निवृत्ति की तिथि	पेंशन स्वीकृत हुई अन्यथा नहीं	पेंशन स्वीकृत न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती शाकम्बरी द्विवेदी।	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)	30-6-80	स्वीकृत	महालेखाकार से पेंशन स्वीकृत आदेश प्राप्त हो गए है।
2	कु0 आर0बी0 सिंह	आई0टी0 कालेज, लखनऊ।	30-6-79	स्वीकृत	–
3	कु0 के0सब्बरवाल।	महिला महाविद्यालय, लखनऊ।	30-6-79	स्वीकृत	–
4	श्री अम्बा प्रसाद गौड़	बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज, कानपुर	30-6-79	स्वीकृत	–
5	श्री लियाकत अलीखां	एस0एम0बी0 कालेज, हापुड़, गाजियाबाद।	30-6-79	स्वीकृत	–
6	डा0 मोती सिंह	स्नातकोत्तर महा विद्यालय, गाजीपुर।	30-6-79	नहीं	पेंशन पत्रादि 5-9-81 को प्राप्त हुए हैं। जिन्हें पूर्ण कराया जा रहा है।
7	श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	नारी शिक्षा निकेतन डिग्री कालेज, लखनऊ।	30-11-79	नहीं	नवीन राजकीय दर पर पेंशन देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा विकल्प पत्र अप्राप्त है जिसे मंगाया गया है।
8	श्रीमती सावित्री अरोरा	हिन्दू कन्या महा विद्यालय, सीतापुर।	30-6-80	नहीं	नवीन राजकीय दर पर पेंशन देने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है तथा पेंशन पत्रादि पूर्ण कराया जा रहा है।
9	डा0 राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी	ए0 के0 कालेज शिकोहाबाद, मैनपुरी।	30-6-80	नहीं	तदैव
10	श्री अमरनाथ शर्मा	एस0आर0के0वी0 कालेज फिरोजाबाद, आगरा।	30-6-80	नहीं	तदैव

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 150 का उत्तर पीछे पृष्ठ 223 पर)

जिला अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ में स्वीकृत खनन पदार्थों का विवरण

क्रम-सं0	पार्टी का नाम एवं पता	स्थिति	क्षेत्रफल	अवधि	खनिज की किस्म	खनिज का नाम	निष्पादन की तिथि	पट्टा समाप्त होने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जिला अल्मोड़ा								
1	सर्वश्री अल्मोड़ा मेग्नेसाइट लि0,अल्मोड़ा	दो बछीना, झिरौली	968.73 एकड़	20 वर्ष	मुख्यखनिज	मेग्नेसाइट	5–2–73	4–2–93
2	सर्वश्री एन0एस0 कारपो0 कलकत्ता	नौलागढ़, मखोलपानी	229.00 एकड़	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन	15–6–66	14–6–86
3	तदैव	झारकोट	324.35 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	,,	23–3–74	22–3–94
4	श्री जे0सी0 तिवारी, अल्मोड़ा	सुनारगांव	544.00 एकड़	20 वर्ष	,,	,,	16–6–72	15–6–92
5	श्री रामपाल सिंह कटियार, कानपुर	खकौली	14.01 हेक्टेयर	5 वर्ष	,,	सोपस्टोन मेग्नेसाइट	17–3–77	16–3–82
6	तदैव	हरबर, नगाल	76.89 हेक्टेयर	10 वर्ष	,,	सोपस्टोन	7–2–77	6–2–87
7	तदैव	बसकुना	91.75 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	,,	9–11–79	8–11–99
8	श्री जे0सी0 तिवारी, अल्मोड़ा	थार्प	49.70 हेक्टेयर	5 वर्ष	,,	,,	9–3–78	8–3–83
9	श्री लक्ष्मीदत्त तिवारी, अल्मोड़ा	शीशा खानी	9.14 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	,,	31–7–72	30–7–92
10	श्री मनमोहन पाठक, हल्द्वानी	फारसाली मल्लादेश	48.56 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	,,	6–8–73	5–8–93
11	मेसर्स हरिमंदिर मिनरल्स, इलाहाबाद	गडेरा	175.6 एकड़	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन, मेग्नेसाइट	12–6–72	11–6–92

अतारांकित प्रश्न

क्रम-सं0	पार्टी का नाम एवं पता	स्थिति	क्षेत्रफल	अवधि	खनिज की किस्म	खनिज का नाम	निष्पादन	पट्टा समाप्त होने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जिला पिथौरागढ़—							
1	मेसर्स साहनी एण्ड कं0, पिथौरागढ़	तौलीपयोन	12.00 एकड़	20 वर्ष वर्ष	मुख्य खनिज	सोपस्टोन	25–9–73	24–9–93
2	,, ,, ,,	देवलथल	44.00 एकड़	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन	8–2–71	7–2–91
3	श्री पीताम्बर पाण्डेय, पिथौरागढ़	तौली	12.94 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन	25–9–73	24–9–93
4	श्री गोविन्द सिंह चौहान पिथौरागढ़	बूंगछीना	2.18 हेक्टेयर	10 वर्ष	,,	सोपस्टोन	7–6–75	6–6–85
5	मेसर्स उड़ीसा इण्डस्ट्रीज उड़ीसा	चैरा धारीगांव	401.36 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	मेग्नेसाइट	25–5–73	24–5–93
6	,, ,, ,,	ग्राम बजोटी भदान	112.50 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	मेग्नेसाइट	25–1–74	24–1–94
7	मेसर्स एन0बी0 मिनरल्स, पिथौरागढ़	ग्राम द्वन्दी, तल्ली भंगति	46.90 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन, मेग्नेसाइट	9–7–80	8–7–2000
8	मेसर्स हिमालियन मेग्नेसाइट प्रा0लि0, पिथौरागढ़ ।	चण्डाक	360.00 हेक्टेयर	20 वर्ष	,,	सोपस्टोन, मेग्नेसाइट	24–2–72	23–2–92
	सर्वश्री भारत रिफेक्टरीज लि0, कारो स्टील सिटी, बिहार।	देवलथल	4.39 वर्ग कि0मी0	20 वर्ष	,,	मेग्नेसाइट	फरवरी, 81	फरवरी, 2001

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 227 पर)

निर्माणाधीन विद्यालयों की सूची

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
1	प्रा0 पा0 पुरोकिशुनदयाल	तमकुही
2	,, पान्डे बरदहा	,,
3	,, बसडीला महन्थ	,,
4	,, कोइलसवा	फाजिलनगर
5	,, बलि वा	,,
6	,, बनवरिया	सेवरही
7	,, पिथुराघाट	,,
8	,, खेवरिया	,,
9	,, बैकुन्ठपुर	दुधई
10	,, छपरा	हाटा
11	,, देवरिया पाण्डे	पडरौना
12	,, कटया	,,
13	,, सुसवलिया	,,
14	,, हरनहा	विशुनपुरा
15	,, रामपुर मिश्र	हाटा
16	,, रामथन छपरा	नेबुआ नौरंगिया
17	,, खेरटिया	,,
18	,, मठियाखुर्द	,,
19	,, सिन्दूरिया	कप्तानगंज
20	,, मदरहा	मोतीचक
21	,, सिकटिया	,,
22	,, धर्मपुर	हटा
23	,, धनौजी	रामकोला
24	,, बरघाट	,,
25	,, बनजारी पट्टी	खड्डा
26	,, पडहरी	,,
27	,, रामपुर नागर	,,
28	,, मिश्रौली	शुकरौली
29	,, मठिया माधो	कसया
30	,, जलुआ	,,
31	,, कोन्हवलिया	,,
32	,, फरेन्दहा	पथरदेवा
33	,, अहिरौली बाजार	हाटा
34	,, खैराट	पथरदेवा
35	,, बरियारपुर भरसहा	रामपुर कारखाना
36	,, पिपराकपूर	हटा
37	,, जगदीशपुर	शुकरौली
38	,, पिपरवाली	देवरिया
39	,, रघवापुर	,,

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
40	प्रा0पा0 बलियवा	पवैतालपुर
41	,, पुरवा	,,
42	,, परसिया	गौरी बाजार
43	,, मठिया	,,
44	,, परसितमा	,,
45	,, परासखाठ	देसही देवरिया
46	,, अहिरौली	,,
47	,, बिगुनपुरा	सलेमपुर
48	,, उर्दली	,,
49	,, महिला	भागलपुर
50	,, ठाकुर गौरी	,,
51	,, धरमेंर	,,
52	,, अमवा पाण्डे	भटनी
53	,, बनकटा मिश्र	,,
54	,, महुराव	,,
55	,, बेलपार पंडित	भाटपार रानी
56	,, फुलवरियाकरन	,,
57	,, बौलिया	बनकटा
58	,, भडसर	,,
59	,, खोमादेई	लार
60	,, रुच्चाबार	,,
61	,, नेमासाहय	,,
62	,, खाजुरीमठ	भलुअनी
63	,, कोरया	,,
64	,, करायल शुक्ल	बरहज
65	,, पिंडरा	रुद्रपुर]
66	,, तिमराखरवा	,,
67	,, महुई	बरहज
68	,, क0 बरहज	,,
69	,, पिपरापुरन	भलुअनी
70	,, रामपुर बदौली	बनकटा
71	,, मठियांसाहू	गौरी बाजार
72	,, भटौली खुर्द	,,
73	,, कुसमहा	मलुअनी
74	,, मटवला रफतेहपुर	,,
75	,, मेंडापाकड़	,,
76	,, प्यासी	सलेमपुर
77	,, डुमवलिया	,,
78	,, अजीज नगर	मोतीचक
79	,, भुन्डिलाहरपुर	,,
80	,, पोखरभिन्डा	,,
81	,, खण्डसर बाबू	बनकटा
82	,, पिपरापुरुषोत्तम	भलुअनी
83	,, अमौना	लार

क्रम0सं0	विद्यालय का नाम	विकास क्षेत्र
84	प्रा0पा0 क0 पटना	हाटा
85	,, ,, शामपुर	कसया
86	,, माधोविशुनपुर	पडरौना
87	,, नरायनपुर	रुद्रपुर
88	,, धर्मपुर	रामपुर कारखाना
89	,, क0 लार	लार
90	,, रुद्रबलिया	फाजिलनगर
91	,, सरयामहन्थ पट्टी	,,
92	,, फतेहपुर	भलुअनी
93	,, चुरियाटोला	लार
94	,, अमोरिया	भाटपार रानी
95	,, घनी पट्टी	कसया
96	,, छेरिहवा	बनकटा
97	,, देवकुआ	गौरी बाजार
98	,, कुडावलहरि	भागलपुर
99	,, विशुनपुर तिवारी	बरहज
100	,, चकिया	फाजिल नगर
101	,, हरपुर माफी	नौरंगिया
102	,, विशुनपुर देवार	बरहज
103	,, मधौली बाजार	मीतीचक
104	,, गनियारी	रुद्रपुर
105	,, तिरमासाहुन	तमकुही
106	,, लखुआल खुर्द	खड्डा
107	,, परसिया	शुकरौली
108	,, नरहवा	तमकुही
109	,, भुजौली एकलाव	देसही देवरिया
110	रावतपार अमेठिया	लार
111	,, पदमापार	स्लेमपुर
112	,, विराजमल	,,
113	,, गौठा रसूलपुर	बैताल पुर
114	,, सिरसिया मिश्र	भाटपाररानी
115	,, कन्या मोती ललहा	पडरौना
116	,, कन्या बरहज	बरहज
	जूनियर हाई स्कूल	
1	जूनियर हाई स्कूल मोती	पडरौना
2	,, जोगम	गौरी बाजार
3	,, नरायणपुर	मोती चक
4	,, बढ़ौना	भागलपुर
5	,, हतिपपुर	देसही देवरिया
6	,, बतरौली	पडरौना
7	,, खोमादेई	लार
8	,, मझवलिया नं0–2	,,
9	,, अहिल्यापुर	देवरिया

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 187 का उत्तर पीछे पृष्ठ 234 पर)

देवरिया जनपद के उन विद्यालयों की सूची जिनमें उर्दू की शिक्षा दी जाती है ।

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	वेतन क्रमानुसार उन अध्यापकों की संख्या				
		जे टी सी	सी टी	एल टी	वक्ता	योग
1	2	3	4	5	6	7
	1—आदर्श उ0 मा0 वि0 दुधई	—	1	—	—	1
	2—उ0 मा0 वि0 देवरिया भोर	—	1	—	—	1
	3—उ0 मा0 वि0 बटुलही	1	—	—	—	1
	4—पंडित उ0 मा0 वि0 केरामपुर	1	—	—	—	1
	5—उ0 मा0 वि0 मदनपुर गोला	—	1	1	—	2
6	,, बैकुन्ठपुर	—	1	—	—	1
7	,, नेवलपुर	—	1	1	—	2
8	,, कौड़ियामिश्र	—	1	—	—	1
9	,, कडसरवा बुजुर्ग	—	1	—	—	1
10	,, बीजापुर झगटोर	—	1	—	—	1
11	,, पडरोबाजार	—	1	—	—	1
12	,, एकडगा	1	—	—	—	1
13	,, डुमवलिया	—	1	—	—	1
14	,, तलिया कला	—	1	—	—	1
15	,, मुरौला वडहरा	—	1	—	—	1
16	,, धौरहरा	—	1	—	—	1
17	,, राजकीय बालिका पडरौना	—	1	—	—	1
18	,, धुरिया	—	1	—	—	1
19	,, सपट्टी टडवा	—	1	—	—	1
20	,, कुबेरनाथ	—	1	—	—	1
21	,, जनता कप्तानगंज	—	1	—	—	1
22	,, खुट्टी	—	1	—	—	1
23	,, होता	—	1	—	—	1
24	,, पुरसिया वरडाडा	—	1	—	—	1
25	,, कंचनपुर	—	1	—	—	1
26	,, रामपुर बुजुर्ग	—	1	—	—	1
27	,, सहवा	—	1	—	—	1
28	,, कन्या महआवारी	—	1	—	—	1
29	,, बरियारपुर	—	1	—	—	1
30	,, पकडीवीरभद	—	1	—	—	1
31	,, मरिहनिया	—	1	—	—	1
32	,, रा0 इ0 का0 देवरिया	—	1	—	—	1
33	,, कन्या रा0 देवरिया	—	1	—	—	1
34	,, एस एस वी एल देवरिया	—	1	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7
35	उ0 मा0 वि बी आर डी देवरिया	—	—	1	—	1
36	„ वलटोकरा	—	1	—	—	1
37	„ मुसहरी	—	—	—	1	1
38	„ वरपार	—	1	—	—	1
39	„ रामपुर अवस्थी	—	1	—	—	1
40	„ पथरदेवा	—	1	—	—	1
41	„ जनता उ0 मा0 वि0 रामपुर कारखाना	—	1	—	—	1
42	„ अशांक उ0 मा0 वि0	—	1	—	—	1
43	„ उ0 म0 बि0 वसन्तपुर घुसी	—	—	1	—	1
44	„ पगरा	—	1	—	—	1
45	„ सलेमपुर	—	—	1	—	1
46	„ भटनी	—	1	—	—	1
47	„ भटियारानी	—	—	1	—	1
48	„ संग्रामसिंह अहिरौलीबघेल	—	1	—	—	1
49	„ ओ के एम लार	—	1	—	—	1
50	„ उ0 मा0 वि0 सूतावल	—	1	—	—	1
51	„ उ0 मा0 वि0 पिन्डी	—	—	1	—	1
52	„ महुआवारी	—	—	1	—	1
53	„ ममलोराज	—	2	—	—	2
54	„ हर्षचन्द बरहज	—	1	—	—	1
55	„ उ0 मा0 वि0 मलकौली	—	1	—	—	1
56	„ रामकोला	—	1	—	—	1
57	„ कठकुइया	—	1	—	—	1
58	„ परपट्टी	—	1	—	—	1
59	„ नवजीवन पटहेरवा	—	1	—	—	1
60	„ नेहर पटहेरवा	—	1	—	—	1
61	„ नरपुरकोली	—	1	—	—	1
62	„ सोहन	—	1	—	—	1
63	„ नककटहा मिश्र	—	1	—	—	1
64	„ भुजौली	—	1	—	—	1
65	„ कनौडिया कप्तानगंज	—	1	—	—	1
66	„ सोहसा भठिया	—	1	—	—	1
67	„ गांधी किसान खड्डा	—	1	—	—	1
68	„ कोटवा काला	—	1	—	—	1
69	„ भल्लूडीह	—	1	—	—	1
70	„ पिपरामदन गोपाल	—	1	—	—	1
71	„ महुआरी पथरदेवा	—	1	—	—	1
72	„ आइसा बालिका लाट	—	1	—	—	1
	योग	3	63	8	1	75

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 189 का उत्तर पीछे पृष्ठ 234 पर)

विभागानुसार छात्र संख्या

विभाग का नाम	80--81 में छात्र की संख्या
1—हिन्दी	14,380
2—अंग्रेजी	9,212
3—संस्कृत	15,258
4—अर्थशास्त्र	10,928
5—राजनीति शास्त्र	12,609
6—समाज शास्त्र	18,227
7—भूगोल	14,055
8—इतिहास	5,148
9—मनोविज्ञान	5,011
10—प्रा0 इतिहास	7,131
11—शिक्षा शास्त्र	5,527
12—दर्शन शास्त्र	2,643
13—सैन्य विज्ञान	5,215
14—उर्दू	341
15—संगीत	121
16—सांख्यिकी	4
17—भौतिक शास्त्र	3,213
18—गणित	3,289
19—रसायन शास्त्र	5,445
20—जीव विज्ञान	2,531
21—वनस्पति विज्ञान	2,566
22—कृषि	1,810
23—बी0 एड0	2,517
24—विधि	2,455
25—वाणिज्य	2,718
26—गृह विज्ञान	68

नत्थी 'अ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 221 का उत्तर पीछे पृष्ठ 244 पर)

वर्ष 80-81 में जनपद जौनपुर के माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं से संबंधित श्री राम उदय सिंह, अध्यक्ष, शिक्षक संघ, जनपद जौनपुर ने जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर को 10 पत्र लिखे। इन 10 पत्रों में कतिपय सामान्य प्रकृति की समस्याओं/शिकायतों के अलावा जिन विशिष्ट समस्याओं का उल्लेख किया गया था, उनमें जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जो कार्यवाही संभव थी, कर दी गयी है। यह निम्न विवरण से स्पष्ट है:—

पत्र	दिनांक	की गयी कार्यवाही का विवरण
(1)	15-10-80	(1) अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के तीन अध्यापकों के अवशेष वेतन का भुगतान शिक्षा निदेशक की स्वीकृति प्राप्त होने पर कर दिया गया है। (2) बी0आर0पी0 इण्टर कालेज जौनपुर का सम्प्रेक्षण कराकर विद्यालय तथा संबंधित कर्मचारी को अवगत करा दिया गया है। (3) नगर पालिका इण्टर कालेज, जौनपुर के कला अध्यापक का नियमानुसार वेतन निर्धारण कर दिया गया है। (4) बी0आर0पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर के श्री शम्भू शरण श्रीवास्तव के प्रकरण को समाधान कर दिया गया है। (5) अशोक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरखपुर के अध्यापक श्री विजय कुमार व श्री बाबूलाल वर्मा के प्रकरणों में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। (6) जनता हा0 से0 स्कूल, जफराबाद के अध्यापक श्री श्रीनाथ शुक्ल के प्रकरण में कार्यवाही हो रही है।
(2)	10-11-80	पंचशील इण्टर कालेज, फतेहगंज, जौनपुर के श्री राज बहादुर सिंह व श्री श्रीपति यादव के इतिहास व नागरिक शास्त्र, छिन्दी बघेला के श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के हिन्दी प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति प्रकरण तथा नेहरू आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आलमगंज के कला अध्यापक श्री गुरुदीन सिंह और माध्यमिक विद्यालय, बरसठी के कला अध्यापक श्री जमींदार सिंह के चयन वेतनमान प्रकरणों में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार जो प्रकरण निस्तारण होने योग्य रहे हैं उनका निस्तारण कर दिया गया है। कुछ पर कार्यवाही की जा रही है। कुछ न्यायालयों में विचाराधीन तथा कुछ उच्चाधिकारियों को निर्देश हेतु संदर्भित किये गये हैं।
(3)	8-12-80	समाजवादी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गभिरन, जौनपुर में श्री राम अक्षैवर तिवारी की एल0टी0 वेतनक्रम की प्रस्तावित पदोन्नति निरस्त करने का प्रकरण विचाराधीन है।
(4)	19-1-81	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आहूत सभी बैठकों में शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(5) 23-2-81 बयालसी इण्टर कालेज, जलालपुर, जौनपुर में हिन्दी प्रवक्ता के पद पर चयन की कार्यवाही चल रही थी किन्तु माध्यमिक शिक्षक संघ के शिकायत पर चयन की कार्यवाही रोक दी गयी और उक्त पद पर चयन/नियुक्ति नहीं हुई है।

(6) 11-3-81 जिनका समाधान इस कार्यालय द्वारा होता था उनका कर दिया गया है जिनका निस्तारण उच्च अधिकारियों के निर्देश/स्वीकृति पर होना है वह उन्हें संदर्भित कर दिया गया है।

(7) 6-5-81 1—श्री कृष्ण लाल दैश्य—इण्टर कालेज, मछलीशहर, जौनपुर का कोई एरियर बिल भुगतान हेतु नहीं आया है। अतः भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

2—**श्री राम चन्द्र दुबे**—इण्टर कालेज, कुंवरदा का भी कोई प्रकरण प्राप्त नहीं है।

3—**श्री जगदम्बा सिंह**—इण्टर कालेज, थाकागद्दी के अवशेष भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

4—**श्री गोपाल जी श्रीवास्तव** तथा **श्री त्रिभुवन नाथ श्रीवास्तव**—बी0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर का नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है।

5—**श्री बद्री लाल श्रीवास्तव, श्री श्याम प्यारे लाल**—बी0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर के अवशेष भुगतान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

6—**मौलाना आजाद इण्टर कालेज, उसरहट्टा** के 11 कर्मचारियों में से 1 के वेतन का भुगतान जो सम्भव था, कर दिया गया है।

7—बी0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर का माह मार्च वर्ष, 81 के वेतन पर/लेखाधिकारी द्वारा पीछे की तिथि में हस्ताक्षर करने का प्रश्न निराधार है।

8—श्री श्याम प्यारे लाल बी0 आर0 पी0 इण्टर कालेज, जौनपुर के प्राविधायी निधि के आडिट का प्रश्न है उसका सम्प्रेक्षण कराकर जांच आख्या संबंधित अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। शिक्षक संघ को आडिट आख्या देने का प्रश्न नहीं उठता।

9—बी0आर0पी0 इण्टर कालेज के शिक्षकों की मांग जो विशेष आडिट के संबंध में मांग का उक्त के प्रकाश में वर्तमान में कोई औचित्य नहीं है।

(8) शून्य प्रधानाचार्य जनता इण्टर कालेज, खपरहा द्वारा अनशन की जाने से संबंधित नोटिस के बारे में उनमें जो मांगें नियमित थी उनका समाधान कर दिया गया और उनका अनशन समाप्त कर दिया गया।

(9) 1-4-81 श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह, सहायक अध्यापक बयालसी इण्टर कालेज, जौनपुर के बारे में कार्यवाही की जा रही है।

(10) 13-11-81 बयालसी इण्टर कालेज, जौनपुर में प्रोन्नति के 40 प्रतिशत कोटे की उपेक्षा करके हिन्दी प्रवक्ता के सीधी भर्ती द्वारा चयन का प्रश्न रहा है। हिन्दी प्रवक्ता के पद पर चयन की कार्यवाही चल रही थी किन्तु माध्यमिक शिक्षक संघ के शिकायत पर चयन की कार्यवाही रोक दी गयी और उक्त पद पर चयन/नियुक्ति नहीं हुई है।

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 225 का उत्तर पीछे पृष्ठ 245 पर)

क्रम- सं0	नाम थाना	डकैती		लूट		हत्या		अपहरण	
		संख्या अपराध	संख्या गिरफ्तार	संख्या अपराध	संख्या गिरफ्तार	संख्या अपराध	संख्या गिरफ्तार	संख्या अपराध	संख्या गिरफ्तार
1	कोतवाली	1	6	7	10	5	3	2	2
2	मुण्डेरवा	3	8	1	1	2	1	1	8
3	लालगंज	4	7	..	..	..	..	..	..
4	वाल्टरगंज	..	..	..	..	3	..	..	..
5	दुधारा	1	4	..	..	..	..	1	1
6	खलीलाबाद	2	3	2	3	1	..	..	..
7	मेहदावल	..	..	..	..	1	..	..	..
8	बखिरा	2	7	2	..	..	..	1	1
9	महुली	3	10	..	..	2	1	..	..
10	घनघटा	1	1	..	..	6	5	..	..
11	कलवारी	..	..	1	..	1	..	1	..
12	छावनी	3	8	..	..	..	..	..	..
13	कप्तानगंज	1	3	..	..	5	..	..	..
14	पैकबलिया	..	..	..	..	3	1	..	..
15	परसरामपुर	5	18	..	..	2	2	..	..
16	डुमरियागंज	..	..	..	..	2	1	4	2
17	सोनहा	3	7	1	2	1	2	..	..
18	इटवा	..	..	..	..	..	..	..	..
19	त्रिलोकपुर	..	..	..	..	1	4	..	..
20	देवरुआ	..	..	..	..	1	..	..	..
21	रुधौली	3	11	1	..	..	..	..	..
22	बांसी	..	..	..	..	..	..	..	..
23	खेसरहा	..	..	1	..	..	..	..	..
24	चिल्हिया	9	27	1	4	1	1	1	2
25	मोहाना	3	6	..	..	..	..	1	..
26	तेतरी	4	21	..	..	1	..	..	..
27	उस्का	..	..	..	..	1	3	..	..
28	मिश्रोलिया	3	5	..	..	2	..	..	..

पी0एस0यू0पी0--एल0 334 वि0सभा(597)--1983--813।